राजभाषा भारती

अंक : 104 वर्ष : 26 जनवरी-मार्च, 2004

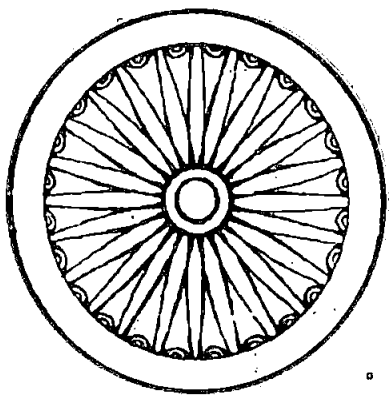

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

रायपुर बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सफल संयोजन हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीमती नीना रंजन, सचिव, भारत सरकार से शील्ड प्राप्त करते हुए श्री राज किशोर उपाध्याय, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), केंद्रीय कार्यालय

कोलकाता (उपक्रम) नराकास की छमाही बैठक व पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री बृज मोहन सिंह नेगी, निदेशक (नीति) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। साथ में हैं समिति के अध्यक्ष श्री बी.एन. सिंह, सदस्य-सचिव, श्री मोहित मुखर्जी, उप निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्व क्षेत्र श्री जी.डी. केसवानी व भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. के श्री ए.आर. दास मुंशी

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

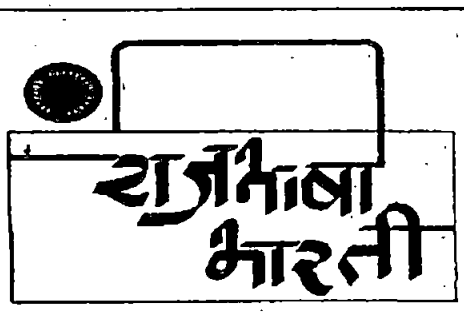

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 26

अंक : 104

जनवरी—मार्च, 2004

❑ संपादक
ओम प्रकाश सेठी
संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेन्द्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

विषय-सूची

विषय-सूची		पृष्ठ
❑ संपादकीय		(iii)
❑ चिंतन		
1. भूमंडलीकरण, मीडिया, विज्ञापन और हिंदी : वर्तमान परिदृश्य	—प्रदीप कुमार अग्रवाल	1
2. हिंदी राजभाषा से जनभाषा तक	—डॉ० राजेन्द्र प्रताप सिंह	5
3. कार्यमूलक हिंदी का अर्थछाया कोश : अवधारणा और उपयोगिता	—डॉ० शशि शर्मा	9
❑ साहित्यिकी		
4. मैथिलीशरण गुप्त—संस्मरण	—डॉ० सुधेश	13
5. ईसा पूर्व पांचवीं सदी का महान गृह—वैरागी संत-विमल कीर्ति	—डॉ० पवन कुमार खरे	16
❑ विज्ञान		
6. इंटरनेट और हिंदी साहित्य	—डॉ० उत्तम पटेल	18
❑ आर्थिक		
7. नए आर्थिक परिदृश्य में बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप	—कुल रत्न गुप्ता	23
❑ संस्कृति		
8. संस्कृति—विमर्श	—डॉ० (श्रीमती) हर्ष नन्दिनी भाटिया	29

विषय-सूची	पृष्ठ

- राजभाषा संबंधी गतिविधियां
  - (क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 32
  - (ख) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 40
  - (ग) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें 44
- कार्यशालाएं 46
- हिंदी दिवस 52
- संगोष्ठी/सम्मेलन 57
- पुरस्कार/प्रतियोगिताएं 63
- प्रशिक्षण/परीक्षा 67
- आदेश-अनुदेश 77
- पाठकों के पत्र 83

संपादकीय

राजभाषा भारती का अंक 104 जनवरी—मार्च, 2004 सुधी पाठकों को सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका में हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर परिवर्तन-परिवर्धन तथा परिमार्जन का प्रयास करते रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में आने वाले परिवर्तन स्वयं ही साहित्य में दृष्टिगोचर होते हैं और हिंदी को न केवल राजभाषा वरन संपर्क भाषा की महती भूमिका का भी निर्वाह करना है। तदनुरूप, इस अंक में आप पाएंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य से संबंधित आलेखों को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही साहित्य और संस्कृति को भी यथापेक्षा स्थान दिया गया है।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों को राजभाषा भारती में सदैव के समान सम्मिलित किया गया है। कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा आदेशों—अनुदेशों इत्यादि का स्थाई स्तंभों के अंतर्गत उल्लेख है। पाठकों के पत्र हमारे लिए प्रेरणा/सुधार का स्रोत हैं, इसलिए उन्हें भी स्थान दिया गया है।

उम्मीद है राजभाषा भारती का यह अंक पाठकों की अपेक्षा के अनुरूप होगा। हम प्रयासरत् हैं कि आगामी अंक समय पर प्रकाशित हो सकें। सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया का सदैव के समान स्वागत है।

संपादक

भूमंडलीकरण, मीडिया, विज्ञापन और हिंदी : वर्तमान परिदृश्य

—प्रदीप कुमार अग्रवाल*

बात हिंदी की हो और उस पर हाय-हाय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मुद्दे पर ये शेर वाकई मौजूं है :

''बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो कतरा-ए-खूं भी न निकला''

हर वक्त एक सी बातें-क्या हिंदी, क्यों हिन्दी, कैसी हिंदी, किसके लिए हिंदी, वगैरह-वगैरह, मानों तथाकथित बुद्धिजीवी (अंग्रेजीदां!) तबके को चिंता करने के लिए इसके अलावा और कोई काम ही नहीं रह गया हो। भारत की तरक्की की राह में यह भाषा उन्हें रोड़े अटकाती हुई लगती है। तो कुछ और 'वक्त के साथ चलने वालों' को ये भाषा घिसी-पिटी, दकियानूसी और पिछड़ेपन का नमूना लगती है। यानि के भारत को 'इंडिया' बना देने वाले खैरख्वाह हर मोड़ पर छाती पीटते हुए 'सक्रिय नागरिक' की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

भूमंडलीकरण यानि विश्व ग्राम का सपना :

आखिर उलझन क्या है ? ये किस तरह का वितंडावाद है ? ये कैसी विडंबना है और इसमें कितना सच है ? इन्हीं सब मुद्दों की पड़ताल करने का अब सही वक्त आ गया है। सबसे पहले बात आती है भूमंडलीकरण की। इसके मूल में है **''वसुधैव कुटुंबकम्''** का उदात्त भारतीय दर्शन जो तमाम विश्व को एक परिवार के रूप में रहने की प्रेरणा देता है, ताकि हम मिलकर तरक्की कर सकें और एक-दूसरे के सुख-दुख को समझकर परस्पर सहयोग कर सकें, मगर ये दर्शन यह कहीं नहीं कहता कि अपनी पहचान को विलीन कर दो, अपनी जड़ों को खो दो या अपनी संस्कृति की मर्यादा को भूल जाओ। इसमें सीधे-सीधे अपने स्वाभाविक स्वरूप को सहज रूप से बाकी दुनिया से जोड़ने का संदेश निहित है। बात यहीं आकर अटकती है। वे प्रगतिशील देशों के अनुरूप आचरण करते हुए और उनकी भाषा व संस्कृति को अपनाते हुए 'विश्व ग्राम' के नागरिक बनना चाहते हैं जबकि अपनी सुदीर्घ प्रतिष्ठाजनक संस्कृति इससे सहज रूप से जुड़ना चाहती है और 'कौओं को मोर के पंख लगाकर मोर बनने' की इजाजत नहीं देती। भाषा इस सारे खेल का सबसे अहम हिस्सा है, जो लॉर्ड मैकाले का भी दर्शन था और जिसने शिक्षित भारतीयों को 'काले बाबुओं' में तबदील कर दिया।

तो उन दोस्तों से इतना ही निवेदन किया जा सकता है कि वे सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन यानि भूमंडलीकरण के सही माने जानने की जहमत उठाएं। इस सिक्के का एक पहलू जहां आपसदारी है, वहीं दूसरा पहलू है बाजारीकरण, यानि के एक देश का माल दूसरे के देश में खपाना। जरा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि भूमंडलीकरण के इस सिक्के के तो दोनों तरफ ही 'बाजारीकरण' लिखा है। भौतिकता और समृद्धि की इस होड़ में परस्पर सुख-दुख और सहयोग की परवाह भी किसे है ? यहां तक तो ठीक है, पर और जरा सा आगे बढ़कर देखें तो खुले बाजार का नजारा साफ नजर आता है, जिसमें विज्ञापनों की डुगडुगी बजाते कितने ही मजमे वाले लोगों का ध्यान खींचने में लगे हैं, भले ही वो किसी भी देश के हों, पर थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे तो अधिकतर लाल-पीले-काले मजमे वालों की भाषा वही है जो आप बोलते हैं, यानि कि हिन्दुस्तानी। गाहे-बगाहे क्षेत्रीय भाषाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं। है ना कमाल! मगर ये कैसे ? इसलिए नहीं कि वो आपके देश की भाषाओं के प्यार में डूबे हैं, बल्कि इसलिए कि वे बखूबी व्यापार में डूबे हैं और सच्चा व्यापार आपकी ही भाषाओं में आपकी भावनाओं को भुनाकर किया जा सकता है। उनके इस गुरुमंत्र को समझ लिया जाए तो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं पर उंगली उठाने वालों का दर्द थोड़ा कम हो सकता है, जो इन्हें संप्रेषण के सही माध्यम का दर्जा देने से कतराते हैं या इन्हें सशक्त नहीं मानते।

---

*सहायक महा प्रबंधक (हिंदी), आई डी बी आई टॉवर, डब्ल्यू टीसी कॉम्प्लेक्स, कफ रोड, मुंबई —400005।

2082 HA/04—2

मीडिया यानी हिंदी के दनदनाते बुलेट :

अब इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में जरा मीडिया की भूमिका पर भी एक नजर डाली जाए, ''चैनल ··· चैनल, कितने चैनल''। रिमोट हाथ में रखिए और ड्रॉइंग रूम में गद्देदार सोफ़े पर पसरे-पसरे या बैड रूम में आरामदेह बिस्तर पर लेटे-लेटे दुनिया भर की सैर कीजिए-अंतहीन खबरों के सिलसिले के साथ। परंपरागत् प्रिंट मीडिया से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चर्चा करने का मंतव्य इतना ही है कि उसमें आपको अधिकतर प्रतिदिन सुबह, प्रति सप्ताह या प्रत्येक माह में अखबार या पत्रिकाएं मिलते हैं जबकि चैनलों की चक-चक चौबीसों घंटे खोखली सनसनी पैदा करने में जुटी रहती है। एक पल भी छुटकारा नहीं, तो असर क्यों नहीं होगा? होगा दोस्तो ··· जरूर होगा। चलती का नाम ही तो गाड़ी है, मगर फिर से गौर कीजिए कि 5% अंग्रेजी चैनल सुनने वालों से नहीं बल्कि 95% हिंदी या अन्य सहोदरा भारतीय भाषाओं के चैनलों को सुनने से असर होगा। मीडिया इस असर को बखूबी जानता है और बाजार की नस-नस को भी वो बेहतर पहचानता है। एक तरफ तो अक्सर ऊल-जलूल, उबाऊ और असरहीन खबरों की लंबी कड़ी रहती है तो दूसरी तरफ सिक्कों की खनक से खनखनाती और भौतिकता की चमक से चमचमाती बाजार की बानगी छाई रहती है। यानी एक के बाद एक विज्ञापन का अटूट सिलसिला। कई बार तो यह समझना भी मुश्किल हो जाता है कि ये मीडिया के समाचार चैनल हैं या बाजार के विज्ञापन चैनल। मगर यहां भी बात वही है, उनकी भाषा वही हैं ··· मेरी और आपकी भाषा। यहां अंग्रेजी नहीं बिकती और न ही उतना बेचती है। अखिर यहां भी काम आती हैं तो हमारी अपनी भाषाएं जिनमें भावनाओं की पकड़ सहज है।

लगे हाथ प्रिंट मीडिया की भी बात कर ली जाए। तो उसमें और चैनलों में एक और बड़ा फ़र्क है। उसे जहां सिर्फ़ एक बटन दबाकर और अपने कामों में लगे रहकर सुना/देखा जा सकता है (भले ही आप शिक्षित हों या नहीं), वहीं प्रिंट मीडिया की तरफ आप तभी तवज्जो दे सकते हैं जब आप पढ़े-लिखें हों और उनकी सामग्री को पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो, लेकिन इस मामले में भारत में उलट-बांसी की स्थिति है, जो पढ़े-लिखें हैं, उन्हें समय नहीं मिलता और जो अनपढ़ हैं, वे तो अनपढ़ हैं ही। फिर भी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी प्रिंट मीडिया से अपना लगाव बनाए हुए हैं, मगर उनके लगाव की अभिव्यक्ति विशेषकर हिंदी या उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति भावनात्मक संवेदना या सहित्य से लगाव को लेकर है। यही बात उन्हें अंग्रेजी प्रिंट मीडिया से बहुत आगे ले गई है। पिछले कई वर्षों के दौरान हुए सर्वे में बार-बार यह बात साफ़ तौर पर उभर कर आई है कि प्रिंट मीडिया में भारतीय भाषाओं का हिस्सा अंग्रेजी की तुलना में काफी बड़ा है, एक अंग्रेजी अखबार या पत्रिका लेने वाला भी इसके साथ अक्सर अपने घर में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के अखबार या पत्रिकाएं मंगाना पसंद करता है, तो आखिर क्यों? इसलिए कि 'वसुधैव कुटुंबकम्' के आधुनिक संस्करण भूमंडलीकरण (या बाजारीकरण) के दौर में भी वह अपनी मिट्टी को नहीं भूला है। तथाकथित 'अंतर्राष्ट्रीय भाषा' का दम भरने वाली अंग्रेजी इस मोर्चे पर भी नाकाम दिखती है। वो तो गनीमत है कि कुछ विज्ञापन समूहों ने इसे अभी तक टिका रखा है। विडंबना ये है कि भारत को चलाने वाले 5% अंग्रेजीदां लोगों का वरदहस्त इन्हें मिला हुआ है और वही यहां इसके अस्तित्व का मुख्य आधार बने हुए हैं।

विज्ञापन अर्थात् हिंदी का फैलता इंद्रजाल

इसके बाद बारी आती है ग्लैमर की चकाचौंध से चकमक विज्ञापन जगत की, जिसे बाजारीकरण के काले जादू का सुनहरा इंद्रजाल कहना बेहतर होगा। एक ऐसी नायाब तरक़ीब जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की हिदायत देती नजर आती है। हो भी क्यों ना? हमारी जिंदगी की जरूरतों का फैसला अब हम नहीं करते, कंपनियां करती हैं। हम क्या पहनें-क्या खाएं, हम क्या ओढ़ें-क्या बिछाएं, हम कहां खर्चें-कहां लगाएं, यानि गोलमाल के पूरे चक्कर का जिम्मा अब उन्होंने हासिल कर लिया है। ऐसा असर जो न पहले कभी देखा, न सुना। आखिर किसके बूते? घूम-फिरकर, बात फिर वहीं आकर रुकती है- हमारी अपनी भाषाओं के बल पर हमें बरगला कर। कोई विदेशी भाषा हमारी चेतना को इस कदर जकड़ ही नहीं सकती कि हमारी बौद्धिक वृत्तियों को इतना पंगु बना सके। भारतीय भाषाओं के विज्ञापनों की तुलना में अब अंग्रेजी के विज्ञापन इने-गिने ही नजर आते हैं तो क्यों? क्योंकि बाजारीकरण का परिवेश बनाने और उत्पादों को उसमें ठेलते जाने का अमोघ अस्त्र है आपकी अपनी भाषा, जो आपकी संवेदनाओं को भीतर तक छूती है और उनमें गहरी पैठ बनाने का माद्दा रखती है। बाजार के नियंताओं ने इस रामबाण का असर बखूबी समझ लिया है।

तो अब तक एक बात तो साफ हो गई है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हो या मीडिया अथवा विज्ञापनों का क्षेत्र—इनमें अपनी भाषाओं का उपयोग (जिनमें हिंदी प्रमुख संपर्क भाषा है, जिसे भारत के लगभग 80 करोड़ लोग समझते हैं और जिसके जानने वालों की संख्या अब विश्व में चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि अंग्रेजी इस क्रम में तीसरी भाषा है) कारगर सिद्ध होता है। हमारे यहां घटते हुए अंग्रेजी समाचार चैनल और अंग्रेजी विज्ञापनों की संख्या में आई भारी कमी भी इसी बात को सिद्ध करते हैं। लेकिन एक बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत से बाहर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अंग्रेजी की पैठ या कंप्यूटरों में फिलहाल इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। इस दृष्टि से अंग्रेजी को जानना-समझन समय के अनुरूप है। मगर भारत की अपनी समृद्ध भाषाओं की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए-न तो 'स्टेटस सिंबल' का झूठा दंभ भरने की खातिर और न ही भारतीय भाषाओं पर संप्रेषण के अभाव का मिथ्या आरोप मढ़कर, **'विंग्स ऑफ फायर'** में यदि भारत के माननीय राष्ट्रपति अगले 20 वर्ष में भारत के विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होने (या फिर से जगद्गुरु बनने) का सपना देखते हैं तो वह अकारण नहीं है। उसके पीछे छिपी है भारत की अद्वितीय, अनमोल और अमिट संस्कृति की पहचान, जो आज भी विश्व-दर्शन में सर्वोपरि मानी जाती है। यह पहचान हमारी अपनी भाषाओं में संरक्षित है और निश्चय ही उन्हीं में पुन: पल्लवित हो सकेगी।

हिंदी यानी एक अनार सौ बीमार

इस आलेख में जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के उपयोग की महत्ता पर विचार करने का प्रयास किया गया है। उनमें से भी प्रमुख संपर्क भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं की सहोदरा के रूप में हिन्दी भाषा की महती भूमिका सिद्ध होती है। लेकिन एक और बात का जिक्र किए बगैर इसकी भूमिका को पूरी तरह से सार्थक सिद्ध कर पाना सही नहीं होगा जो भाषा के स्वरूप को लेकर है। भारत एक उपमहाद्वीप सरीखा विशाल देश है और इसके दूर-दूर तक फैले प्रांतों में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा का स्वरूप अलग-अलग है। भले ही वो स्थानीय भाषा या बोलियों के कारण हो या उनकी अपनी शब्दावली व व्याकरण के प्रभाव के चलते, मगर सभी हिंदी के ही विभिन्न रूप हैं। एक को दूसरे की भाषा गलत लगती है, उसका उपहास होता है और इससे अंतत: हिंदी के विकास-क्रम को बाधा पहुंचती है। इस प्रवृत्ति से बचना होगा। अन्य भाषाओं (विशेषत: उर्दू या अंग्रेज़ी) से शब्द लेते हुए यदि हिंदी की सामर्थ्य बढ़ती है तो कुछ भाषा विज्ञानियों के पोंगापंथी दर्शन को ठेस पहुंचती है। यही नहीं, कट्टरपंथी शुद्धतावादियों से जूझना तो और भी कठिन काम है जिनकी सारी ऊर्जा मीन-मेख निकालने में ही लगी रहती है। ऐसा तबका भाषा के प्रचार-प्रसार में जुटे कार्यकर्ताओं के उत्साह पर पानी फेर देता है। संभवत: ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान निकट भविष्य में ही कर लिया जाना चाहिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो हिंदी अब किसी एक प्रांत या एक खंड की बपौती नहीं रही कि जिसके कहने पर ये भाषा चलेगी। अब यह सबकी भाषा है और सभी का इस पर समान अधिकार है। इसे समृद्ध करने वाले किसी भी प्रयास का स्वागत ही होना चाहिए, अपना स्वरूप यह खुद ही तय कर लेगी। 'बहते नीर' पर अकारण बांध बनाने वाले इसे समझेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

इसी संदर्भ में एक और बात का जिक्र किया जाना जरूरी है, और वो है 'अनुवाद' की गुत्थी। दूसरी भाषाओं के ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और दर्शन को अनुवाद के जरिए अपनी भाषाओं में इस प्रकार लाना ताकि उनका लाभ उठाया जा सके। यह देखने में आया है कि जहां इन क्षेत्रों के अनुवाद सामान्यत: अपने उद्देश्य में सफल रहते हैं, वहीं हिंदी के प्रशासनिक स्वरूप के अनुवाद को लेकर काफी चर्चा चलती रही है। इससे हिंदी की लोकप्रियता को थोड़ी हानि भी सहनी पड़ी है। यह उस समय की जरूरत और परिस्थितियों पर आधारित था जब प्रशासनिक अनुवाद शुरू हुआ था और फिर वही स्वरूप अब तक चलता आया है। आज जरूरत है इसमें बदलाव लाने की, इसे मौलिक स्वरूप प्रदान करने की, जो सरल, सहज और ग्राह्य हो। इसके लिए बेहतर है कि विशुद्ध अहिंदीभाषी क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में अनुवाद से जुड़े अधिकारियों को अब सीधे आधिकारिक रूप से हिंदी के साथ-साथ अन्य विभागों के काम से भी जोड़ दिया जाए, ताकि वे क्लिष्ट अनुवादों के बजाय वहां सरल मूल-लेखन का कार्य कर सकें और साथ ही संस्थाओं की कार्य-संरचना में उनकी उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ सके। आम जनता को राजभाषा का नहीं बल्कि जन-भाषा का स्वरूप ही संस्था के नजदीक लाएगा। ऊपर मीडिया और विज्ञापनों की भाषा पर चर्चा के दौरान भी यह बात साफ तौर पर उभरकर सामने आ चुकी है। उनकी सफलता का राज उन्हें भाषा के क्षेत्र में मिली कामयाबी में छिपा है। तो भाषा के संदर्भ में हमें यही सफलता प्रशासन के क्षेत्र में क्यों नहीं मिल सकती? इस पर गंभीर विमर्श जल्द होना चाहिए।

हिंदी का वर्तमान परिदृश्य और उपसंहार :

राजनैतिक और सांस्कृतिक भय का वातावरण बनाकर भाषा के मुद्दे पर रोटियां सेंकने की कवायद अभी भी जारी है। अब इसमें भारत में रह रहे 'इंडियन' भी शामिल हो गए हैं। इसमें कोई विशेष चिंता करने की बात नहीं है। जैसे वक्त अपना रास्ता खुद तय करता है, वैसे ही भाषा भी अपना मार्ग खुद बनाती है। दुनिया में **"सर्वोत्तम ही टिकता है"** की थ्योरी आज भी प्रासंगिक है। अर्थात् जो सार्थक है, सशक्त है, सक्षम है और परिवर्तनों के प्रति सहज है, वही टिकेगा। आज व्याकरण के नियम भाषाशास्त्र नहीं बल्कि बाजारशास्त्र तय कर रहा है। यह उपयोगिता और आकर्षण के दो मजबूत पायों पर टिका है और भाषा इसकी सहचर है। एक अरब से अधिक की जनसंख्या वाला और दुनिया की आबादी में लगभग 23% हिस्सा रखने वाला देश अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाएगा, यह मुमकिन ही नहीं। यदि कोई अपने पड़ौसी से स्नेह रखता है, उसका आदर करता है और उसकी उपयोगिता समझता है तो यह जरूरी नहीं कि इसके लिए वह अपने परिवार के प्रति अपने स्नेह, आदर और कर्तव्यों को भुला दे। ठीक यही बात भाषा के मामले में भी लागू होती है। हम भले ही कभी हिंदी के विकास को लेकर उदासीन हो जाते हों मगर इसकी उपादेयता जरा उन विदेशी हिंदी विद्वानों से पूछी जाए जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसमें खपा दिया है। या फिर विश्व भर में फैले उन लगभग 140 विश्वविद्यालयों से पूछी जाए जिनके पाठ्यक्रमों में हिंदी डिग्री स्तर तक एक भाषा के रूप में नियमित रूप से पढ़ाई जाती है। आखिर इस जज्बे की कोई तो वजह होगी?

अंत में, कहा जा सकता है कि भाषा का उपयोगिता आधारित विकास एक स्वत: स्फूर्त यानि खुद-ब-खुद होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए इसे किसी राजाश्रय या पद-प्रतिष्ठा की कोई खास जरूरत नहीं होती। इस पर भाषाशास्त्र के नियमों को कसते जाना भी बहुत प्रासंगिक नहीं होगा (देवभाषा संस्कृत का हश्र हम देख ही चुके हैं)। अपनी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा का ज्ञान हमें बौद्धिक रूप से समृद्ध तो बनाता है पर यह अधिकार कभी नहीं देता कि हम अपनी भाषा को भुला दें। और तो और, इस शाश्वत सत्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारी तमाम अनुभूतियों व उससे उपजी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का जितना सशक्त माध्यम हमारी अपनी भाषा हो सकती है, उतनी कोई और भाषा नहीं, तभी तो इसे मातृभाषा कहा जाता है, जिसकी मिट्टी से हम बने हैं और जिसके परिवेश में हम पले-बढ़े हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमीकरण की यह आंधी उद्योग और विकास के लिए तो ग्राह्य है किंतु उनके सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने की दृष्टि से इससे एक सीमित दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता या हमारी पहचान को खोखला बना सकती है। यदि केवल इस अंतिम तथ्य को गहराई से समझ लिया जाए तो शायद भारत में भाषा को लेकर उपजे विवादों और संशयों के लंबे दौर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा, बात सिर्फ एक क़दम आगे आने की है। ■

हिंदी से किसी भी भारतीय भाषा को भय नहीं है; यह सबकी सहोदरा है

—महादेवी वर्मा

हिंदी : राजभाषा से जनभाषा तक

—डॉ० राजेन्द्र प्रताप सिंह *

भारत में लगभग 325 भाषाएं और एक हजार से अधिक उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इनके अलावा कई विदेशी भाषाएं भी यहां कमोबेश प्रयोग की जाती हैं। वर्ष 1993 में 'पीपुल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट' के तहत किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लगभग 2198 सामाजिक समुदाय हैं। इनमें से लगभग 1261 समुदाय हिंदी-उर्दू तथा उनकी उपभाषाओं का प्रयोग बोलचाल में करते हैं। जहां तक अन्य भाषा-भाषियों द्वारा हिंदी में बातचीत का प्रश्न है, वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर उस समय 17.14% मलयाली भाषाभाषी, 9.69% तमिल भाषाभाषी तथा लगभग 6% कन्नड़ भाषाभाषी हिंदी में सुगमता से वार्तालाप तथा कार्य कर सकते थे। पिछले 23 वर्षों के दौरान इस संख्या में निश्चय ही काफी वृद्धि हुई है और अब देश के प्राय: प्रत्येक भाग में हिंदी संप्रेषण की भाषा बन चुकी है। लेखक के राजभाषा सेवा से जुड़े रहने के कारण भारत के प्राय: प्रत्येक राज्य में जाकर लोगों से विचारों के आदान-प्रदान से भी यही परिलक्षित हुआ है कि आज भारत के प्रत्येक शहर तथा कस्बे में हिंदी सुगमता से बोली और समझी जाती है और धीरे-धीरे जनभाषा का स्थान लेती जा रही है।

संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को ऐसा रूप देने का प्रयास किया गया जो भारत की मिली-जुली संस्कृति की संवाहिका बन सके। प्रयास यह किया गया था कि हिंदी को सर्व-स्वीकार्य रूप प्रदान करके उसे राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में सहज ही स्थापित किया जा सके। जब हम राजभाषा हिंदी की, संविधान की मंशा के अनुरूप, प्रगति की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। जिन कार्यों को आज से 39 वर्ष पूर्व ही हिंदी में आरंभ हो जाना चाहिए था वे आज भी अंग्रेजी में बदस्तूर किए जा रहे हैं। परन्तु इसके कारण ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न हैं जिन पर सम्यक विचार किया जाना हिन्दी की प्रगति के लिए आवश्यक है।

मातृभाषा का प्रश्न मानव स्वभाव से जुड़ा है। मनुष्य अपनी माता और मातृभूमि के ही सामान मातृभाषा से भी अत्यंत लगाव रखता है। अत: यह स्वाभाविक ही है कि वह अपनी मातृभाषा की अवहेलना सहन नहीं कर पाता। यदि उसे किंचित भी इस बात का अहसास हो जाए कि किसी विशेष कारण से उसकी मातृभाषा को हानि पहुंच रही है अथवा हानि पहुंचने की संभावना है तो वह स्वभावत: तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। संविधान का निर्माण करने वाले प्रबुद्ध जन दूर-दृष्टि से राजभाषा हिंदी को इसका स्थान देना चाहते थे परंतु आम आदमी के लिए देश की अस्मिता, एकता और अखंडता का प्रश्न संकल्पना से अधिक कुछ नहीं होता, वह अपनी सीमित सोच के दायरे में रहकर स्थानीय आधार पर ही चिंतन कर पाता है। इसी सोच के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में छठे दशक में किंचित भाषाई विरोध के स्वर सुनाई दिये। परिणामस्वरूप, देश के तत्कालीन नेतृत्व को भी राजभाषा के प्रावधानों में ढील देनी पड़ी और राजभाषा अधिनियम 1963 बनाकर अंग्रेजी को असीमित काल तक सह-राजभाषा के रूप में बनाए रखने की व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता के समय देश का प्राय: अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में हो रहा था। भारत में एक विशिष्ट अंग्रेजीदां वर्ग बन चुका था। वास्तव में इस बाबू वर्ग को हम मैकाले की शिक्षा पद्धति या 'फूट डालो और राज करो' की अंग्रेजी नीति की पैदाइश भी कह सकते हैं। देश जब आजाद हुआ तो इसी विशिष्ट वर्ग के हाथों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन आ गया। भारत की संविधान सभा में सरदार पटेल ने देश की एकता और अंखडता की रक्षा के लिए जिस संवर्ग को बनाए रखने की जोरदार वकालत की थी, राजभाषा के क्रियान्वयन के क्षेत्र में निश्चय ही उससे अगली पीढ़ियों को निराशा हाथ लगी। मजेदार बात यह है कि इस वर्ग का विरोध केवल हिंदी से नहीं रहा है बल्कि अंग्रेजी को महिमामंडित

8/2, ब्लॉक-ए, न्यू मिंटो रोड हॉस्टल नई दिल्ली-110001

2082 HA/04—3

करने के लिए इन्होंने सभी भारतीय भाषाओं की अवहेलना की है। राष्ट्रीय भाषाओं में राजकाज होने से उनका वर्चस्व समाप्त होने का खतरा उन्हें सालता रहा है और अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए उनकी ओर से बहुत सारे तर्क दिए जाते रहे हैं, जैसे कि ज्ञान-विज्ञान की भाषा केवल अंग्रेजी है, अंग्रेजी ही अंतरराष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी के पास असीम शब्द भंडार है, यह सेतुभाषा है आदि-आदि। यह और बात है कि 1950 में जापान के वैज्ञानिक श्री युकावा जापानी भाषा में ही अनुसंधान करके नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और उन्हें इसके लिए अंग्रेजी की वैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। वास्तव में इस मानसिकता ने हमारी राष्ट्रीय भाषाओं को अपूरणीय क्षति पुंचाई है।

हिंदी को जनभाषा के रूप में स्वीकार करने में भाषागत स्पर्धा भी एक प्रमुख समस्या रही है। भाषागत स्पर्धा का प्रश्न मातृभाषा के प्रश्न से किंचित भिन्न है। इस संबंध में राजभाषा के संदर्भ में एक विद्वान द्वारा व्यक्त विचार उल्लेखनीय हैं:

"Further all other languages perceive Hindi with some apprehension as being a threat to their own survival, fearing its alleged expensionism, indeed 'imperialism.' At the same time all these other Indian languages also seem to believe that just because they are smaller than Hindi, they are by that token also more beautiful." (Harish Trivedi, 1994)

क्षेत्रीय भाषाओं पर यह डर भी हावी रहा है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संख्या के आधार पर अन्य भाषाएं धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर न हो जाएं। इसके अलावा हिंदी के तुलनात्मक रूप से नवीन भाषा होने और बांग्ला और तमिल के अपेक्षाकृत प्राचीन तथा अधिक समृद्ध भाषा होने का तर्क दिया जाता है और हिंदी की विभिन्न उप-भाषाओं को हिंदी से भिन्न मानकर भी इसको संख्या की दृष्टि से भी कमजोर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता रहा है। कुछ लोगों का तर्क यह है कि अगर अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो तो हिंदी से बेहतर अंग्रजी रहेगी क्योंकि अंग्रेजी से एक साथ देश तथा विदेश की भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परंतु यहां प्रश्न राष्ट्रीय भाषा का है, जोकि आम आदमी की भाषा हो, न कि अभिजात्य वर्ग की। जहां तक शब्द शक्ति का प्रश्न है विश्व के लगभग 70 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा की शब्द शक्ति असीम है। केवल हिंदी शब्द सागर के 11 भागों में लगभग 2,11,50,000 शब्द उपलब्ध हैं।

तुष्टिकरण और क्षेत्रीय राजनीति भी राजभाषा और अन्य भाषाओं के बीच वैमनस्य बढ़ने का प्रमुख कारक रही है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, मातृभाषा का प्रश्न एक नैसर्गिक प्रश्न है और जनसाधारण की भावना को भड़काकर उनका राजनीतिक शोषण करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के हथकंडे लगातार अपनाए जाते रहे हैं। कई बार एक ही क्षेत्र के विरोधी राजनीतिज्ञ भाषा के प्रश्न पर एक दूसरे से बाजी मार ले जाना चाहते हैं। इससे समाज के मनोविज्ञान में एक दरार तो पड़ ही जाती है साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी अपूरणीय क्षति पहुंचती है।

किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भूमंडलीकरण के इस दौर में अर्थ प्राप्ति प्रमुख हो गई है और भारतीय संस्कृति का 'वसुधैव कुटुम्बकम' का सम्यक भाव प्राय: तिरोहित हो गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक भाषा के परिप्रेक्ष्य में हमारा ध्यान सर्वप्रथम अंग्रेजी पर जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय और संप्रेषण की भाषा अंग्रेजी है परंतु यह भी देखा जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यताप्राप्त भाषाओं में से चीनी और अंग्रेजी को छोड़कर कोई भी अन्य भाषा हिंदी के बराकर नहीं बोली जाती। परंतु जब हम अपने देश में ही भाषा के प्रश्न पर लड़ेंगे और अपनी भाषा को अक्षम मानने लगेंगे तो अन्यत्र उसे गौरव प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। अत: अंग्रेजी के महत्व को न नकारते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की दिशा में अपनी भाषाओं की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाना भी जरूरी है। दूसरी ओर इससे हमें अपनी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवसाय और सेवा के भी अवसर प्राप्त होंगे। जहां तक राष्ट्रीय व्यावसायिक भाषा का प्रश्न है यह अधिक गंभीर प्रश्न है। संघ की राजभाषा हिंदी है। इसके लिए लाखों पदों का सृजन किया गया है।

एक प्रमुख शिकायत यह रही है कि राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार में प्राय: हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग नियुक्ति पाते हैं। इस शिकायत के मूल में रोजी-रोटी की समस्या है। परंतु अब राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभिन्न व्यवसायों यथा-अनुवाद, शिक्षण, लेखन, प्रकाशन, मुद्रण आदि में कार्य अवसरों का लाभ भी प्राय: सभी लोगों को मिलने लगा है। व्यावसायिक घरानों, टेलीविजन तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विज्ञापनों से लेकर

अन्यान्य कार्यों हेतु हिंदी माध्यम के कार्मिकों की भर्ती से भी व्यावसायिक भाषा के क्षेत्र में स्पर्धा पैदा हुई है। इधर स्थिति में काफी बदलाव आया है और अब मलयाली, उड़िया, बांग्ला, कन्नड़ तथा अन्यान्य भाषा-भाषी भी काफी संख्या में इन क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं।

भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। इसको इसकी गरिमा और गुरुता के अनुरूप सुनियोजित ढंग से हल किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा का प्रश्न अन्य भाषाओं की अस्मिता और देश की एकता और अखंडता से जुड़ा है। अतः सभी भाषाओं को 'न्यूनतम राजकीय संरक्षण' का एक फार्मूला विकसित करने की जरूरत है। इससे भाषागत पक्षपात संबंधी संवेदनशील प्रश्न को हल करने में सहायता मिलेगी। हिंदी को राजभाषा के स्थान पर संपर्क भाषा की भावना के अनुरूप और सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार 'राष्ट्रभाषा' नाम दिया जाए। देश को जोड़ने के लिए राष्ट्रभाषा की भूमिका निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र का पुनः निर्धारण करके देश के सभी राज्यों के विद्याालयों में इसे पूर्णतः लागू किया जाए। देश के बहुभाषाभाषी स्वरूप को देखते हुए समन्वय और संप्रेषण की दृष्टि से इस फार्मूले के क्रियान्वयन से फायदा तो होगा ही, साथ ही इसका आर्थिक लाभ भी युवा पीढ़ी को होगा। केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में गठित सरकारिया आयोग (20.1.21) ने भी इस सूत्र के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। हमें अपनी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति और अस्मिता को प्रकट करने का साधन बनाना ही होगा, उसे महिमामंडित करना ही होगा, तभी अपने देश अथवा राजभाषा के प्रति गौरव का भाव पैदा होगा। इसके अतिरिक्त उत्तरी-दक्षिणी, आर्य-अनार्य, आर्य-द्रविड़ जैसे कृत्रिम भाषागत भेदों को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि तुरंत एक भाषाई सर्वेक्षण हो। उल्लेखनीय है कि 'भारत के लोग' नामक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश की लगभग 66.4% जनता द्विभाषाभाषी है तथा प्रत्येक प्रदेश में न केवल भाषाई अल्पसंख्यक मौजूद हैं वरन् बाहरी प्रदेशों से स्थाई/अस्थाई रूप में आकर बसे अप्रवासी अलग भाषाएं/उप-भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार स्थानीय और अप्रवासी नागरिकों के बीच संपर्क भाषा के रूप में कोई भाषा कार्य करती है और प्रायः यह भाषा हिंदी है। बहुभाषिकता की इस स्थिति से लाभ उठाने की जरूरत है। अंडमानी हिंदी, जिसे कि आर्य और द्रविड़ भाषा का मिला-जुला रूप बताया गया है, का विश्लेषण कर उसका, समन्वय के संदर्भ में, लाभ उठाया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो इस संबंध में प्रो. यशपाल समिति का पुरजोर आग्रह रहा है। अतः प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने की दिशा में सार्थक पहल होनी चाहिए। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर से राजभाषा, अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी का विकल्प दिया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा की एकल प्रणाली लागू करना सबसे पहले जरूरी है। यह अत्यंत जरूरी है कि प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार करते हुए राष्ट्रीय सरोकार, संस्कृति और परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखा जाए। इसी स्तर से बालक में देशभक्ति, देश की महान विभूतियों के प्रति सम्मान तथा एकता और अखण्डता का भाव जाग्रत किया जाए। सभी प्रमुख साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं से बिना भेदभाव के बालकों का परिचय होना चाहिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता के लिए प्रमुख लेखकों की कृतियों का अनुवाद सभी अनुसूचित भाषाओं में किया जाए। इससे युवाओं में दूसरी भाषा में लिखे साहित्य को पढ़ने और उसका मूल्यांकन करने की समझ पैदा होगी और वे भाषाई पूर्वाग्रह से बाहर निकल पाएंगे। राजभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद और सहयोग का सेतु अनुवाद हो सकता है। राष्ट्रीय स्वरूप के निर्धारण में सभी भाषाओं के आम-फहम प्रचलित शब्दों को अपनाया जाना श्रेयस्कर होगा। इस संदर्भ में हिंदी के एक विदेशी विद्वान के विचार उल्लेखनीय हैं :

" An intrinsic conservatism on the part of that hazily definable group, the 'Hindi wallahs' is fond of bracketing Hindi with Sankritic tradition of the classical past and this tendency is seen most clearly in replacing of current Perso-Arabic vocabulary with Sanskrit loanwords or neologisms in persuit of the spectre of linguistic 'purity', thereby eroding that very bedrock of broad popular comprehensibility on which rests Hindi's claim to be a lingua franca (Rupert Snell : 1994)."

अतः राजभाषा को जनभाषा का सर्वमान्य रूप देने का जो कार्य काफी वर्षों से चल रहा है और जिसके शुभ परिणाम अब 'आसेतुहिमाचलम' दिखाई देने लगे हैं, उसे अब 'विभिन्नता में एकता' के दर्शन को सामने रखकर राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति से भी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। हिंदी को काफी हद तक संपर्कभाषा के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफलता मिली है अब जरूरत है इसे दिलों की भाषा के रूप में स्थापित करने की।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ विमलेश कीर्ति वर्मा : हिंदी और उसकी उपभाषाएं, 1995

2. डॉ ओंकारनाथ कौल : हिंदी और उर्दू के समान आधार, 1990

3. डॉ आर. पी . सिंह : प्रशासन और राजभाषा हिंदी, 1996

4. केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

5. श्रीमती वंदना सक्सेना : राष्ट्रीय एकता और हिंदी, 1997

6. K.S. Singh, D. Manoharan : Language and Scripts, 1993

7. Rupert Snell : Hindi from Brij Bhasha to Bridge Basha, 1994

8. Dr. Harish Trivedi : Hindi now : Privilege and Predicament, 1994 ■

मैं कहता हूं कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। उनको गरज होगी तो वे हमारी बात सुनेंगे। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूँगा। जिसको गरज होगी वह सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे, तो हिंदी भाषा का दर्जा बढ़ेगा।

—गांधी

कार्यमूलक हिंदी का अर्थछाया कोश : अवधारणा और उपयोगिता

—डॉ० शशि शर्मा*

भाषा-व्यवहार के संदर्भ में थिसारस की परिकल्पना एक परिपक्व सोच की उपज है। इसकी जरूरत को सबसे पहले महसूस करने वाले और उसका निर्माण करने वाले पितामह का नाम है पीटर मार्क रोजट, जिनका ''थिसारस'' शीर्षक ग्रंथ 1852 में प्रकाशित हुआ था। ''थिसारस'' डिक्शनरी से विपरीत कार्य करता है - ''शब्द'' विशेष के अर्थ से अपरिचय की तलाश में हम डिक्शनरी का सहारा लेते हैं जबकि अर्थों को जानते हुए उनकी महत्ता, विभेदों, संदर्भों और इनमें छिपी विचारणाओं की धाराओं से परिचित होते हुए उन्हें सटीक नाम; संज्ञा, विशेषण देने वाले शब्दों की खोज में हम थिसारस का सहारा लेते हैं। इसलिए विश्लेषण स्वरूप वर्गीय ''थिसारस'' की जरूरत केवल उसी भाषा के प्रबुद्ध वर्ग को होती है जिसमें ज्ञान की विविध धाराओं का विकास निरंतर होता रहा हो। जीवन के हर कार्यक्षेत्र में जहां भाषा विकसित हो चुकी हो, या हो रही हो, भाषा के फैलाव के आयाम जहां असीम हों, चिरंतन हों, भाषागत मनोवृत्ति जहां गुलामी रहित हो, भाषा जन-जन के जीवन सूत्रों का जहां एकमात्र संपर्क व विकास माध्यम हो, विकास व प्रगति के हर आधुनिक व अद्यतन संदर्भ में भाषा जहां अपना एकछत्र दखल रखती है, मनुष्य-समाज और जगत के समूचे संवेदन को दर्पण में उतारने वाली ''पत्रकारिता'' में जिस भाषा का विश्वसनीय व व्यापक समाज हो, समाज के सर्वतोमुखी संवेदन की जो भाषा नब्ज पकड़ चुकी होती है, उत्तरोत्तर उसी भाषा के विविध व उत्तरोत्तर प्रयोग में स्तरीयता प्रदान करने के लिए ''थिसारस'' की जरूरत महसूस होती है। आज हिंदी भाषा में ''थिसारस'' की जरूरत अगर महसूस की जा रही है तो यह हमारी भाषागत विकसित मानसिकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

''थिसारस'' को हम हिंदी में पर्यायवाची कोश न कहकर ''अर्थ छाया शास्त्र'' या ''अर्थ भेद-कोश'' का नाम दे सकते हैं - क्योंकि इसमें शब्दों के भावानुक्रम में अर्थों की विविधता संजोयी जाती है। शब्दों के समूह निर्माण करने का भी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व होता है। हमारे राष्ट्रीय विकास के ऋग्वैदिक और स्मृति व पौराणिक युग में चूंकि हमारी अपनी ''संस्कृत भाषा'' हमारे समूचे संवेदन का एकमात्र माध्यम थी, इसलिए ''अमर कोश'' नामक ग्रंथ की रचना हुई। जिसमें तत्सामयिक शक्तियों व विद्याओं के अनुकूल कई शब्दों के भावानुक्रम में अर्थभेद दिए गए हैं।

थिसारस ''शब्दों'' को परिभाषित नहीं करता बल्कि वह संदर्भों के साथ चलते हुए अर्थछायाओं, विचारों, कल्पनाओं के आसपास की खोज से शब्द देता है! कह सकते हैं कि वह सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों में स्थापित व्यंजनाओं व लक्षणाओं को अभिधा में रूपांतरित करता है।

विचार या भावधारा के नजदीकी संबंधसूत्रों की तलाश में संयोजित शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध वर्गीकरण थिसारस कहलाएगा जो शब्द संपदा की समृद्धि के मकसद से ही नहीं, बल्कि लेखक या प्रयोजनकर्ता के जिज्ञासु, ज्ञानपिपासु व समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सही संदर्भ व अर्थछाया के प्रयोग को सुनिश्चित करने का आधार भी प्रस्तुत करता है। ''शब्द'' तो अपने अर्थकाल के साथ समाज विशेष, समुदाय विशेष या संस्कृति विशेष का पूरा इतिहास समेटे होते हैं। किसी भी शब्द को संदर्भ से कटकर अर्थवत्ता प्राप्त नहीं होती। एक ही शब्द अक्सर अलग-अलग संदर्भ में अपने विकासक्रम की सांस्कृतिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अलग-अलग अर्थछाया लेकर प्रकट होता है और ''थिसारस'' में इन्हीं अर्थछायाओं के समूहीकरण का प्रयास किया जाता है।

चित्र-विचित्र जिंदगी के विभिन्न लेखन क्षेत्रों में विविधता या बहुरंगीपन लाना, लेखन कला की एकरसता को दूर करना,

*ए/12, दीपसागर, रिजेन्सी होटल के सामने, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069

2082 HA/04—4

एक जैसे अर्थों का भ्रम देने वाले शब्दों में संस्कृति व इतिहास व काल के दर्पण दिखाने वाले अर्थभेद से वाकिफ कराना, अर्थभेद जो कई बार आपके मूल्यों को ही परिवर्तित कर देते हैं। अब आप कहें कि "मूर्ति" और "प्रतिमा" में क्या फर्क है। फर्क है, दोनों निर्जीव होते हुए भी एक में थोड़ी जड़ता का भाव है, दूसरे में संवेदनशील क्रियमाण विश्ववासों का अहसास। "मूर्ति" इतिहास-बोध या कलाबोध जगा सकती है। किंतु "प्रतिमा" में काल, धर्म व कला के अलावा श्रद्धा सूचक या गरिमासूचक अर्थ समाए हुए हैं। अभिव्यक्ति चाहे "राष्ट्र की प्रतिमा" या "संगठन की प्रतिमा" हो या किसी बड़ी नामी कंपनी के उत्पाद की या फिर किसी महापुरुष की ही प्रतिमा क्यों न हो - हम जब कहते हैं कि स्व. श्री शंकरलाल जी की "मूर्ति" का अनावरण किया गया तो उस अर्थ में श्रद्धा तो अवश्य है किंतु व्यक्ति के महापुरुषत्व व मूल्यस्थापक समाजसेवी आदि होने की झलक नहीं। किंतु जैसे ही कहते हैं कि डॉ. अंबेडकर की "प्रतिमा" का अनावरण किया गया तो मानो संविधान निर्माता दलित-उद्धारक त्यागमयी श्रमजीवी व्यक्तित्व हमारे सम्मुख साकार होने लगता है। यही है शब्दों के चुनाव का कमाल। यह कमाल यूं तो परिपक्व लेखन कला की सहज स्वाभाविक मति से आना लाजमी होता है, पर कभी-कभी तो बड़े से बड़ा सर्जक भी अपने लेखन में शब्दों को लेकर अटक जाता है। अपनी रचना धर्मिता में शब्द के सही चुनाव के लिए छटपटाने लगता है। दूसरा उदाहरण देखें—क्या रामलीला या कृष्णलीला को "नाटक" कहा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि नाट्यविद्या कितनी बहुरूपी व विशाल है-गीति-नाट्य, मंच-नाटक, पाठ्य-नाटक, एक-पात्रीय-नाटक आदि कई विभेद हैं। भरत के नाटय-शास्त्र से देखें तो उसमें नृत्य वं संगीत भी अपने विविध रंगों में शामिल हैं। किंतु "लीला" शब्द कितना अलग है! बावजूद इसके कि "नाटक" की अवधारणा में समाहित सारे तत्व भी इसमें मौजूद हैं। ईश्वरीय नायकत्व के आदर्श को स्थापित करते हुए भी मनुष्य को अपने अभिसंस्करण के अवसर देने वाली "लीला" मानो देवत्व से कुछ सीखने की, अनुकरणीय होने की प्रेरणा देती है। नाटक तो पहले लिखा होता है। फिर घटित होता है, जबकि लीला पहले घटित हो चुकी होती है फिर लिखी जाती है।

शब्दों के प्रयोग की सटीकता की परख करने के लिए जीवन के अनुभवों से प्राप्त दृष्टिकोण का पैनापन, विश्लेषण शक्ति, समाजशास्त्रीय आधार, इतिहासबोध व अर्थदृष्टि या भविष्यदृष्टा की सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से जीवन के बहुविध रंगों की परख कर समाजशास्त्रीय मूल्यों और अपनी वैचारिक मान्यताओं के धरातल पर उनका सजीव पुनः प्रस्तुतीकरण करता है, इसलिए भाषागत-सटीकता व विविधता उसमें सहज प्राकृतिक गुण से आ जाती है। यही विविधता सही मायने में साहित्यकार होने की कसौटी होती है।

साहित्यिक व सामाजिक संप्रेषण की जरूरतों के साथ आज निरंतर विकसित होते विविध कार्यक्षेत्रों में भी देशी भाषाओं का बहुआयामी अर्थभेदों के साथ समृद्ध होना जरूरी हो गया है। संपर्क भाषा या मनोरंजन यानी गीतों, फिल्मों आदि की भाषा में अभिव्यक्ति का उबाऊपन और एकरसता उस भाषा को कभी टिकाऊ नहीं बना सकता। इसलिए आमफहम बोलचाल की भाषा भी दिनोदिन बहुरंगी होती जा रही है। अपने निर्धारित स्तर से कहीं ऊंची बिसात पाने लगी है—शिक्षा व दूरदर्शन के जरिए सामाजिक संप्रेषण के इस माध्यम में, खासकर हिंदी भाषा में, पिछले दिनों गजब का प्रसार हुआ है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले देशी बुनियाद के सारे बाल वर्ग की बोलचाल की भाषा न केवल सहज व अनायस संप्रेषण माध्यम के रूप में विकसित हुई है बल्कि मुहावरेदार व लच्छेदार भी बन गयी है। अहिंदी भाषी परिवारों के आठ-दस वर्ष के बच्चे भी खेल-खेल में कह उठते हैं—"मैं तुझे नानी याद दिला दूंगा" या "तू सेर तो मैं सवा सेर" आदि। "पिताश्री", "माता श्री" तथा "राष्ट्र" और "एकता" की धारणाओं से क्रमशः "महाभारत" और "चाणक्य" जैस धारावाहिकों ने बाल-मन को भी परिचित करा दिया है।

इसी क्रम में तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी ने अपने लहजे को अर्थभेदों के माध्यम से बहुमुखी स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह प्रयास हालांकि प्रारंभिक स्तर का है किंतु अन्य क्षेत्रों में समृद्धि के स्तर छूते ही यह दिशा भी अपने आप जरूरतों के मुताबिक विकास करेगी। जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है यदि शब्दिक बहुरंगीपन न हो तो जनमानस का प्रकाशन से रिश्ता हो ही नहीं सकता। तरह-तरह के शब्दों के प्रयोग से सटीकता का छोर पकड़ते हुए भी जनसामान्य की चेतना जगाना, यही तो है पत्रकारिता की कसौटी।

राष्ट्रव्यापी संपर्क सूत्रता के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ हमने पिछले चार-पांच दशकों से हिंदी को बतौर राजभाषा यानी देश के अंतरिक प्रशासन की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने व विकसित करने की कोशिश की है। जैसा

कि हम सभी सुपरिचित हैं; अधिकांश कोशिशें अंग्रेजी में बने बनाए कानून, गढ़े तौर-तरीकों व अंग्रेजी शासन से उधार ली गयी दफ्तरशाही के रूप में हैं।

विडंबना यह है कि लगभग 50 वर्षों में हमने इसी अंग्रेजी की बुनियाद पर चलते हुए हिंदी को प्रतिस्थापित करने की जी-तोड़ कोशिश की। इस कोशिश में अंग्रेजी की कार्यालयीन शब्द-संपदा की परिछाया में कई बार तो हम अपनी पारंपरिक कार्यपद्धतियों के मूल शब्दों तक को भूल गए और शब्द गढ़ने व मढ़ने के कई भगीरथ प्रयास कर डाले। ''शब्द खोज'' व ''समकक्ष शब्द प्राप्ति'' की दौड़ पूरी कर लेने के बाद आज करीब 50 साल बाद हम उलझ गए हैं। ''शब्दों'' की ''सटीकता'' को लेकर, अंग्रेजी में उपलब्ध विविधता को हिंदी में उतार पाने को लेकर, इसी संदर्भ में अब कार्यालीन शब्दावली के लिए एक अलग थिसारस की कल्पना और उसका विकास बहुत जरूरी हो गया है।

अत: मैं प्रशासनिक व वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र के कुछ शब्द-समूह यहां प्रस्तुत कर रही हूं, ये शब्द-समूह थिसारस निर्माण की प्रक्रिया में शुरूआती प्रयास मात्र हैं - एक दिशा-संकेत की तरह। इस प्रयास और निर्माण के पीछे मेरे निम्नलिखित मकसद हैं :

(1) अंग्रेजी के अर्थभेदों के आधार पर हिंदी के भेद दिखाना।

(2) शब्द सामान्यतया दफ्तरी किस्म के हैं, इसलिए कई बार सामान्य से लगने वाले शब्द भी समाविष्ट हैं। किंतु उनके अर्थ केवल दफ्तरी संदर्भ में हैं।

(3) क्रमबद्धता में बुनियादी सोच POSITIVITY का है। दफ्तरी कार्यों का विकास-क्रम कैसे धीरे-धीरे शब्दों को समेटेगा। जैसे VIOLATION से पहले जानना जरूरी है MISTAKE. इसी तरह PERIODICITY की धारणा से पूर्व AGREEMENT या SCHEME के समूह होने जरूरी हैं।

(4) हालांकि मद (3) में बतायी गयी क्रमबद्धता लेखिका की अपने ''सोच'' का नतीजा है इसमें अन्य आधारों के आश्रय पर सुधारों, परिवर्तनों और संशोधनों की भी पूरी गुंजाइश है।

(5) मकसद केवल यह बताना है कि जितने वैभिन्य व अर्थभेदों से हम सभी अंग्रेजी भाषा की सटीकता व सजीवता बनाए रखने का दंभ भरते है, हिंदी में उससे कई गुना अधिक अर्थभेद सामर्थ्य है। हमारे दफ्तरी मुहावरों में, जो कि मूलत: अंग्रेजी की तकनीकी शब्दावलियों के आधार पर गढ़े गये हैं, किसी तरह की एकरसता और उबाऊपन होना प्रयोगकर्ता का दिमागी दिवालियापन दर्शाता है। इस विषय विशेष को लेकर भविष्य में बनायी गयी 'थिसारस' राजभाषा हिंदी के प्रयोग के पूरे कार्यक्षेत्रों में क्रांति ला सकती है, क्योंकि आज हर सामान्य कर्मचारी की शाब्दिक संपदा को समृद्ध करने की आवश्यकता तो महसूस होती है किंतु कोई जेबी-संस्करण तक उपलब्ध नहीं है। छोटी-सी संदर्भ पुस्तिका के रूप में कार्यालयीन शब्दावली की 'थिसारस' उसकी कई मुश्किलें आसान कर सकती है। इसका एक और भी मकसद है। थिसारस हमें चेतावनी देता कि यदि CRITICISM भी समीक्षा है, REVIEW भी समीक्षा है तो सही मायने में ''समीक्षा'' क्या है? वह ऐसे शब्दों के ढुलमुल प्रयोग पर अंकुश लगाती है। अब अंग्रेजी के बलबूते पर चलना यदि हमारी नियति नहीं है तो ''हिंदी थिसारस-निर्माण'' की दिशा में सक्रिय होना भाषाविदों, विद्वानों और भाषा-व्यवहार व विकास से जुड़े सभी पक्षों, मंचों व आयोजनों के लिए एक सामयिक और अनिवार्य चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करना होगा।

थिसारस-निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही शुरूआती प्रयत्न के रूप में ये शब्द-समूह दिए गए हैं, महज दिशा संकेत के तौर पर। थिसारस-निर्माण एक वृहद, गुरूतर और बहुत ही जरूरी कार्य भी है, जो हमें करना है—

Checking	जाँच
Inspection	निरीक्षण
Verification	सत्यापन
Investigation	अन्वेषण
Observation	पर्यवेक्षण
Oversee	अवलोकन/संवेक्षण
Examination	परीक्षण
Research	शोध/अनुसंधान
Promotion	उन्नति
Progress	प्रगति
Development	विकास

Increase	बढ़ोत्तरी	Terms	निबंधन
Growth	वृद्धि	Conditions	शर्त
Augmentation	संवर्धन	Stipulation	अनुबंध
Relief	राहत	Provision	प्रावधान
Relaxation	ढ़ील	Income	आय
Concession	रियायत	Proceed	आगम
Rebate	छूट	Receipt	प्राप्ति
Discount	बट्टा	Revenue	राजस्व
Reduction	कटौती	Receivable	प्राप्य राशियां
Compensation	क्षतिपूर्ति	Inflow	आगमन
Reimbursement	प्रतिपूर्ति	Benefit	हित
Grant	अनुदान	Profit	लाभ
Acceptance	स्वीकृति	Expected	प्रत्याशित
Permission	अनुज्ञा	Desired	अपेक्षित/वांछित
Approval	अनुमोदन	Required	जरूरी
Sanction	मंजूरी	Intended	अभिप्रेत
		Implied	आशयित

हम चाहते हैं कि भारती की सब प्रान्तीय भाषाएं, जिनमें सुन्दर साहित्य सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर (प्रान्त) में रानी बनकर रहें और आधुनिक भाषाओं के घर की मध्यमणि हिंदी भारत में भारतीय होकर विराजती रहें।

—रविन्द्र नाथ टैगोर

मैथिलीशरण गुप्त—संस्मरण

—डॉ. सुधेश*

3 दिसम्बर, 1955 की वह शाम मुझे कभी नहीं भूलेगी, जब पहली बार मैंने उनके दर्शन किये थे। नार्थ एवेन्यु (नई दिल्ली) स्थित उनके निवास स्थान पर मैं अचानक जा पहुंचा। द्वार पर दस्तक दी, तो उनके सबसे छोटे भाई चारु शीला शरण ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वृद्ध सज्जन कम्बल ओढ़े कुर्सी पर बैठे थे। उस कम्बल-धारी व्यक्ति से मैं पूछ बैठा—'क्या गुप्त जी अन्दर हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं।' पर जब उन्होंने अपनी सहज मुस्कान के साथ कहा—'आओ महाराज! मैं ही मैथिली शरण हूँ' तब मुझे विश्वास करना ही पड़ा। उनके चित्रों से उनके बाह्य स्वरूप की मैंने जो कल्पना की थी, उस से एकदम विपरीत लगा उनका व्यक्तित्व। न वहाँ गाँधी टोपी थी, न जाकेट, न लम्बा कोट, बल्कि एक नंगा सिर और उसके नीचे एक मोटा सा कंबल। पहले जब उन्हें देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मैं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के सामने खड़ा हूं। पर जब उन्होंने कहा—'मैं ही मैथिलीशरण हूं' तो मेरी कल्पना को धक्का लगा।

'महाराज' शब्द कुछ अटपटा सा लगा। बाद में मालूम हुआ कि यह उनका 'तकिया कलाम' है। अभिवादन कर मैं कुर्सी पर बैठ गया और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वे उस साल मुंबई में आपरेशन कराने गये थे, जिस से कुछ लाभ हुआ था, पर दुर्बलता शेष थी। जिस सहजता से बातचीत के दौरान वे 'महाराज' शब्द का बार-बार प्रयोग करते थे, वह मनमोहक थी। राजधानी की कृत्रिमता का कहीं नामो-निशान तक नहीं था। उनके व्यवहार से ऐसा लगा कि वे राजधानी में रह कर भी मानो चिरगांव में हों।

औपचारिक बातों के बाद मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगी, जिसकी स्वीकृति तुरंत मिल गई। मेरा पहला प्रश्न था—'आप अपनी सर्वप्रिय और सर्वोत्कृष्ट रचना किसे मानते हैं?'

'यह प्रश्न बहुत से लोगों ने मुझ से पूछा है, लेकिन मैंने इस पर विचार ही नहीं किया। यह विचार करना और निर्णय करना तो दूसरों का काम है। लोगों ने 'साकेत' और 'यशोधरा' को बहुत पसन्द किया है। इसलिए मैं भी 'साकेत' और 'यशोधरा' को अपनी अच्छी रचनाएं समझता हूं।' कुछ देर मौन के बाद मैंने फिर पूछा—'साकेत' का नायक आप किसे मानते हैं?'

उन्होंने तुरंत उत्तर दिया—'साकेत को।'

मैं इस अप्रत्याशित उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। मैं उन्हें आगे कुरेदना चाहता था पर उन्होंने अपनी बात का स्वयं स्पष्टीकरण दिया :—

मैं 'साकेत' का नायक साकेत को इसलिए मानता हूं कि 'साकेत' में सब के दर्शन हो जाते हैं, राम के, सीता के, लक्ष्मण तथा उर्मिला के। हमारे लिए सब पूज्य हैं इसलिए 'कहत छोट बड़ लागहि दोषू'।

यह उत्तर मुग्ध करने वाला था। मैथिली शरण जी रामभक्त पहले थे, कवि बाद में। राम, लक्ष्मण, सीता उर्मिला में भेद करना उन्हें रुचता नहीं था। यह राम के प्रति उन की प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक था। यह उत्तर वही व्यक्ति दे सकता था, जिसने अपने जीवन दर्शन को इन दो पंक्तियों में साकार कर दिया हो :—

राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है
कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।

'साकेत' के नवम् सर्ग के बारे में यह पूछने पर—'नवम् सर्ग के गीत क्या समय-समय पर लिखे गये गीत हैं', उन्होंने बताया—'नवम् सर्ग के गीत एक ही काल में

*ए-34, न्यू इण्डिया अपार्टमेन्ट्स, रोहिणी, सैक्टर-9, नई दिल्ली-110085

2082 HA/04—5

रचे गए हैं, हां कुछ गीत बाद में जोड़ दिए गए। अधिकांश गीत एक ही समय लिखे गए।'

मेरा अगला प्रश्न था—'गद्य में भी आप ने कुछ लिखा है?'

'नहीं, कभी कोई संस्मरणात्मक लेख लिखा हो तो बात दूसरी है।'

गुप्त जी ने उसी वर्ष श्रावण के महीने में 70वें वर्ष में प्रवेश किया था। मैं जब चलने लगा तो गुप्तजी ने कहा—'आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिए।' यह सुनकर सकपका गया, पर विनम्रता से बोला—'ये तो आप ने मेरे शब्द छीन लिए।'

वे मुझे पहली भेंट में ही सरल, निश्छल, सहृदय, निरभिमानी व्यक्ति लगे। उन में मानव एवं साहित्यकार का सुंदर समन्वय हुआ था।

कुछ महीनों बाद 12 मई, सन् 1956 को मैं गुप्तजी से दूसरी बार मिला। जाने से पहले मैंने उन्हें पत्र द्वारा अपने आने की सूचना दी थी। अतः मुझे देखते ही वे बोल उठे—'सुधेश जी हैं। आइये।'

पिछली बार जब उनसे मिला था तो शरीर से बड़े दुर्बल लगे थे, लेकिन अब वे काफी स्वस्थ्य जान पड़ते थे। जब मैं उनसे बातचीत शुरु करने लगा तो वे टालने की कोशिश करने लगे, जो उनके संक्षिप्त उत्तर और 'हां' या 'नहीं' से स्पष्ट था। बातचीत के दौरान मैंने पाया कि वे बातचीत में ढीले थे अर्थात् उत्तर जितना संक्षेप में हो उसे दे कर अपनी जान जल्दी छुड़ाना चाहते थे। उनसे अनुमति ले कर गया था, फिर यह क्यों? संभव है कि शाम के समय थके हुए हों।

मैं डरते-डरते पूछ बैठा—'आपको आरंभ में किन कवियों एवं लेखकों से प्रेरणा मिली?'

'वैसे तो मुझे किसी से प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही।'

मुन्शी अजमेरी के बारे में उनसे कुछ विशेष जानना चाहता था, लेकिन गुप्त जी ने इतना ही बताया—

'मुन्शी अजमेरी से मेरा परिचय आठ नौ वर्ष की अवस्था में हुआ था। अब उन को शरीर छोड़े उन्नीस वर्ष हो गये हैं। 25 मई 1937 ई. में उनका देहांत हुआ। मुन्शी अजमेरी मुसलमान थे लेकिन हिंदी से विशेष प्रेम रखते थे और 'प्रेम' उपनाम से हिंदी में कविता लिखते थे।'

इतना कह कर गुप्त जी चुप । मैं उन से मुन्शी अजमेरी के बारे में कुछ और सुनना चाहता था, पर वे चुप थे। वस्तुतः वे वृन्दावन लाल वर्मा की तरह बातूनी नहीं थे। जितना बताया, वह भी बहुत था। मैंने सुन रखा था कि मुन्शी अजमेरी उनके घर जाया करते थे और कविता के बारे में चर्चा किया करते थे। अपने प्रेरक के रूप में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का तो नाम लिया पर मुन्शी अजमेरी का नहीं, जबकि अजमेरी उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे। जब मैंने देखा कि वे मुन्शी अजमेरी के बारे में बात करते हुए सकुचा रहे थे, तो मैंने अजमेरी के बारे में बात आगे नहीं बढ़ाई। शायद एक संकोच उनके स्वभाव का अंग था।

मैंने प्रश्न बदला—'आप के प्रिय लेखकों में कौन कौन लेखक हैं?'

उनका उत्तर उनके स्वभाव के अनुकूल था—'मुझे तो सभी प्रिय लगते हैं। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास किस को प्रिय नहीं होंगे? फिर मैंने कभी यह सोचा नहीं कि मेरे प्रिय लेखक कौन हैं।'

'आपने पाश्चात्य साहित्यकारों में से किन को पढ़ा है?' अगर मैं यह प्रश्न किसी अन्य लेखक से करता तो वह दुनिया भर के पश्चिमी लेखकों के नाम ले देता, चाहे उन्हें उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा था। पर मैथिली शरण तो मैथिली शरण थे। मासूमियत से बोले—'मैं अंग्रेजी तो जानता नहीं। सौ दो सौ शब्दों को जानने से क्या होता है? मेरा अंग्रेजी का ज्ञान नहीं के बराबर है।'

मैं उनकी निश्छलता, सरलता पर मुग्ध हो गया। सोचा कि प्रश्नोत्तर की गाड़ी अब रुकी । मैं चुप बैठा रहा। गुप्त जी को लगा कि कुछ तो उत्तर देना होगा। तो उन्होंने कहना शुरु किया—'मैंने हिंदी के माध्यम से कुछ पाश्चात्य लेखकों को पढ़ा है, हिंदी के माध्यम से भारतीय भाषाओं के कुछ लेखकों को भी पढ़ा है। रवींद्रनाथ और शरत मुझे बहुत प्रिय लगे और माइकेल मधु सूदनदत्त की पुस्तक का तो मैंने 'मेघनाथ बध' के रूप में हिंदी रूपांतर किया।'

'अच्छा, आप की 'भारत भारती' का प्रेरणा स्रोत क्या है?'

'भारत भारती' मैंने हाली के मुसद्दस से प्रभावित होकर लिखी है, भूमिका में मैंने इस बात की चर्चा की है।

गुप्त जी ने शुरू में ब्रज भाषा में भी कविता लिखी थी, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। मैने पूछा—'ब्रज भाषा की उन रचनाओं को आप ने पुस्तकाकार प्रकाशित कराया है क्या?'

उत्तर मिला—'नहीं, वह तो बचपन की चीज़ थी। उसका अब कोई चिह्न बाकी नहीं है।'

मेरी अगली जिज्ञासा थी—'इस वैज्ञानिक युग में जब कि विज्ञान मनुष्य को मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है और आलोचक भी घोषणाएं करते हैं कि कविता ख़तरे में है, आप के विचार में कविता का भविष्य कैसा है?' सवाल सुन कर गुप्तजी कुछ गंभीर हो गये और सोच कर बोले—'समय बड़ी शक्ति है। किसी चीज़ के भविष्य का निर्णय हम नहीं कर सकते, बल्कि समय स्वयं करता है। यदि विज्ञान ने कविता का गला घोंट दिया तो अन्य ललित कलाओं का क्या होगा? उनका भी अंत हो जाएगा। ....लेकिन फिर ऐसा समय आएगा जब कोई बाल्मीकि पैदा होगा और लोग फिर कविता की पूजा करने लगेंगे।'

मैं सोच रहा था कि उन की बात पूरी हुई। अब आगे क्या पूछा जाए? पर मैथिलीशरण जी फिर बोले—'वैसे तो कुछ दार्शनिकों ने दया को कायरता बताया है लेकिन फिर भी दुनिया में दयालु रहेंगे और निर्दय भी। इसी प्रकार जब तक दुनिया है कविता भी रहेगी और कविता से ब्रह्मानंद की अनुभूति ग्रहण करने वाले भी।'

उन्होंने मेरे प्रश्न का सम्यक् उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर दिया। यही प्रश्न मैंने अपने एक पत्र में बच्चन जी से किया था, जिसके उत्तर में उन्होंने लिखा था 'क़ब्ल अज़ वक्त बावेला नहीं करते' (अर्थात वक्त से पहले शोर नहीं मचाते)।

मैं गुप्त जी से पूछ बैठा—'आजकल आप क्या लिख रहे हैं?'

उनका उत्तर था—'हम तो अपना काम समाप्त कर चुके। अब सत्तर वर्ष की अवस्था में कुछ लिखने-पढ़ने को जी नहीं चाहता। वैसे जीवन भर मैं इधर-उधर सैर ज़्यादा करता रहा, पढ़ने-लिखने में मेरा मन कभी नहीं लगा। लेकिन अब एक बहुत पुरानी रचना का परिष्कार करना चाहता हूं।'

उस पुरानी रचना का उन्होंने नाम नहीं बताया। उन की बात से लगा कि वे बहुत पढ़ाकू नहीं रहे। इस भेंट में तो वे मुझ से यह कह गये थे—'महाराज! मैं लिखा-पढ़ा आदमी नहीं हूं।' यह उन की विनम्रता थी, पर मैं इतना अविनयी नहीं हो सकता था कि उनसे पूछता कि 'आप कितने लिखे-पढ़े हैं?' अर्थात किस कक्षा तक शिक्षा पाई है? ज्ञान का स्कूल कालेज की शिक्षा से अनिवार्य संबंध नहीं है। पर जो ज्ञानी है, वह कहता है कि 'मैं तो अज्ञानी हूं' और जो अज्ञानी है वह सुक़रात का बाप बनता है। मैथिली शरण गुप्त उन वैष्णव कवियों की श्रेणी में आते हैं जो 'विनयपत्रिका' लिखते हैं और जो कहते हैं—'मैं मूरख खल कामी'। इसलिए उन का यह कहना 'महाराज! मैं लिखा-पढ़ा आदमी नहीं हूं' उन की वैष्णव भक्ति की देन है। वह उन के स्वभाव की विनम्रता का तो सूचक है ही।

मेरा उस दिन का अंतिम प्रश्न था—'क्या आप अपने लेखन से संतुष्ट हैं?' उन्होंने बताया—'मैंने जो कुछ लिखा है उस से मुझे असंतोष नहीं है। पर मैं यह नहीं चाहता कि लोग मुझे काफ़ी समय तक पढ़ते रहें।'

लगभग एक घंटा तक मैं उनके निवास स्थान पर रहा। बातचीत के बीच में उनकी हंसी कमरे को गुंजित कर जाती थी। उन की हंसी उनके उन्मुक्त हृदय की सूचक थी। बनारसी दास चतुर्वेदी की तरह जब गुप्त जी हंसते थे तो दिल खोल कर हंसते थे। उस हंसी के पीछे उनकी निश्छलता, सहृदयता झांकती थी।

जब मैं चलने को उठा तो उन्होंने उसी स्वाभाविक मुस्कान से मुझे विदा किया।

गुप्त जी से हुई एक और भेंट का मुझे स्मरण आ रहा है। वृन्दावन लाल वर्मा जी के कहने पर मैं उनसे मिलने उनके आवास पर गया और निवेदन किया कि डॉ. नगेंद्र को मेरे बारे में एक पत्र लिख दें ताकि दिल्ली के किसी कालेज में वे मेरी नियुक्ति कर दें। उन्होंने पत्र लिख कर मेरे हाथ में दे दिया। डॉ. नगेंद्र ने वह पत्र देख कर मुझे लौटा दिया और मेरी नियुक्ति किसी कालेज में नहीं की। वह पत्र मेरे पास अब तक सुरक्षित है। राष्ट्रकवि के हस्ताक्षर और उनकी हस्तलिपि उन की स्मृति के चिह्न हैं। उनसे मेरी अंतिम भेंट वही थी। ■

ईसा पूर्व पाँचवीं सदी का महान गृह-वैरागी संत—विमल कीर्ति

*—डॉ. पवन कुमार खरे**

विमल-कीर्ति एक अदभुत प्रतिभाशाली संत थे। वे लिच्छवी वंश में पैदा हुए थे। वे वैशाली नगर के पास आम्रपाली वन में अपने भव्य महल में रहते थे। उनकी पत्नी, एक बेटा और कई दास-दासियाँ थी। वे भगवान बुद्ध के परम प्रिय शिष्य थे। संसार के समस्त प्रकार के वैभव से परिपूर्ण गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वे साधारण संसारी मनुष्यों से पूर्णत: भिन्न थे। वे बाजार, विद्यालय, मद्यालय, जुआघर एवं भीड़ में सामान्य जन होकर गुजरते थे और धर्म की शिक्षा देने हेतु वे सामान्य जन के बीच जाया करते थे। उनका हृदय संसार की विषय वासनाओं और पद प्रभुताओं से पूर्णत: निर्लिप्त था। वे महान आत्मा वाले गृह-वैरागी संत थे। लोग उन्हें गृहपति के नाम से पुकारते थे। उनका बुद्धित्व निष्कलुष था।

जीवन की अंतिम अवस्था में जब वे बीमारी से ग्रसित हुए, मृत्यु के द्वार पर पड़े-पड़े उनके मन में विचार आया कि मैं यहाँ पर इतना अस्वस्थ हूं फिर भी तथागत भगवान ने मेरा हाल पूछने के लिए क्यों किसी को नहीं भेजा?

जेतवन में बैठे महात्मा बुद्ध ने पीड़ित अन्तर्मन की जब करुण पुकार सुनी तब उन्होंने अपने पास बैठे दस प्रमुख शिष्यों में से प्रत्एक से विमल कीर्ति के पास जाने के लिए कहा लेकिन हर कोई न कोई कारण बतलाकर उनके पास जाने के लिए मना करता रहा। विमल कीर्ति बहुत ही मेधावी एवं वाक्पटु थे। उनके शास्त्रार्थ के सामने कोई टिक नहीं पाता था। भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण माने जाने वाले शिष्य महाकाश्यप, मोदगलायन, आनंद, सारिपुत्र और उनका बेटा राहुल जो सभी बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे, विमल कीर्ति से शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके थे।

विमल कीर्ति के द्वारा कथित निर्देश सूत्र जिनमें मानव जीवन का सत्य और सौंदर्य झलकता है, महायान बौद्ध साहित्य में कोहिनूर के समान माने गए हैं, लेकिन इन बहुमूल्य सूत्रों की मूलसंहिता कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पाँच सौ वर्षों तक उनके सूत्रों का कोई पता नहीं चला लेकिन ईसा पूर्व पहली सदी में नागार्जुन ने महायान परंपरा के ग्रंथों को खोज निकाला। उन्हीं में से एक था विमल कीर्ति निर्देश सूत्र। इन सूत्रों का चीनी भाषा में और फिर तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया लेकिन मूल संस्कृत सूत्र खो गया। अनुवाद के द्वारा ही इनकी जानकारी मिलती रही।

भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने शिष्य आनंद से विमल कीर्ति के पास उनका हाल जानने के लिए, जाने को कहा। आनंद विमल कीर्ति के पास न जाने का कारण बतलाते हुए कहता है कि हे प्रभु! एक दिन जब आपकी काया ग्लानि में थी आपको दूध की आवश्यकता थी, तब मैं सुबह से ही भिक्षापात्र एवं धीवर धारण कर वैशाली में एक ब्राह्मण के घर गया। वहाँ पर जब मैंने दूध की भिक्षा मांगी तो विमल कीर्ति ने मेरे पाँवों पर मस्तक रखकर अभिवादन किया और पूछा :

भदंत आनंद आप सुबह-सुबह यहाँ पर पात्र लेकर क्यों खड़े हो?

मैंने कहा तथागत की देह ग्लानि से ग्रसित है, उन्हें दूध की आवश्यकता है। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ।

विमल कीर्ति ने कहा, भदंत आनंद, ऐसा न कहें। भगवान की देह बज्र के समान है। जिस देह ने समस्त प्रकार की बुरी वासनाओं को नष्ट किया है और कुशल धर्मवासनाओं को अंगभूत भी किया है, फिर उसे दुख और कष्ट कैसा। एक चक्रवर्ती राजा, जिसकी जड़ें भलाई में कम होती हैं, वह भी रोगमुक्त होता है फिर तथागत के तो अनंत कुशल मूल हैं। अनंत पुण्य और ज्ञान का भंडार जिनके पास है, उन्हें रोग कैसे हो सकता है, तथागत ने अपनी काया को तप के द्वारा पवित्र कर लिया है। उनकी काया संसार के सुखों-दुखों से पूर्णत: निर्लिप्त, प्रतिक्रिया रहित है, लोकोत्तर है। असंस्कृत और नित्य शांत है। उसे आहार के द्वारा स्वस्थ नहीं किया जा सकता।

उसी समय मुझे अंतरिक्ष से निर्घोष सुनाई दिया

*79 विद्या नगर, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.)—456010.

"आनंद गृहपति ने तुझे जो कहा है, वह सत्य है। तथागत की असली काया रोग विहीन है। इसीलिए वे यह सब अभिनय दुखियों, दरिद्रों और दुराचारियों को अनुशासन देने के लिए करते हैं। इस कारण आनंद लज्जित मत हो। दूध लेकर घर वापिस चले जाओ। आनंद ने कहा कि हे तथागत! विमलकीर्ति प्रश्नों के उत्तर कुशलता से देते हैं। उनके उत्तर सुनने के पश्चात् मैं अवाक् हो गया। इस कारण मैं उनका हाल पूछने नहीं जाऊँगा।

इन संवादों के द्वारा विमल कीर्ति की अदभुत प्रबुद्धता दृष्टिगोचर होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए उन्होंने ज्ञानयोग और कर्मयोग को अपनाकर जो गृह-वैराग्य धारण किया वह वस्तुत: अद्भुत ही था।

आनंद के मना करने पर भगवान बुद्ध ने राजकुमार मंजुश्री से विमल कीर्ति के पास जाने के लिए कहा। राजकुमार मंजुश्री ने भगवान बुद्ध से पहले ही निवेदन कर दिया था कि मैं उनकी तेजस्विता के सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपके आशीष के बल पर मैं विमल कीर्ति के पास जाकर जरूर वार्तालाप करूंगा।

मंजुश्री और विमल कीर्ति के बीच का सम्वाद एक कहानी के रूप में महायान परंपरा के ग्रंथों में लिखा गया है। आठ हजार बोधिसत्व, पाँच सौ लोक पाल, सैकड़ों देवी-देवता राजकुमार मंजुश्री के साथ विमल कीर्ति के घर जाते हैं। इन सबने सोचा कि इन दोनों के संवाद में गहन चर्चा होगी, उससे हम क्यों वंचित रहें।

राजकुमार मंजुश्री और उनके दृष्य-अदृष्य कारवाँ को देखते ही विमल कीर्ति बोल उठे।

स्वागत है मंजुश्री, स्वागत है। तुम यहाँ बिना आए हुए आए हो। तुम प्रतीत होते हो, लेकिन तुम्हें देखा नहीं जा सकता। तुम सुनाई देते हो, बिना सुने हुए। मंजुश्री ने कहा गृहपति, जैसा आपने कहा, वैसा ही है। जो आता है, वह नहीं आता, क्यों? जो आता है वह वस्तुत: आता नहीं। जो जाता है वस्तुत: जाता नहीं।

विमल कीर्ति कहते है कि तुम यहाँ पर अपना अहम् लेकर आए हो, जिसके कारण तुम्हारे अंदर छिपा विराट् व्यक्तित्व दृष्टिगत नहीं हो पा रहा है। जिस रूप में तुम्हें आना चाहिए, उस रूप में नहीं आए। तुम्हारे अंदर जो नित्य शाश्वत रूप छिपा है, वह अहंवादी प्रवृत्तियों के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। उस नित्य शाश्वत को बिना आँखों के देखा जा सकता है, बिना कानों के सुना जा सकता है और अपने अंदर स्थित हुआ जाना जा सकता है। जब हमारा मन पूर्णत: ठहर जाए। इस कारण तुम बिना आए हुए आए हो प्रतीत होते हो। लेकिन देखा नहीं जा सकता। बिना सुने हुए सुनाई दे रहे हो।

इस तरह दोनों के बीच संवादों में बड़ी ही दार्शनिकता और रहस्यमयता दिखलाई देती है।

विमल कीर्ति का घर ही बुद्ध क्षेत्र बन गया था। महायान बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध क्षेत्र शून्य होते हैं । वे अपनी इच्छाओं का दमन करके जगकल्याण हेतु की कार्य करते हैं। बुद्ध क्षेत्र वैसे तो शून्य ही होते हैं, यदि वे दिखलाई देते हैं तो किसी ख़ास उद्देश्य से ही। अन्यथा सब कुछ शून्य और अद्वैत ही होता है।

विमल कीर्ति बाहर से भले ही संसारी पुरुष नजर आते थे। राग विलास में आकण्ठ डूबे हुए मालूम होते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के सभी शिष्य, जो कि सन्यासी तथा परिव्राजक थे, उनके आगे स्वयं को हीन अनुभव करते थे।

भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल को अहंकार हो गया था कि वह चक्रवर्ती राज्य छोड़कर अपने पिता के पीछे सन्यास ग्रहण कर तप साधना कर रहे हैं। जब विमल कीर्ति को राहुल के इस अंहकार का पता चला तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि राज्य त्याग देने से कभी भी प्रवज्या की भावना हृदय में उत्पन्न नहीं होती। जिस सन्यास और त्याग की पंडितों ने प्रशंसा की है, आर्यों ने जिसे परिग्रहण किया है, वह तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने पर ही मिलती है। प्रवज्या काम कीचड के ऊपर बनाया गया सेतु है जो अपने चित्त पर नियंत्रण रखता है, दूसरे चित्त की रक्षा भी करता है वही संसार के विविधाकर्षणों को अंतर्मन से त्यागकर वास्तविक सन्यास ग्रहण करता है।

विमल कीर्ति के आलीशान भवन में मनुष्यों की भीड़ ही नहीं रहती थी बल्कि देवी-देवता भी आते रहते थे। उस युग में पवित्र बुद्ध क्षेत्रों में अशरीरी आत्माओं का अनायास शरीर धारण करना आम बात थी। सारिपुत्र जो कि सबसे अधिक वृद्ध थे, लोग उन्हें स्थविर कहते थे। उनका भी एक देवी के साथ संवाद हुआ था। वह अधिक ज्ञानवान मालूम पड़ती थी। विमल कीर्ति के समय में ज्ञानी स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी। उनको बहुत अधिक सम्मान मिलता था।

महायान बौद्धों के धर्म साहित्य में विमल कीर्ति को अपने समय का सर्वश्रेष्ठ, प्रखर, ज्ञानी संत बतलाया गया है। विमल कीर्ति द्वारा कथित निर्देश सूत्रों में सत्य और सौंदर्य दानों का रमणीय संगम देखने को मिलता है। ■

2082 HA/04—6

विज्ञान

इंटरनेट और हिंदी साहित्य

—*डॉ. उत्तम पटेल**

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का है। प्रारंभ में इंटरनेट पर अंग्रेजी ही का बोलबाला था किंतु अब इंटरनेट पर हिंदी ने भी अपना प्रभुत्व जमा लिया है और अन्य भारतीय भाषाएँ भी अपने पैर पसार रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस हिंदी के द्वारा भारतीयों के लिए कंप्यूटर का उपयोग आसान कर दिया है। यही कारण है कि अब अंग्रेजी न जाननेवाले भी इंटरनेट के जरिये अपना काम आसानी से कर सकते हैं। हिंदी के वेब पोर्टल अलग प्रकार की जानकारी सुलभ करा रहे हैं। जैसे, समाचार, साहित्य, व्यापार, ज्योतिष, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। जिसके परिणाम स्वरूप यह जानकारी घर बैठे पा कर हम समय और शक्ति बचाकर, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। कुछ वेब पोर्टल हिंदी साहित्य की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। उनका विस्तृत परिचय निम्नलिखित है :—

1.www.litratureworld.com

इस वेब पोर्टल पर 100 से अधिक हिंदी साहित्यकारों का परिचय, पुरानी व नई अलग-अलग विधाओं एवम् अनुदित पुस्तकों की जानकारी है। 'पहला गिरमिटिया', 'किसान', 'खामोश! नंगे हमाम में हैं', 'कस्तूरबा', 'अज्ञेय संचयिता', 'आवाँ', 'समय सरगम', 'अंतिम अरण्य', 'नीलू नीलिमा नीलोफर', 'ययाति', 'कितने पाकिस्तान', 'जमुनी', 'कथा सत्तीसर', 'शेष कादम्बरी', 'सीता से शुरू', 'अरण्य गाथा', 'भ्रमरानंद का पचड़ा', 'क्याप', 'अगनपाखी', 'औरत की कहानी', 'निष्कासन', 'अकथ कथा', 'कस्तूरी कुण्डल बस', 'काशी का अस्सी', 'रक्तबीज', 'स्त्रीत्ववादी विमर्श', 'नीम का पेड़', 'मीडिया और बाजारवाद', 'रामो का भतीजा', 'गूंगी घंटियाँ' आदि की समीक्षाएँ, 'चीफ की दावत', 'चीलें' (भीष्म साहनी), 'एक प्लेट सैलाब' (मन्नू भंडारी), 'घटना'(विश्वजीत), 'चाँदनी' (भारतेन्दु विमल) आदि की कहानियाँ, *संस्मरण* स्तंभ के अंतर्गत विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, मृदुला गर्ग आदि के संस्मरण तथा केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, गगन गिल, पंकज बिष्ट, अवधेशकुमार सिंह, गिरिराज किशोर, ओमप्रकाश वाल्मिकी, राजेश जोशी आदि की कविता, पत्रिकारता, साहित्यकार, इतिहास, हिंदी भाषा का विकास आदि विषयक विचार भी प्राप्य हैं। तो भगवानदास मोरवाल, नंद किशोर नवल, शिवमूर्ति, भीष्म साहनी, पद्मेश गुप्त, सैलीना थीलमान, तैगन हाशीमोतो, नित्यानंद तिवारी, मन्नू भंडारी, नवनीता देव सेन आदि से दुर्लभ साक्षात्कार आप इस पर पा सकते हैं। समीक्षा के पुराने अंक भी इस पर उपलब्ध हैं। फोंट डाउनलोड करके यह पन्ना पढ़ा जा सकता है।

2.www.webdunia.com

इसे विश्व का पहला हिंदी वेब पोर्टल होने का सम्मान प्राप्त है। इसकी शुरुआत फरवरी, 1999 में हुई थी। यह हिंदी के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी उपलब्ध है।

साहित्य-सामग्री की दृष्टि से यह वेब साइट वैविध्यपूर्ण है। *साहित्य* के अंतर्गत इसमें समीक्षा, नाटक, कविता, आलेख, शख्सियत, साक्षात्कार, संस्मरण, लोक-साहित्य, पत्रिका आदि स्तंभ हैं। *पुस्तक* समीक्षा के अंतर्गत 'निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद' (सुधीश पचौरी), 'अपनी गवाही'(मृणाल पांडे), 'शेष कादंबरी'(अलका सरावगी), 'पितामह' (अमरनाथ शुक्ल), 'एक ओर नीलम'(नरेंद्र राजगुरू), 'सिंहासन का न्याय'(आलोक मेहता), 'खलीफों की बस्ती' (शिवकुमार श्रीवास्तव), 'यात्रा के शब्द' (कुन्दन माली), 'जहाँ लक्ष्मी कैद है' (राजेंद्र यादव), 'समग्र कहानियाँ'(नरेंद्र कोहली), 'नायक, खलनायक, विदूषक'(मन्नू भंडारी), 'खामोशी बोलती है'(भवानी प्रसाद सिंह) आदि अलग-अलग विधाओं की साहित्य रचनाओं की स्तरीय समीक्षाएँ उपलब्ध हैं। तो 'चित्रलेखा के अमर शब्द शिल्पी: भगवती चरण वर्मा',

**अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, श्री वनराज आर्टस एण्ड कॉमर्स कॉलेज, धरमपुर, जिला वालसाड-306050(गुजरात)*

'इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करती हिंदी कविता', 'नवगीत आंदोलन और नईम', 'मुक्तिबोध के सृजन से साक्षात्कार', 'अघोषित विद्रोह के कवि बच्चन', 'सुमन-नेहरू-संबंध', 'कालिदास: ललित कलाओं के प्रतिनिधि कवि', 'नागार्जुन:परंपरा से सार्थक संवाद', 'साहित्य की चुनौती और लेखक' आदि आलेख भी प्राप्य हैं। *शख्सियत* के अंतर्गत श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, सूर्यकांत नागर, टाल्सटॉय, बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन, जगदीश गुप्त, दिनकर, अलका सरावगी, अशोक चक्रधर, कैफी आजमी, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, स्वयं प्रकाश, अमृतलाल वेगड़, ज्ञानरंजन, पुश्किन, वी० ए० नायपॉल, मन्नू भंडारी, शिवपूजन सहाय, त्रिलोचन, तसलीमा नसरीन, खलील जिब्रान, बंकिमचंद्र चटर्जी, राही मासूम रज़ा, भगवतीचरण वर्मा, झुम्पा लाहिड़ी, मैक्सिम गोर्की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मंटो, हबीब तनवीर, सिमोन द बोवुआर, मोहन राकेश, मलयज, आबिद सुरती, ऑस्कर वाइल्ड आदि भारतीय एवम् पाश्चात्य साहित्यकारों का परिचय उपलब्ध है। *अन्यत्र* स्तंभ के अंतर्गत गालिब की गजलें, धर्मवीर भारती की 'क्योंकि', सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झांसी की रानी', बच्चन जी की 'मधुशाला', अटल बिहारी वाजपेयी, कैफी आजमी, अंशुमान अवस्थी, मीराबाई की कविताएँ तथा उर्दू की कविताएँ भी प्राप्य हैं। साथ में ममता कालिया की कहानियाँ भी उपलब्ध हैं।

नाटक स्तंभ के अंतर्गत 'वेणी संहार', 'इला' (प्रभाकर श्रोत्रिय), 'कोर्ट मार्शल' (स्वदेश दीपक), 'फाउस्ट' (गोइथे), 'चरणदास चोर'(हबीब तनवीर), 'निठल्ले की डायरी' नाटक एवम् उनकी समीक्षाएँ तथा जयपुर, भोपाल, दिल्ली, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद और मुंबई के हिंदी रंगमंच की गतिविधियों एवम् विकास का परिचय, 'कलायन' एवम् 'यवनिका' की नाट्य-प्रस्तुतियाँ तथा रोहिणी हट्टंगडी, उषा गांगुली, श्री राम लागू, गिरीश रस्तोगी एवम् सीमा विश्वास के नाट्यानुभव से हम परिचित हो सकते हैं।

लोक-साहित्य के अंतर्गत 'हो जाति के लोक-गीत' (डॉ० नर्मदेश्वर प्रसाद), 'आदिवासियों के लोक-नृत्य' (प्रो० आत्माराम जाधव), 'संथाली प्रेम-गीत' (अनु० रमणिका गुप्ता), 'भाषा, लोक और काव्य' (शैलेंद्र चौहान), 'मीणा जनजाति: पुरातात्विक परिपेक्ष्य में' (बी०आर० मीणा), 'आदिवासियों के जीवन का एक परिपेक्ष्य' (लक्ष्मण काबड़े), 'बुंदेली वैवाहिक परंपराएँ' (सुधा रावत) आदि संशोधनात्मक आलेख व लोकगीत उपलब्ध हैं।

कहानियाँ स्तंभ में लघु कथाओं के साथ-साथ हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की 'कफन', 'पूस की रात', 'नमक का दरोगा', 'दूध का दाम', 'ठाकुर का कुआँ', 'दो बैलों की कथा', 'सद्गति',, 'बड़े घर की बेटी', 'सवा सेर गेहूं'। मंटो की 'फुंदने', तथा इस्मत चुगताई की 'हिन्दुस्तान छोड दो', कहानियां इस वेब साइट पर उपलब्ध हैं।

कविताएं स्तंभ के अंतर्गत अग्रज पीढ़ी के नीरज, ऋतुराज, राजेश जोशी, वेणु गोपाल, नरेश मेहता, जफर गोरखपुरी, सीताकांत महापात्र, काजी सलीम, शाज तमकिनत, बशीर बद्र, कुंवर नारायण, अरुण मित्र, लीलाधर जगूड़ी, निदा फाजली, अशोक वाजपेयी, गेब्रिएला मिस्त्राल, येवोनी, येब्तुशेंको, अकबर इलाहाबादी, वली दकनी, सुमनजी, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नई पीढ़ी के ललित शुक्ल, विमल कुमार, दिनेश कुशवाह, शोभा दुबे, रघुवंशी, कात्यायनी, जया जादवानी आदि की कविताएं उपलब्ध हैं। रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, कैफी आजमी, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, विमल मित्र, देवेन्द्र सत्यार्थी, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त, आदि लेखकों से जुडे संस्मरण तथा दूधनाथ सिंह, मन्नू भंडारी, सूर्यबाला, सोम ठाकुर, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, कामतानाथ, मैनेजर पांडये, रामदरश मिश्र, नंदकिशोर नवल, अशोक बाजपेयी, आशापूर्णा देवी आदि साहित्यकारों के साक्षात्कार भी इस वेब साइट पर उपलब्ध हैं।

पत्रिकाएं स्तंभ के अंतर्गत 'साहित्य समाचार', 'अक्षर शिल्पी', 'कृति ओर', 'आकार', 'दिव्यालोक', 'सृजनपथ', 'सृजन परिपेक्ष्य', 'वसुधा', 'समयांतर', 'अभिव्यक्ति', 'सामान्यजन संदेश', 'पुस्तक वार्ता', 'युद्ध-रत आम आदमी', 'अभिनव प्रसंग', 'धरती', 'वागर्थ', 'परिचय', 'पहल', 'अकार', 'सनद', 'उद्भावना', 'साहित्य समीक्षा', 'संधान', 'अक्षर पर्व', 'कल के लिए', 'अलाव', 'प्रगतिशील आकल्प', 'समीक्षा', 'दायित्व बोध', 'शेष', 'साक्षात्कार', 'दलित साहित्य', 'उत्तर पूर्वांचल', 'शब्द शिल्पियों के आसपास', 'मनस्वी', 'आह्वान कैंपस टाइम्स', 'संबोधन', 'आश्वस्त', 'अंचल भारती',

'बहुवचन', और 'दाल रोटी', पत्रिकाओं की जानकारी (संपादक, प्रकाशक के पते तथा लेखसूची के साथ) प्राप्य हैं, तो जनचेतना का प्रगतिशील कथा मासिक 'हंस' तो ऑन लाइन उपलब्ध है। इसके अगस्त 2000 से अक्तूबर 2001 तक के पुराने अंक वेबदुनिया पर उपलब्ध हैं। पाठक वेबदुनिया पर अपना ज्ञान भी परख सकते हैं और अपनी रचनाएं भी भेज सकते हैं। वेब दुनिया पर उपलब्ध जानकारी आप प्रिंट कर सकते हैं और यदि चाहे तो मित्रों को ई-मेल के ज़रिये भेज सकते हैं। इस पोर्टल पर तरोताजा समाचार हर समय आप देख-पढ़ सकते हैं।

3. www.hindinest.com

यह भी हिंदी वेब साइट है। इस पर कहानियां, कविताएं, निबंध, लेखक परिचय, व्यंग्य, संस्मरण, सृजन एवं साहित्य-कोष संबंधी जानकारियां उपलब्ध हैं। लगभग 100 से भी अधिक प्रसिद्ध तथा कुछ उभरते साहित्यकारों की कविताएं तथा कहानियां इस पर उपलब्ध हैं। जिनमें धर्मवीर भारती, जया जादवानी, नीलम जैन, नंद भारद्वाज, अखिलेश सिन्हा, दिविक रमेश, लक्ष्मीनारायण गुप्त, नीरज माथुर, मनीषा कुलश्रेष्ठ, सुधा रानी, शरद आलोक, रति सक्सेना मुख्य हैं। पुस्तक विशेषांक में 'दारोश', 'बोधिवृक्ष के नीचे', 'छिन्नमस्ता', प्राप्य हैं। 'मुर्दों का टीला', (रांगेय राघव), 'क्याप' (मनोहरश्याम जोशी), 'आओ पेपे घर चलें' (प्रभा खेतान), 'आधे अधूरे' (मोहन राकेश), 'एक विद्रोही स्वर', 'जलपद्य' (तसलीमा नसरीन), 'तत्वमसि' (अलका सरावगी), 'डार से विछुडी' (कृष्णा सोबती), 'चित्तकोबरा' (मृदुला गर्ग), 'मेरी प्रिय कहानियां' (निर्मल वर्मा), 'लहरों के राजहंस' (मोहन राकेश), 'पंचकन्या', 'संजीव का कथा-संसार और खोज' आदि अलग-अलग विधाओं की पुस्तकों की स्तरीय समीक्षाएं प्राप्य हैं।

भक्तिकाल-धर्म स्तंभ के अंतर्गत 'अब्दुल रहीम ख़ानखाना, 'अमीराखुसरो : जीवन-कथा और कविताएं', 'कबीरः एक समाज-सुधारक', 'नानक-वाणी', 'भ्रमरगीत: सूरदास', 'कबीर की भक्ति', 'रसखान के कृष्ण', 'सूर और वात्सल्य रस', 'रामायण की विश्वयात्रा', 'मन वारिधि की महा मीनः मीराबाई', 'मीरां का भक्ति विभोर काव्य', 'भक्तिकालीन काव्य में होली', आदि विषयक विद्वतापूर्ण आलेख प्राप्य हैं।

सृजन स्तंभ में आंतकवाद, अफगानिस्तान, विदेशनीति, स्त्री-शक्ति आदि विषयों पर सामग्री हैं तो 'भारतीय संस्कृति' (डॉ० राजेन्द्र प्रसाद), 'हिन्दी कविता: रूमानियत के प्रति घटता आकर्षण' (वेद भारद्वाज), 'राजस्थानी गीतों में झलकता राजस्थान' (अनुपमा सिसोदिया), 'विहंगम यात्रा: पुष्पक विमान से माइक्रो लाइट तक', (विश्वमोहन तिवारी) आदि के निबंध। *दृष्टिकोण* स्तंभ में 'गुजरात में कौन जीता?', 'बापू और हिंन्दी', 'भारतीय फिल्में और समाज' तथा 'मीडिया और भारतीय स्त्री' विषयों पर विचार तथा 'गधा, घास और अमरीका', 'गंजे होने के लाभ', 'मइया मोहिं दाऊ बहुत खिजाया', 'सावधान!' संरकार सख्त कदम उठाने जा रही है' आदि व्यंग्य का लुत्फ़ भी आप उठा सकते हैं।

हिंदी के विद्वान अपनी रचनाएं—कविता, कहानी, आलोचनादि इस पर भेजकर अपना सहयोग दे सकते हैं।

4. www.jagransahitya.com

यह दैनिक जागरण समाचार पत्र का वेब पेज है जिसका शीर्षक है—*पुनर्नवा*। इसके अलग-अलग स्तंभ हैं। *कहानियां* स्तंभ के अंतर्गत 'रानी केतकी की कहानी' (इंशा अल्ला खां), 'उसने कहा था' (चन्द्रधर शर्मा गुलेरी), 'कफ़न' (प्रेमचंद), 'टोबा टेक सिंह' (मंटो), 'ज़मीर की आवाज' (अरनी रोबर्ट्स), आदि कहानियां, 'प्यारा बचपन' (प्रतिमा पांडये), 'खास आदमी का भय' (संजय कुंदन), 'लगा, कुछ हुआ रीता' (नरेन्द्र मोहन), 'अंधेरे तो हैं' (नरेन्द्र मोहन) आदि कविताएं, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का 'आनंदमठ' तथा शरत चंद्र चटर्जी का 'देवदास' उपन्यास संपूर्ण रूप में हिंदी में इस वेब साइट पर चित्र सहित प्राप्य हैं।

'क्रिकेट में हाकी' (खाक देहलवी), 'झंडुपुरा बनाम मंगल ग्रह' (खाक देहलवी), मैंया मोहीं विदेश बहुत भायो (प्रेम जनमेजय), 'लोकतांत्रिक परंपरा' (राजेन्द्र त्यागी), 'अफसर का कुत्ता' (संदीप सक्सेना), 'सूट की महिमा' (लालजी बाजपेयी), 'नहीं हुआ अभिनंदन समारोह' (कृष्णानंद चौबे) आदि व्यंग्य चित्रों एवं कार्टून सहित, महीपसिंह के 'उपेक्षा का शिकार साहित्यकार', 'साहित्य संसार में लघु पत्रिका', 'सामाजिक परिवर्तन और साहित्य', 'साहित्यकार की परख', 'अजातशत्रु थे भीष्म साहनी', विश्वमोहन तिवारी का 'रचनाशीलता को गंभीर चुनौती' तथा डॉ. कमल किशोर गोयनका का 'प्रेमचंद फिर हटे' आदि लेख आप पा सकते हैं।

साक्षात्कार स्तंभ के अंतर्गत 'मेरे समीक्षक मेरे पाठक हैं' (शिवानी), 'हिन्दी साहित्यकार को नोबल प्राइज नहीं मिलने के पीछे साहित्यिक माफिया जिम्मेदार' (अभिमन्यु अनंत), 'सच्चा लेखक विचारधारा का दास' (निर्मल वर्मा), 'तो संस्कृत की ज्यादातर रचना अश्लील हैं' (मनोहर श्याम जोशी), 'कविता अपने घर में होने का अचरज' (अशोक वाजपेयी), 'श्रोता नहीं कवि जिम्मेदार हैं' (राजेन्द्र त्यागी) आदि साक्षात्कार तथा परिचर्चा के अंतर्गत 'हिन्दी साहित्य और मुसलिम समाज' (डा. कमलकिशोर गोयनका), 'पुरस्कार में महात्मापन' (डा. गोयनका), 'साहित्य को जाति और वर्ग के आधार पर विभक्त करना कितना उचित?'' (डा. बलदेव वंशी)' आदि विषयों पर विद्वतजनों के विचार उपलब्ध हैं।

पुस्तक समीक्षा स्तंभ के अंतर्गत 'चर्चित कहानियां' (चित्रा मुदगल), 'सलाम आखिरी' (मधु कांकरिया) आदि अलग-अलग विधाओं की पुस्तकों की समीक्षाएं भी इस वेब साइट पर हैं। आपका पन्ना और आपके विचार स्तंभ में पाठक हिस्सा ले सकते हैं। 'जागरण सखी' पत्रिका ऑन लाइन उपलब्ध है। इसके मार्च, 2001 से अप्रैल 2004 तक के पुराने अंक आप देख सकते हैं।

5.www.sanskritgde.com

प्रस्तुत वेब साइट पर हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में जानकारी मिलती है। हिन्दी डाक्युमेंट के अंतर्गत तुलसी के रामचरित मानस के सभी काण्ड, दोहावली, कवितावली और विनयपत्रिका आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त बच्चन जी की मधुशाला, बिहारी के दोहे तथा गोरक्ष उपनिषद भी आप सेव कर सकते हैं।

6.www.abhivkti.com

अभिव्यक्ति.कॉम साहित्यिक पत्रिका है जो हर माह की 1-9-16 और 24 तारीख को परिवर्तित होती है। इस पत्रिका में 150 से अधिक कहानियां हैं, जिनमें 'अर्धांगिनी' (शैलेष मटियानी), 'औरत : दो चेहरे' (सुधा अरोड़ा), 'चिमगादड़ें' (मृणाल पांडे), 'जहर और दवा' (अभिमन्यु अनंत), 'जीना यहाँ किसके लिए' (तेजेन्द्र शर्मा), 'दादी और रिमोट' (सूर्यबाला), 'परदेशी' (ममता कालिया), 'प्रोग्रामिंग'(शरद जोशी), 'बारिश की रात' (मिथिलेश्वर), 'बिना शीर्षक' (कामतानाथ), 'लाल हवेली' (शिवानी), 'स्नेह बंध' (मालती जोशी), प्रमुख हैं।

अनुभूति (कविताओं का कांत कलेवर) के अंतर्गत विश्व की 470 और हिन्दी की 2544 से अधिक कविताएं हैं। यह स्तंभ विविधता से भरा हुआ है। अंजुमन में सुल्तान अहमद, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, बशीर बद्र, नौशाद, दुष्यंतकुमार, नीरज, अभिज्ञात, संजय ग्रोवर आदि हिंदी के नये-पुराने शायरों की कुछ चुनिंदा गजलें हैं। तो गौरव-ग्राम में हिंदी के प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, मैथिलीशरण गुप्त, अज्ञेय, बच्चन, दिनकर, धूमिल, सुमनजी, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नागार्जुन आदि प्रसिद्ध रचनाकारों का परिचय उनकी प्रसिद्ध कविताओं के साथ दिया गया है।

गौरव-ग्रंथ में 'अंधायुग', 'कुरुक्षेत्र' 'झांसी की रानी', 'मधुशाला', 'राम की शक्तिपूजा', 'कवितावली', 'हल्दीघाटी', आदि कविताएं प्राप्य हैं तो दोहे में अमीर खुसरो, कबीर, तुलसी, रहीम, नागार्जुन, बरसाने लाल चतुर्वेदी, नीरज, सरदार कल्याण सिंह, भारतभूषण, आर्य, बृजकिशोर पटेल (दीपक दोहे), शारदा मिश्र (शीत लहर), कैलाश गौतम, (सर्दी के दोहे), गोविंद अनुज (बसंती दोहे), पूर्णिमा वर्मन (बारिश के दोहे), अनूप अशेष (फागुनी दोहे), सत्यनारायण सिंह (प्रेम रस दोहे) आदि के दोहे हैं।

काव्य संगम में अमृता प्रीतम (पंजाबी), रवीन्द्रनाथ टैगोर (बंगाली), गजानन दिगंबर माडगुलकर (मराठी), उमाशंकर जोशी (गुजराती) एवं जी शंकर कुरूप (मलयालम) की कविताएं हैं। तो हाइकू में अश्विन गांधी, नीरज शुक्ला, पूर्णिमा वर्मन, श्यामू शास्त्री, ज्ञानेन्द्र पति, प्रवीन शाह, आस्था, मनोज सोनकर आदि के हाइकू संकलित हैं। जबकि रवीन्द्र त्यागी, केदारनाथ अग्रवाल, मणि मधुकर, प्रभाकर माचवे, मंगलेश डबराल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पद्मेश गुप्त, आदि की छोटी कविताएं क्षणिकाएं में संकलित हैं. जो अपनी लघु काया और तीखे विचारों के कारण आपके मन-मस्तिष्क को आंदोलित कर जाती हैं।

हिंदी के अधिकतर साहित्यकारों का परिचय इस पर उपलब्ध है। 'कोठेवाली' (स्वदेश राणा) और 'एबीसीडी' (रवीन्द्र कालिया) लघु उपन्यास पूरे के पूरे इस पर हैं। साहित्य-संगम में असमिया, उर्दू, ओडिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, डोगरी, तमिल, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली और सिंधी कहानियां

2082 HA/04—7

इसमें आप पा सकते हैं। हास्य-व्यंग के अंतर्गत 'अध्यक्षस्य प्रथम दिवसे' (प्रेम जनमेजय), 'आध्यात्मिक पागलों का मिशन' (हरिशंकर परसाई), 'एक भूतपूर्व मंत्री से मुलाकात' (शरद जोशी), 'कानून का पेट खाली है' (जवाहर चौधरी), 'प्यार किया तो मरना क्या' (काका हाथरसी), 'हॉस्टेल में वार्डन से मुठभेड़' (धीरेन्द्र वर्मा) आदि 40 से अधिक व्यंगों का आनंद आप उठा सकते हैं।

साहित्यिक निबंध के अंतर्गत 'अनुगीत' (मोहन अवस्थी), 'अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा' (राहुल सांकृत्यायन), 'कला माध्यम : संवाद या विवाद' (दिविक रमेश), 'राम का अयन वन' (विद्यानिवास मिश्र), 'साहित्य का सामाजिक प्रभाव' (श्यामाचरण दुबे), 'हिन्दी कहानी: आज' (सुधा अरोड़ा) आदि निबंध, वीरेन्द्र सेंगर का डॉ० नामवर सिंह से साक्षात्कार, कमलेश्वर से कृष्ण बिहारी की बातचीत, चित्रा मृद्गल से उर्मिला शिरीष की बातचीत भी इस वेब साइट पर उपलब्ध हैं। 'महाकवि माघ का प्रभात वर्णन'(महावीरप्रसाद द्विवेदी), 'पग ध्वनि' '(उमाकान्त मालवीय)', 'खिड़की खुली हो अगर' (श्री राम परिहार) आदि ललित निबंध एवं शिवानी, सूर्यबाला, प्रभाकर श्रोत्रिय, धर्मवीर भारती, शरद आलोक, अमृता प्रीतम, लता मंगेशकर, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा आदि के संस्मरण तथा दीपावली, होली, स्वतंत्रता दिवस, हिंदी दिवस एवं नववर्ष के वैविध्य पूर्ण विशेषांक इस पत्रिका की शोभा बढ़ाते हैं।

इस प्रकार साहित्य की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण एवं विविधता से भरा वेब पोर्टल है।

7.www.bharatdashan.com

इस वेब पोर्टल पर मैथिलीशरण गुप्त (भारत की दुर्दशा), महादेवी वर्मा, (मैं नीर भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, वे मुस्कराते फूल नहीं, मेरे दीपक), निराला (वर दे, वीणा वादिनी, वर दे), दिनकर जी (वीर), सुभद्राकुमारी चौहान (मुरझाया फूल, कोयल), हरिऔध जी (फूल और कांटा), गोपालसिंह नेपाली (स्वतंत्रता का दीपक), नीरज (आदमी पत्ता है ताश का), उपेन्द्रनाथ अश्क (उसने मेरा हाथ देखा), अमर शहीद आजाद की कविता, कबीर और गिरधर के दोहे, कुछ गजलकारों की गजलें तथा कुछ लघु कथाएं प्राप्य हैं।

8.www.prabhasakshi.com

वैसे तो यह वेब पोर्टल ताजा खबरों का साक्षी है फिर भी इस पर साहित्य संबंधी जानकारियां पायी जा सकती हैं। जिनमें पुस्तक समीक्षाएं, व्यंग्य रचनाएं, लघुकथाएं, साक्षात्कार एवं लेख प्रमुख हैं। कविता, कहानी, नाटक, नवगीत, कहानी, गजल आदि विधाओं की पुस्तक समीक्षाओं में 'नदियां गाती हैं' (ओम प्रकाश भारती), 'मिस्टर अनफिट' (अवधेश शर्मा), 'घोड़ा बाजार' (विजय), ''चबूतरे और अन्य नाटक'' (सुरेन्द्र तिवारी), 'भीतर भीतर आग' (डा. शांति सुमन), ''जमा, जर्ब, तक्सीम'' (डा० चरणजीत सिंह), 'वापसी के नाखून (नरेन्द्र नगदेव), मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त 'प्रेम का कम्पल्सरी दिन' (यज्ञा शर्मा) आदि व्यंग्य, मेहरुन्निसा परवेज का साक्षात्कार, 'बिना पत्तों वाली बेल' (अंजना शिवदीप) आदि कहानियां इस वेब साइट पर प्राप्य हैं। ■

हिंदी देश की एकता की ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य है

—श्रीमति इंदिरा गांधी

नये आर्थिक परिदृश्य में बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप

*— कुलरत्न गुप्ता **

बदलते वैश्विक आर्थिक- व्यावसायिक परिदृश्य में अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा अति-व्यस्तता, उच्च ज्ञान एवम् दक्षता, आत्यधिक जोखिम और नवोन्मेष चुनौतियों भरी होगी। विश्व में ग्राहकोन्मुख तथा निर्बाध बाज़ार के नियमों, दशाओं, परिस्थितियों तथा विशिष्टताओं में मानवीय (ग्राहक) अभिरुचियाँ, उनके झुकाव का अध्ययन, अनुसंधान करना तथा तदनुसार अपनी सेवाओं और उत्पादों का निर्माण, प्रस्तुतीकरण, विज्ञापन, प्रसार, प्रचार और अपने बैंक समूह के उत्पादों और सेवाओं के क्रय हेतु जन अभिरुचि का सृजन और उसके लिए ग्राहकों को आकर्षित करना, बैंकों की व्यावसायिक नीति का प्रमुख लक्ष्य होगा। जो बैंक इसमें सफलता, प्रवीणता व व्यावसायिक और व्यवहारिक कौशल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, निपुणता हासिल कर लेंगे, वे ही बाजार में अपना अस्तित्व कायम रख सकेंगे और जो ग्राहकों के बदलते हुए तेवर, विकास की रफ्तार, कार्यप्रणाली में होने वाले परिवर्तनों से कदम नहीं मिला पायेंगे, बाजार से हटने पर मजबूर हो जायेंगे।

आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में तभी सहायक हो पायेगी जब वह स्वयम् में सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वावलंबी, सुदृढ़, संपन्न तथा लाभकारी होगी। इसके लिए वह एक ओर बचत को प्रोत्साहित करेगी तो दूसरी ओर व्यापारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं को धन उपलब्ध कराने में अधिक सक्रिय, चुस्त, उदार, स्पष्ट तथा सैद्धांतिक होगी। लाभार्जन के लिए उसे अपनी कार्यकुशलता, क्षमता, दक्षता, अनुभव, ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का पूरा उपयोग करना होगा। बैंकों के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपना पुनरावलोकन, पुनरीक्षण, पुनर्गठन, पुनर्संरचना करें। निम्न घटक उन्हें प्रभावित करेंगे।

बैंकिंग नीति का स्वरूप

बैंकों के अस्तित्व का राष्ट्रीय जनजीवन में क्या स्थान होगा, उनके कार्य का निर्धारण किस प्रकार होगा? क्या बैंकों पर सरकार का प्रभुत्व रहेगा? क्या वे सरकारी नियंत्रण में रहेंगे और आर्थिक तथा सामाजिक विकास में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे? वर्तमान में विशेषत: जबकि कृषि ऋण व ग्रामीण बैंकिंग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है - साथ ही बैंकों की निधियों की सुरक्षा और बैंकों में जनसाधारण का विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है—सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता।

वर्तमान अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार एवम् उद्योग में अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाये। प्रबंध की कुशलता इसी में मानी जाती है कि वह अपने प्रतिष्ठान के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कैसे सुनिश्चित करे। बैंक भी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है परन्तु उनके प्रबंध के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु समर्पित होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि बैंक अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के अपने दायित्व को भुला दें क्योंकि वह देश के अर्थतंत्र की धुरी हैं। अत: उनके लिए यह जरूरी होगा कि वह अपने दोनों उद्देश्यों में तालमेल बनाए रखें।

वैश्वीकरण में वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत कम होती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। आने वाले दशक में बैंकों की सेवाओं का मूल्य कम होगा साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने से एकाधीकारी प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी। ऐसे भी संकेत हैं कि बैंकों के लिए सरकारी संरक्षण भी उपलब्ध नहीं होगा। अत: बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने संसांधनों का पूर्ण दोहन चतुराई से करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं और लाभ अर्जित कर अपने निवेशकों के हितों की भी पूर्ति करें और साथ ही राष्ट्रीय हितों को भी अनदेखा ना करें।

बैंकों को अपनी व्यवसाय नीति का निर्धारण करने से पूर्व अपनी कार्मिक संरचना, अपनी पूंजी, अपनी विशेषताओं दक्षताओं, कुशलताओं और साथ ही साथ अपनी दुर्बलताओं

** वरिष्ठ प्रबंधक, विजया बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय 13, पांचवां क्रास, गांधी नगर, बेंगलूर-560009*

को भी ध्यान में रखना होगा। बैंकों की सेवाएं, उत्पाद, मानवीय संसाधन, उनका प्रबंधन और संगठन, सभी उसकी समन्वित नीति के अंग होंगे। साथ ही साथ बैंकों को नीति निर्धारण की प्रक्रिया अति स्पष्ट, पारदर्शी तथा लचीली भी होगी।

संगठन में बदलाव

निकट भविष्य में भारतीय रुपया पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त कर लेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन आएंगे। व्यापार का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक विस्तृत हो जाएगा। विभिन्न मुद्राओं के साथ संबंध कायम करके भारतीय बैंकिग विश्व बैंकिंग में अपना स्पष्ट स्वरूप धारण करेगी। अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बैंकों से प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने को ढ़ालने के लिए भारतीय बैंक अपने को मजबूत बनाएंगे और इसी संदर्भ में बैंकों में आपस में विलय, अधिग्रहण एवम् अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तथा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के क्रमश: चार-पाँच बैंक जो कि उच्चतम स्तर की प्रौद्योगिकी से ओत-प्रोत, विशेषज्ञों द्वारा संचालित, दृढ़ पूंजी आधार तथा मूल सुख-सुविधाओं से भरपूर होंगे, जन्म लेंगे। यह बैंक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं, पूर्ण सक्षमता और समर्पण से उपलब्ध करायेंगे। इनकी सेवाएं और उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैंकों के उत्पादों के अनुरूप ही होंगे और उन्हें कड़ी चुनौती देंगे। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे तथा क्षेत्रीय व प्रांतीय स्तर के बैंकों का भी आपस में विलय होगा और यह सीमित क्षेत्र में ही कारोबार करेंगे और यह भी सम्भव है कि यह बैंक बड़े बैंकों के सहायक बैंकों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करें।

बैंकों के बैलेन्सशीट में मानवीय संसाधनों को भी मूल्यांकित किया जायेगा, जिससे कार्यक्षमता, विशेषज्ञता, निपुणता, दक्षता आदि के आधार पर बैंकों का संगठनात्मक ढांचा तैयार होगा जो परियोजनान्मुख होगा और उसी के अनुसार बैंक अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करेंगे, जिनमें कर्मचारियों की गुणात्मकता तथा ग्राहकों की सन्तुष्टि, प्रबंधन की नीतियां, परियोजना का स्वरूप, लाभार्जन का स्तर आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पूंजीकरण

अपनी परिसंपत्तियों में वृद्धि करने के लिए बैंकों को आने वाले समय में अपनी पूंजी को बढ़ाना होगा क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ उनकी (बैंकों की) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी इसलिए बैंकों को अपना पूंजी आधार मजबूत करना होगा। सरकार अपनी शेयर धारिता बैंकों में 55% से 33% तक करने पर सहमत हो गई है और इसी क्रम में अब तक कई सक्षम बैंक विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजी बाजार में प्रवेश कर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुके हैं।

जो कमजोर बैंक अपने लिए पूंजी जुटाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें भी अब सरकार से अनुदान प्राप्त हो पायेगा, इसमें संशय है। क्योंकि सरकार का स्वयम् का राजकोषीय घाटा अत्यधिक है और वह इसे और बढ़ाना नहीं चाहेगी, इसलिए ऐसे कमजोर बैंकों का विलय अन्य बैंकों में होने की प्रबल संभावना है या फिर उनका आपस में पुनर्गठन किया जायेगा और संभव है कि उन्हें क्षेत्रीय आधार दिया जाये।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की विवेकपूर्ण प्रणालियों को अपनाना

बैंकों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के उच्च मानकों को धीरे-धीरे अंगीकार किया जा रहा है, जो कि निरंतर जारी रहेगा, जिससे अधिकतम पारदर्शिता, प्रकटीकरण और उत्तरदायित्व का बैंकों को आभास हो तथा निवेशक और प्रतिपक्ष अधिक विश्वास के साथ बैंकों से कारोबार कर सकें। बैंकिग पर्यवेक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के महत्वपूर्ण तत्वों और नीतियों के कार्यान्वयन को भारत ने भी मान्यता दी है। बैंकिंग के क्षेत्र में परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधान, अतिदेय ऋणों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियमों को कुछ बदलाव के साथ सख्ती से लागू किया है। कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में भी बैंक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सुधार भी तीव्र गति से हो रहे हैं, बैंक रीयल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट सिस्टम, नेशनल क्लीयरिंग आदि को भी साथ-साथ अपनाते जा रहे हैं। आने वाले समय में भी भारतीय बैंक विश्व में व्याप्त सफल बैंकिग प्रणालियों को आत्मसात करने में कोई संकोच नहीं करेंगे।

मुक्त बाजार में बैंकों की सेवाओं का स्वरूप बदलेगा। बैंकिंग में खतरों की संख्या, परिणाम, सीमा, परिधि, विविधता तथा गहनता भी अत्यधिक बढ़ जायेगी, इसलिए नियम तथा प्रणालियां भी उच्च स्तरीय, सटीक, तीव्र, सार्थक, एकरूप, स्वत: नियंत्रित, निश्चित तथा स्पष्ट होंगी, जिनके निर्धारण में ग्राहकों की संतुष्टि, आय का स्तर तथा कर्मचारियों की क्षमता तथा ज्ञान अपना प्रभाव डालेंगे।

वित्तीय क्षेत्र का विनियमन होना अनिवार्य है। अतः कालान्तर में शेष विश्व जैसे ही हमारी वित्तीय पद्धतियों पर विश्वास करने लगेगा, भूमंडलीय स्तर पर वित्तीय कारोबार के द्वार अपने आप हमारे लिये खुल जायेंगे और भारत में विदेशी निवेश अधिक मात्रा में आना आरंभ हो जायेगा जो कि प्रत्यक्ष निवेश, कारोबारी ऋण या ऋण के अन्य किसी रूप में हो सकता है। जिससे अन्ततः बैंकों को अधिक सुदृढ़ता मिलेगी, उनके लाभ में वृद्धि होगी और उनके व्यापार को भी विस्तृत रूप मिलेगा।

प्रौद्योगिकी का प्रभाव

"बैंको के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी अब विकल्प नहीं, प्राथमिकता बन गई है।" भारतीय बैंकिंग का अगला युग इलेक्ट्रानिक बैंकिंग का युग होगा। बैंकों द्वारा कंप्यूटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के कारण कार्य-कुशलता, दूरी, गति, पहुंच, सटीकता तथा सुविधा की दृष्टि से बैंकिंग का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। पुराने तरीकों के स्थान नए प्रतिमान यानि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी, कम कर्मचारीगण, अधिक दक्षता, मल्टीमीडिया का प्रयोग, फोन पैकिंग, ए०टी०एम०, इंटरनेट बैंकिंग, निवेश आधारित आय के स्रोत, अस्ति व देयता का कुशल प्रबन्ध, तकनीकी रूप से निपुण स्टॉफ आदि लेते जा रहे हैं। कैश का स्थान कार्ड लेते जा रहे हैं।

इन्टरनेट बैंकिंग का प्रवेश पारंपरिक बैंकिंग में हो चुका है, भविष्य में प्रत्यक्ष शाखाओं का स्थान प्रभावोत्पादक शाखाएं ले लेंगी, क्योंकि इन्टरनेट बैंकिंग में परिचालन व्यय अत्यधिक कम होता है और इसकी वैश्विक पहुंच इसे प्रतिस्पर्धात्मक रूप प्रदान करती है, यह कहीं भी, किसी भी समय बैंकिंग उपलब्ध करा देता है एवम् इसके लिए शाखा नेटवर्क की भी आवश्यकता नहीं होती। परंतु इन्टरनेट बैंकिंग में कपट, धोखाधड़ी, हेर-फेर आदि की गुंजाइश अधिक होती है, इसलिए अधिक सुरक्षा उपायों व प्रभावी जोखिम नियंत्रण प्रणालियों का जन्म होगा। अभी तक भारत में इस क्षेत्र की कानूनी जोखिमों को कम करने के लिए वैधानिक संरचना अस्तित्व में नहीं आई है। ऐसी बैंकिंग के लिए पर्यवेक्षी तथा विनियात्मक व्यवस्था अत्याधिक चुस्त और मजबूत होनी चाहिये।

प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भरपूर बैंकिंग से कुछ निम्न लाभ बैंकों को होंगे :

1. सूचनाएं एवम् जानकारियां वेबसाइट पर ही मिलने से बैंकों के लेन-देन का क्षेत्र अत्यधिक विशाल हो जाएगा जिससे कारोबार में वृद्धि होगी और उनकी आय बढ़ेगी।
2. बैंक अपने डाटा बेस का निर्माण करेंगे और डाटा बेस के विश्लेषण से संपर्क सूत्र बढ़ाकर मध्यस्थ सेवाएं उपलब्ध कराएंगे यह उनकी आय का अतिरिक्त साधन होगा।
3. आवश्यकतानुसार लिखत बनाकर निष्क्रिय जमाओं को अधिक सक्रियतापूर्वक नियोजित किया जा सकेगा। निधियों का प्रबंध कुशलता तथा दक्षता पूर्वक किया जा सकेगा।
4. प्रौद्योगिकी से बैंकों की निधि आधारित सेवाओं के साथ-साथ निवेश आधारित सेवा भी त्वरित होगी इससे आय बढ़ेगी।
5. प्रतिभूति बाजार के लेन-देन बिना समय गंवाए सहज तथा सुगमता से शीघ्र निपटा लिये जाएंगे। ऑन-लाइन ट्रेडिंग का उपयोग ग्राहकों को घर बैठे ही उपलब्ध होगा।

बैंकों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश उनकी उत्पादकता तथा परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगा, लागतों और परिचालन व्यय में कमी करेगा, ग्राहकों को राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध कराकर उनके संतोष में वृद्धि करेगा, जिससे अंततः बैंकों की आय बढ़ेगी।

गैर निष्पादक ऋणों का प्रबंध

भारतीय बैंकों में गैर निष्पादक ऋणों के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में यह एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। सरकार एवम् बैंकों द्वारा अथक प्रयास करने पर भी यह समस्या हल नहीं हो रही है, रिजर्व बैंक व बैंकों को समझौता योजनाओं के परिणाम भी कोई खास उत्साहवर्धक नहीं हैं। सबसे चिंताजनक समस्या तो यह है कि वसूली की गई राशि से अधिक राशि गैर-निष्पादक ऋणों में प्रत्येक वर्ष जुड़ जाती है, जिससे इसकी मात्रा निरंतर बढ़ रही है।

मार्च 2004 से कोई भी ऋण मात्र नब्बे दिन के बाद ही गैर-निष्पादक परिसंपत्ति में शामिल कर लिया जायेगा, यदि ब्याज या किस्त बकाया है। इसी प्रकार मार्च 2005 से अवमानक अस्ति 12 महीने के पश्चात् ही संदिग्ध अस्ति के रूप में वर्गीकृत हो जायेगी (जो कि अभी क्रमशः 180 दिन तथा 18 माह है)। ऐसा अनुमान है कि इससे गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों की मात्रा में अवश्य वृद्धि होगी।

2082 HA/04—8

गैर निष्पादक ऋणों की वसूली के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने ''वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवम् पुर्नगठन और प्रतिभूति लाभ प्रत्यावर्तन'' को स्वीकृत कर दिया है, जिससे परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (ए०आर०सी०) का गठन संभव हुआ है। भविष्य में बैंक इन परिसंपत्ति पुननिर्माण कंपनी ए०आर०सी० को गैर निष्पादित ऋणों में लिप्त राशि और इससे संबंधित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करेंगे। इन सम्पत्तियों का आकलन व मूल्यांकन अपने स्तर पर करके बैंकों को बांड या ऋण या ऋण पत्र जारी करेगी, इससे बैंकों का आकलन गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की मात्रा कम होगी। इस कानून से बैंकों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी का निर्माण करने, परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण करने तथा गारंटी के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों का बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के उगाही का अधिकार मिल जाएगा।

भविष्य में बैंक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जिससे :

1. जोखिम की समय पर पहचान हो सके।
2. कारोबार संभाव्यता का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।
3. अनुमानित नकदी प्रभावों के साथ पूंजी तथा ऋण की संरचना की जा सके।

अपने आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रणालियों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए और समय पर पहचान व कार्यवाही करने हेतु बैंक कठोर चेतावनी संकेतक तैयार करेंगे, जिनका प्रयोग वे गैर-निष्पादक ऋणों की समस्या के निवारण के लिए ऋणियों पर अधिक उत्तरदायित्व डालने, विचलनों व गलतियों के प्रकरण में अधिक प्रकटीकरण और कार्य निष्पादक ऋण सूचना प्रणाली के लिए करेंगे। ऐसी आशा है कि कठोर तथा सख्त लेखा प्रणाली तथा विवेकपूर्ण मापदंडों के उपयोग से भविष्य में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

भविष्य में अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के अनुरूप ही लेन-देनों पर आधारित दृष्टिकोण के बदले जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षणों का आधार होगा। बैंक जोखिम प्रबंध प्रणालियों और उन पर आधारित नियंत्रणों को सुदृढ़ करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बेहतर मानकों के अनुसार है। बैंक उनके बीच परिचालित जोखिम प्रबंध दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक जोखिम प्रबंध नीतियां, नियंत्रण, निरीक्षण, आदि की व्यवस्था करेंगे। वे आंतरिक लेखों में की जाने वाली कपट, हेर-फेर, व्यवस्था में होने वाले विचलन तथा धोखाधड़ियों से बचने के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को चुस्त, दुरुस्त, कारगर बनाएंगे, जिससे वे अत्यधिक प्रभावशाली हों। जोखिम प्रबंध, अस्ति देयता प्रबंध, पूंजी प्रबंध, तरलता जोखिम प्रबंध, तकनालॉजी जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, मानव संसाधन जोखिमों को पहचान कर और उन्हें आधार बनाकर ही बैंक, सुरक्षात्मक उपायों के रूप में अंकेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि की नीतियां तय करेंगे, जिससे जोखिम को समय पर पह्चाना जा सके और निवारक उपाय प्रयोग में लाए जा सकें। इन सभी के लिए बैंक अत्यधिक कठोर नियंत्रण प्रणालियों को जो विश्व स्तर पर मान्य हैं, प्रयोग में लायेंगे। बैंकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि ग्राहक सुविधा इसमें प्रमुख होगी तथा सुरक्षा गौण। क्योंकि किसी भी स्तर पर ग्राहक की उपेक्षा करना सम्भव नहीं होगा अतः कोई भी प्रणाली ऐसी ना हो जिससे ग्राहक को असुविधा हो।

बैंक अपनी सेवाओं और उत्पादों की लागत के मूल्यांकन के लिए नई प्रणालियां और प्रक्रिया ईजाद करेंगे। मूल्य विभेदन एक सर्वत्र स्वीकार्य यथार्थ होगा क्योंकि ग्राहक की अपेक्षाएं ही बैंकिंग के स्वरूप को तय करेंगी, इसीलिए बैंकिंग से संबंधित विविध कानूनों और अधिनियमों में भी परिवर्तन होंगे।

शीर्ष प्रबंध तथा नेतृत्व शैली

अगले दशक में शीर्ष प्रबंध स्तर पर व्यवहारिक, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के महापंडित विराजमान होंगे, क्योंकि गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना कुशल, निपुण, दक्ष तथा सक्षम नेतृत्व के द्वारा ही किया जा सकेगा। नीति एवम् दिशा का कारपेट स्तर पर निर्धारण शीर्ष प्रबंधकों के हाथ में ही होता है और वही आंतरिक एवम् बाह्य अवसरों और संभावनाओं को ज्ञात कर प्राप्त अवसरों का समुचित उपयोग करेंगे। उनकी सही नीतियां यदि बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं तो गलत नीतियां बैंक का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती हैं। अत: उन्हें अपने ज्ञान और चतुराई का हर स्तर पर परिचय देना होगा।

सुस्थापित नीतियों और नियंत्रण प्रणालियों से अकारण गुमराह होने या जानबूझकर पथभ्रष्ट होने से बचने के लिए

बैंकों को अपने बोर्ड मेंबर्स और सर्वोच्च प्रबंध तंत्र को उत्तरदायी बनाने हेतु कंपनी नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाना होगा मिसाल देने योग्य कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निष्क्रियता तथा गलत कार्यों के लिए तत्काल और परिणामात्मक दंड देने की प्रणाली विकसित करनी होगी।

यह शीर्ष प्रबंध का दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखें और बैंक के विकास में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करें, जिससे औद्योगिक शान्ति बनी रहें।

निर्णय प्रक्रिया

निर्णय लेने के स्तर वर्तमान स्तर से कम हो जाएंगे जिससे शीघ्र एवम् सार्थक निर्णय समयानुसार लिए जा सकें। बैंक प्रबंध को निर्णय लेते समय व्यवहारिकता को अपनाना होगा, जिससे ग्राहक की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को बिना किसी बाधा के पूर्ण किया जा सके। इसके लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण होगा तथा हर स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना बैंकिंग के लिए आवश्यक होगा।

निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल होगी क्योंकि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से वांछित सूचनाएं एवम् आंकड़े उपलब्ध होंगे। जो बैंक त्वरित निर्णय ले पाएंगे वही अपने कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे क्योंकि भविष्य की बैंकिंग पूर्णरूपेण ग्राहकोन्मुख होगी और उसकी अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं। यह एक संवेदनशील सत्य है जिसे हरेक बैंक को समझना होगा, स्वीकार करना होगा।

मानव संसाधन

बैंकों व वित्तीय संस्थानों का दीर्घकालीन भविष्य एवम् अस्तित्व उसके परिश्रमी, समर्पित, कुशल, ईमानदार, कर्तव्यपरायण तथा विशिष्ट योग्यताओं से युक्त व्यवहार कुशल कर्मचारियों, प्रशासकों/संचालकों तथा कुशल नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करता है। अगले दशक में बैंकों में मानवीय संसाधन विकास आत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नवोन्मेषी, सृजनात्मक, उच्च प्रौद्योगिकी से संपन्न बैंकिंग होगी। जिसके सूत्राधार उसके कर्मचारी होंगे जिनका बैंकिंग व्यवसाय में पारंगत होना, बुद्धिजीवी होना, सृजनशील होना बैंकिंग को नये आयाम देगा।

बैंकिंग के सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु ग्राहक होगा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को जानना, उनके अनुकूल सेवाओं का सृजन करना, लागतों पर नियंत्रण करना, बैंकों के लिए प्रमुख कार्य होंगे। इसके लिए अनुसंधान तथा विपणन का महत्व बैंकिंग में आत्यधिक बढ़ेगा और उसी के अनुसार भर्त्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि की प्रक्रिया निर्धारित होगी।

बैंकों में सेवाओं का स्वरूप तीव्र गति से बदलेगा। अधिकांश कार्य कम्प्यूटरों तथा मशीनों के द्वारा पूर्ण होने के कारण नीतिगत, बौद्धिक एवम् मानवीय सम्बन्ध—परक कार्यों के लिए ही मानवीय श्रम का प्रयोग होगा। इसलिए यह भी संभव है कि कार्य के अनुसार अनुबंध के अधीन ही कर्मचारियों की भर्ती हो तथा कार्य पूर्ण हो जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं आदि उनके कार्य के निष्पादन के अनुसार ही तय होंगे और उसी के अनुसार उनकी पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि होंगे। नियोजन की गारंटी समाप्त हो जाएगी तथा ''हायर और फायर'' नीति का बैंक अनुसरण करेंगे।

श्रमिक संघों की प्रभावोत्पादकता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह प्रबंध के साथ कहां तक तालमेल कायम रख पाते हैं और संस्थान के विकास में उनका क्या योगदान रहता है।

श्रमशक्ति का उचित तथा औचित्य पूर्ण नियोजन हर रूप में लाभप्रदत्ता को प्रभावित करता है चाहे वह ग्राहक के संतोष के रूप में हो या कार्यक्षमता में वृद्धि या लागतों में कमी आदि। अत: इस ओर बैंकों को भविष्य में और अधिक ध्यान देना होगा।

नये उत्पाद

विगत कुछ वर्षों में नवोन्मेष बैंकिंग की अवधारणा बैंकों में जन्म ले चुकी है, क्योंकि ब्याज से होने वाली आय निरंतर कम होती जा रही है। नवोन्मेष बैंकिंग में बैंकों ने निम्न सेवाएं आरम्भ की है :

निधि आधारित	गैर निधि आधारित
पट्टा व किराया	क्रेडिट/डेबिट कार्ड
जोखिम पूंजी	फैक्टरिंग
प्रतिभूतिकरण	फार फैक्टरिंग
	कस्टोडियल सर्विसेज
	पोर्टफोलियो मेनेजमेंट
	इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर

आने वाले समय में टी.बी. बैंकिंग व पी.सी. बैंकिंग का प्रवेश होगा। ग्राहक अपने डिजिटल टी.वी. या पी.सी. के माध्यम से सेवा कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे। ई. वाणिज्य (ई. कामर्स) के द्वारा रेल, हवाई जहाज, बस टिकट बुकिंग, होटल आरक्षण, दुर्घटना बीमा, उपहार भेजना आदि सुविधाएं ग्राहकों को प्राप्त होंगी।

ग्राहकों को मांग पर बैंक उन्हें चिकित्सक उपलब्ध कराएंगे, बीमा सेवाएं, म्यूचुअल फण्ड, निवेश सेवाएं/सलाह देंगे, बिजली एवम् पानी, स्कूल फीस आदि जमा करेंगे। ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक अपनी जमा रसीदें लिखेंगे, उनका समयानुसार नवीनीकरण करेंगे, बहुमुखी सुविधा वाली योजनाएं प्रस्तुत करेंगे।

अपनी आय बढ़ाने के लिए बैंक अपने डाटा तथा आंकड़ों का विक्रय आपस में तथा अन्य संस्थानों को करेंगे। बड़े पैमाने पर बैंक विभिन्न विकल्पों का सहारा लेंगे और आय के नए क्षेत्र खोजेंगे और इसी संदर्भ में एजेंट, ब्रोकरेज तथा कमीशन से संबंधित कार्य करेंगे। बैंक सोना, चांदी, प्रतिभूतियों, सरकारी पत्रों का व्यापार अपने ग्राहकों के साथ करेंगे। खुदरा व्यापार का बैंकों में महत्वपूर्ण स्थान होगा।

उपसंहार

भारतीय बैंक एक ऐसे युग में काम कर रहे हैं, जहां लोगों की अभिरुचि, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं विश्व में हो रहे परिवर्तनों और मान्यताओं के चलते, तेजी से बदल रहे हैं। इस स्थिति से सामना करने के लिए बैंकों को अपने ग्राहकों और निवेशकों की आशाओं को पूरा करना होगा। अगर इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उन्हें अपनी स्थिति बनाएं रखनी है तो उन्हें अपनी कुशलता को लगातार बढ़ाना होगा, अपनी योजनाओं में समय की मांग के अनुसार परिवर्तन करने होंगे और अपनी गतिविधियों का संचालन इस प्रकार करना होगा कि वे विश्व में बैंकिंग में हो रहे बदलाव के साथ द्रुत गति से कदम मिला कर चल सकें। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि भारतीय बैंकों के पास विस्तृत कार्यक्षेत्र, कार्यात्मक विविधता एवम् परिपक्व अनुभव व ज्ञान के कारण एक निश्चित लक्ष्य तथा दिशा है। ■

हिंदी का उद्देश्य यह है, भारत एक रहे अविभाज्य
यों तो रूस और अमेरीका, जितना है उसका जन राज्य
बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गूंगी असमर्थ,
एक भारती बिना हमारी भारतीयता का क्या अर्थ

—मैथिलीशरण गुप्त

संस्कृति—विमर्श

—डॉ० (श्रीमती) हर्ष नन्दिनी भाटिया

सामान्यत: संस्कृति संस्कारों की योजना है। मानव अपने जीवन की सुखमय और सरल बनाने के लिए अनेक उपकरणों का सर्जन करता है। उसकी सर्जनात्मक बुद्धि शनै: शनै: विकसित होती है, फ़लत: विभिन्न कोटि की अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त होती है। मानव मन की यह सर्जनशीलता ही संस्कृति का मूल माना जाता है। इससे स्पष्ट हुआ कि सर्जनात्मक अभिव्यक्ति ही संस्कृति है। यही सर्जनात्मकता बाह्य वास्तविकताओं और आंतरिक जीवन, दोनों में ही व्याप्त रहती है। प्रथम दशा में यह मनुष्य की भौतिक उपयोगिता में सहायक सिद्ध होती हैं, जबकि दूसरी दशा में यह मनुष्य के आंतरिक जीवन को विकसित और समृद्ध करती है। आत्मसंतोष और शांति के लिए आत्मिक अनुचिंतन संस्कृति के स्रोत है। इस विवेचन के आधार पर 'संस्कृति' को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

''वह अनुचिंतन, जिसमें मनुष्य के आत्मिक जीवन का विस्तार और मानसिक विकास एवं बौद्धिक समृदिध होती है, संस्कृति है।''

''संस्कृति'' जीवन का संस्कार है, जिससे मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का परिमार्जन तथा स्वार्थ का परित्याग होता है। जो व्यक्ति अपने लिए जितना जीता है उससे अधिक मानव जाति अथवा राष्ट्र की मंगल-कामना करता है, वही सुसंस्कृत है। इस प्रकार संस्कृति परिष्कार और परिशोधन का भाव भी व्यक्त करती है।

सुप्रसिद्ध लेखक डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने 'संस्कृति' की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है :

''संस्कृति शब्द 'सम्' उपसर्गक 'कृ' धातु से निष्पन्न होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सम् उपसर्ग के आगे कृति अथवा कार शब्द जोड़ देने पर इसके फलस्वरूप सम् +कृति=संस्कृति तथा सम् + कार: = संस्कार: आदि शब्दों की निष्पत्ति का विधान होता है।''

(लोक संस्कृति की रूपरेखा, सन् 1988, पृ० 10)

इस प्रकार, 'संस्कार' के अर्थ हुए - पूरा करना, सुधारना, सज्जित करना, मांजकर चमकाना, श्रृंगार, सजावट। संस्कार तथा 'संस्कृत' शब्द संस्कृत साहित्य में बहु प्रयुक्त हैं पर 'संस्कृति' का प्रयोग नहीं।

सुप्रसिद्ध दार्शनिक डा० देवराज ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया है:

''संस्कृति उन समस्त क्रियाओं को कहते है जिनके द्वारा मनुष्य अपने को विश्व की निरुपयोगी किंतु अर्थवती छवियों से, फिर वे छवियाँ चाहे प्रत्यक्ष हों अथवा कल्पित, सबंधित करता है। संस्कृति उस बोध या चेतना को कहते हैं, जिसका सार्वभौम उपभोग या स्वीकार हो सकता है और जिसका विषय वस्तुसत्ता के वे पहलू हैं जो निर्वैयक्तिक रूप में अर्थवान हैं।''

(संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 173)

बाजसनेयी संहिता में तैयार करना या पूर्णता के अर्थ में यह संस्कृति शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में बनावट या संरचना के अर्थ में। महाभारत में कृष्ण के एक नाम के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है।

वस्तुत: आज जिस अर्थ में 'संस्कृति' शब्द का प्रयोग होता है, प्राचीन साहित्य में इस अर्थ में नहीं मिलता है। सर्व प्रथम आधुनिक काल में मराठी भाषा में अंग्रेजी के 'कल्चर' शब्द के प्रति यह शब्द प्रयुक्त हुआ। फिर वहीं से हिंदी भाषा ने इसे उसी अर्थ में ग्रहण किया । यद्यपि संस्कृति शब्द कल्चर के समीप आता है किंतु स्थानापन्न नहीं हो सकता; हाँ, विचारणीय और उपयोगी हो सकता है।

स्पष्टरूप से संस्कृति का संबंध संस्कार से है, अत: सभ्यता और संस्कृति परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है। एक सीमा तक एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और पूरक भी। सभ्यता का आंतरिक प्रभाव ही संस्कृति है।

* नन्दन, भारती नगर, मौरिस रोड़, अलीगढ़-202001

2082 HA/04—9

मानव जीवन उसकी परंपरा तथा उसके परिवेश आदि से संबंधित वस्तुएं प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः संस्कृति से जुड़ी रहती हैं। एक ओर जहाँ भाषा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि संस्कृति से संबद्ध हैं, तो दूसरी ओर परिवेश से संबंधित हैं, समाज, वनस्पति, भूगोल आदि। इन दोनों पक्षों के अतिरिक्त तीसरी ओर धर्म, दर्शन, अंध-विश्वास, टोना-टोटका तथा पौराणिक मान्यताएँ आदि भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, साथ ही परम्परा, इतिहास, रीति-रिवाज, खान-पान, वस्त्राभूषण आदि भी इसमें समाहित हो जाते हैं।

सामान्य रूप से कहा जा सकता है— संस्कृति समाज के सर्वग्राह्य आत्मिक जीवन रूपों की सृष्टि और उनका उपयोग है। संस्कृति शब्द का संबंध किसी निर्दिष्ट समाज के विशिष्ट आचार-विचार, क्रिया-कलाप तथा अनुचिंतन के साथ होता है, जो मानवता के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और प्रत्येक समाज का चिंतन भिन्न होता है। संस्कृति का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संस्कृति मानवता को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर तथा अनैतिकता से नैतिकता की ओर अग्रसित करती है।

अनेक विद्वानों ने कहा है कि संस्कृति शब्द का अर्थ बड़ा अनिश्चित है। नर-विज्ञान में संस्कृति का अर्थ समस्त सीखा हुआ व्यवहार होता है अर्थात् वे सब बातें, जो हम समाज के सदस्य होने के नाते सोचते हैं। इस अर्थ में संस्कृति शब्द परंपरा का पर्याय है। संस्कृति मानवीय व्यक्तित्व की वह विशेषता या विशेषताओं का समूह है, जो उस व्यक्तित्व को एक विशेष अर्थ में महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ विशेष अर्थ में व्यंजना अति आवश्यक है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है, जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्तियों से है। संक्षेप में सांस्कृतिक विशेषताएं मनुष्य की मनोवृत्तयों से सम्बन्धित हैं और इन विशेषताओं का अनिवार्य सम्बन्ध जीवन के मूल्यों से होता है। ये विशेषताएं या तो स्वयं में मूल्यवान होती हैं अथवा मूल्यों के उत्पादन का साधन। प्रायः व्यक्तित्व में विशेषताएं साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है।

संस्कृति का स्वरूप और विश्लेषण

'संस्कृति' शब्द अति सरल और स्पष्ट है किन्तु व्याख्या की दृष्टि से अति दुरुह है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा का है। पूर्व में यह विवेचन हो चुका है कि सम + कृति-सम्यक् कृतियाँ ही संस्कृति है। सम्यक् कृतियों और परंपरा से प्राप्त संस्कारों की समष्टि को संस्कृति कह सकते है। प्रबंध प्रकाश के अनुसार 'किसी देश अथवा समाज के विभिन्न व्यापारों, सामाजिक संबंध और मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों की समष्टि को संस्कृति कहा जाता है। वस्तुतः संस्कृति है भी मानव समाज की परिमार्जित मति, रुचि और प्रगति पुंज का नाम। संस्कृति के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। संस्कृति मन, आचार अथवा रुचियों की शुद्धि है।'

'संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम गति और परिणति है।' —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉ० राधाकृष्णन के शब्दों में—'संस्कृति .....विवेक-बुद्धि का तथा जीवन को भली प्रकार जान लेने का नाम है'।

देवरहा बाबा ने कहा है— किसी देश के आचार-विचार ही उस देश की 'संस्कृति' कहलाती है, किंतु आचार-विचार का वाह्य रूप है। उसका अंतरंग रूप तो मानव का प्रकृति के साथ विशेष तादात्मय ही है। डॉ० संपूर्णानंद ने कहा है—''संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिसमें कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप करता है।'' संक्षेप में समुदाय की चेतना बनकर प्रकाशमान होती है। यही चेतना प्राणों की प्रेरणा है और यही भावना प्रेम में प्रदीप्त हो उठती है। यह प्रेम संस्कृति का तेजस् तत्त्व है, जो चारों ओर परिलक्षित होता है।

भारतीय संस्कृति का स्वरूप

हमें भारतीय संस्कृति की झाँकी भारत के महिमालय भूगोल, दर्शन, धर्म, सन्तों की प्यारभरी किन्तु क्रान्तिकारी वाणी, लोकपर्व, लोक संगीत और लोक साहित्य से प्राप्त होती है अथवा यूं कहना समीचीन होगा कि इनका समन्वित रूप ही भारतीय संस्कृति है।

इस संस्कृति के विकास में जितना उत्तरापथ का योगदान है उतना ही दक्षिणापथ का भी। साथ ही उतना ही अंरण्यवासी जनजातियों का भी। भारतीय संस्कृति के विकास में आर्य, द्रविण, यक्ष, नाग, किन्नर, शक, हूण ,आभीर, गुर्जर, जाट, पठान, मुसलमान, ईसाइयों आदि का योगदान है। भारतीय जीवन वस्तुतः एक मिश्रित परिवार है, जिसका प्रत्येक सदस्य अपनी विशिष्टता को बिना खोए समष्टिगत एकता की श्री

वृद्धि करता है। जीवन के प्रति समन्वय भरी उदार दृष्टि, सहिष्णुता और जिओ तथा जीने दो के सिद्धांत भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

मानव संस्कृतियों की मूलधाराएँ मूल भारतीय संस्कृति की जाह्नवी में आकर मिलती रहती हैं; उसे गति तथा नवजीवन प्रदान करती रहती हैं। भारत की एकता को बनाने में जितना योगदान इतिहास ने दिया है उसको स्थिर बनाने में उतना ही योग यहाँ के भूगोल का भी रहा है। उत्तर में अजेय हिमवान और तीन ओर से गंभीर सागर से घिरे रहने के कारण भारतीय प्रायद्वीप अपनी सांस्कृतिक एकता को दृढ करने में सफल हो सकती है। समय-समय पर दुर्दांत समूहों के भारत पर आक्रमण हुए किंतु सप्तसंधुओं की निर्मल धाराओं में निमंजन करने के पश्चात् वे समूह भारतीय महाजीवन में घुलमिलकर एक हो गए।

भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्र में बाँधे रखने में रामायण तथा महाभारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। राम के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण है कि भोली-भाली जनजातियाँ उनके प्रति अनायास आत्मसमर्पण कर देती हैं।

भारतीय जीवन में सदा बसंत की बहार और शरद की शीतल चांदनी ही नहीं छिटकी रही वरन् बाह्य आक्रमणों के लू के थपेड़े और आंतरिक संघर्ष के शिशिर की झंझा के हड्डियों को कँपा देने वाले झोंके भी सहे हैं। भारत की मिट्टी समय-समय पर ऐसे महापुरुषों, सन्तों व सुधारकों को जन्म देती है, जिनके उपदेशों की पीयूषवर्षा से समाजिक कलह का विष शान्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति की उदारता बहुत कुछ इन सन्तों, भक्तों एवं महात्माओं की देन है। महावीर, गौतमबुद्ध शंकर, रामानुज, नानक, कबीर, ज्ञानदेव, तुलसी—सूर आदि ने भारतीय संस्कृति की नैया की पतवारों को थामा और उसे अनुकूल दिशा प्रदान की है। डॉ रामास्वामी लिखते हैं—भारतीय संस्कृति बिना प्राचीन विचारों को खोए नवीन विचारों को आत्मसात कर सकती है, जिसका अंतिम परिणाम यह होता है कि विभिन्न और कभी-कभी विरोधी सांस्कृतिक प्रतिछवियां, धर्म और भाषाएं आपस में सम्मिलित, सम्मिश्रित और समन्वित होकर एक जीवन व्यवस्था में सुरक्षित हो जाती हैं।

सामासिक संस्कृति

भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का समावेश हो गया है। कुछ समाज शास्त्रियों की धारणा है कि विशुद्ध भारतीय संस्कृति अब भारत में ह्रास की स्थिति की ओर जा रही है। भारतीय संस्कृति को सीमारेखा में बांधना संभव नहीं है।

भारतीय संस्कृति की उपमा के रूप में बतलाया जाए तो कदली दंड के समान समझना चाहिए। केले का तना एक नहीं होता, उसका निर्माण अनेक पत्तों से होता है। पर्त पर पर्त चढ़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति कई संस्कृतियों के सम्मिलन से बनी है।

भारतीय संस्कृति में वैदिक, आर्य संस्कृति, पौराणिक संस्कृति, आर्येतर संस्कृति आदि अनेक संस्कृतियों का समन्वय है। इस संस्कृति में द्रविड संस्कृति, नाग-संस्कृति, कोल-भील संस्कृति आदि का समावेश है। विष्णु वैदिक देवता हैं, लेकिन शिव द्रविड़ संस्कृति के देवता हैं। आज विष्णु, शक्ति एवं शैव सभी को साथ मानते हैं। यह सभी मानते हैं कि प्राचीन समय में सिंदूर नाग जाति की नारियों का सुन्दर श्रृंगार था, किन्तु आज सिंदूर हिंदू जाति की नारियों का प्रमुख सौभाग्य चिह्न बना हुआ है। सभी सधवा नारियां मांग में सिंदूर लगाती हैं।

भारतीय संस्कृति कोई एक इकाई के रूप में संस्कृति नहीं है। अनेक संस्कृतियों का पूंजीभूत रूप है। भारतीय संस्कृति में इसे समझने के लिए जैसे पूर्व में कहा गया है केले के तने के रूप में अथवा इन्द्रधनुष के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के रूप में संतरे के अंदर कई फाँकें होने पर भी संतरा एक ही फल है। अनेक संस्कृतियों का सम्मेलन होने पर भी भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख बातें—विचार, व्यवहार तथा आस्थाएं—सर्वत्र समान हैं; वे हैं—ईश्वरवादिता, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, कर्म-फल-भोग तथा जन्मान्तरवाद । यही विचार धारा भारतीय संस्कृति का प्राणतत्व है। इसे अनेकत्व में एकत्व भी कह सकते हैं। ■

राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

चंद्रपुर

नराकास, चंद्रपुर की अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 11-11-2003 को श्री टी. चाक्को माणि, संयुक्त आयुक्त, चंद्रपुर की अध्यक्षता में तथा श्री राजेंद्र कुमार कनिष्क, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई के मार्गदर्शन में भारत संचार निगम लिमिटेड चंद्रपुर के सभा भवन में सम्पन्न हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चंद्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरविंद क्षीरसागर तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक श्री नितिन चायंदे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में और डॉ. देवेश कुमार सिंह, उपमहाप्रबंधक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समिति के सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री नरेश कांकरिया, शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इन्श्यारेंस कंपनी लि. द्वारा किया गया। समिति के सदस्य श्री चाक्को माणि ने अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री देवेश कुमार सिंह द्वारा राजभाषा के प्रचार में किए गए स्वैच्छिक सहयोग की सराहना की।

देवास

नराकास, देवास की 32वीं बैठक दिनांक 18-12-2003 को बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के महाप्रबंधक श्री अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे कार्यालय सदस्य हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं लेकिन प्रतिस्पर्द्धा की इस दौड़ में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने में समिति को जिन दो बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, वह है समय पर तिमाही रिपोर्टों का प्रेषण और समिति की बैठकों में सदस्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों की शत-प्रतिशत सहभागिता। इस हेतु राजभाषा विभाग द्वारा घोषित और प्रोत्साहन की नीति का पालन करते हुए सदस्य कार्यालयों से बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहने तथा अपनी रिपोर्ट समय पर प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है और प्रसन्नता की बात है कि इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जहां प्रतिस्पर्धा और अखिल भारतीय स्तर पर श्रेष्ठता साबित करने की बात आती है तो वहां शत-प्रतिशत परिणाम ही हमें इस दौड़ में आगे बनाए रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एकाध कार्यालय से रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है या उसके अधिकारी बैठकों में किन्ही कारणों से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो इससे समिति के आगे बढ़ते कदमों की गति धीमी पड़ जाती है।

जयपुर (बैंक)

दिनांक 4 मार्च, 2004 को बैंक नराकास जयपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के तत्वाधान में आयोजित "भारतीय पूंजी बाजार और आम-जन की भाषा" विषय पर परिसंवाद की अध्यक्षता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के अंचल प्रमुख श्री ए.के. महरोत्रा ने की। राजस्थान चेंबर आफ कॉमर्स के मानक महासचिव एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उपाध्यक्ष डॉ. के.एल. जैन ने कहा कि "भारतीय पूंजी बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, यदि इस बाजार में आम निवेशक की सुविधा के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग आरंभ कर दिया जाए तो देश का आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है। पूंजी बाजार का कार्य हमारी भाषाओं में होने से देश का एक बड़ा आबादी वर्ग भी समझ सकेगा।" प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक श्री जयसिंह कोटारी ने कहा कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में अगले 50 वर्षों में भी निरंतर बदलाव होंगे और इस बदलाव के फलस्वरूप हमें अपनी भाषा के स्वरूप में भी परिवर्तन करना होगा। पूंजी बाजार में सलाहकार ही मुख्य भूमिका का निर्वाह करेंगे और इसमें आम आदमी को हानि से बचाने के लिए हमें राष्ट्रीय नीति को स्थानीय भाषा में अपने स्तर पर ही परिवर्तित करना होगा। परिसंवाद के प्रारंभ में समिति के सचिव डॉ. जवाहर कर्नावट ने समिति की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस समिति को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार सम्मानित किया

जा चुका है तथा देश में पहली बार किसी समिति द्वारा पूंजी बाजार में आम-जन की भाषा के प्रयोग पर विचार करने की शुरुआत की गयी है परिसंवाद में विषय प्रवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक श्री के.पी. तिवारी ने किया। यूको बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय के संकाय सदस्य श्री आर.पी. शर्मा ने पूंजी बाजार में जोखिमों के मद्देनजर भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे सूचना के अधिकार के रूप में लिया जाना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री एम.एल. मनचंदा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

कोलकाता (बैंक)

नराकास कोलकाता की 36वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2004 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के बोर्ड कक्ष (5वां तल) में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक),कोलकाता के संयोजक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री के.एन. पृथ्वीराज ने की। श्री जी.डी. केसवानी, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, पूर्व क्षेत्र, कोलकाता ने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को गति देने के लिए विभिन्न प्रयासों के अंतर्गत यह समिति सक्रिय रूप से कार्यान्वयन को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालकों से अनुरोध किया कि अनुपालन को सुनिश्चित कराने में वे अपना भरपूर सहयोग दें। राजभाषा विभाग द्वारा इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मदों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाना जरूरी है। श्री श्यामलाल सिंह पूर्ति, उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता ने कहा कि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा इस समय कोलकाता में कुल 25 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जिसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण अधिकारी ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की हिंदी पत्रिका 'युनाइटेड दर्पण' की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से अन्य सदस्य कार्यालय भी आगे प्रयास करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा परिचालित अनुवाद प्रशिक्षण के लिए सभी कार्यालय नामांकन भेजें, जिससे अनुवाद प्रशिक्षण का फायदा सभी को उपलब्ध हो। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता के तत्वाधान में आयोजित विविध अंतर-बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बैठक के अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किया गया।

जम्मू

दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रयोगशाला के कार्यकारी निदेशक एवं नराकास के अध्यक्ष डॉ. एस.एम. जैन ने की। बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत श्री अशोक कुमार राजदान, प्रशासन नियंत्रक ने किया। अपने स्वागत संबोधन में श्री राज़दान ने कहा, कि ''हिंदी एक मात्र राष्ट्र की समर्पित भाषा है और इसे गतिशील बनाने में अपना योगदान करना चाहिए। भारत एक विशाल राष्ट्र है इस देश में अनेक प्रांतीय भाषाएं तथा विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां सदियों से विकसित हैं। देश की प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और प्रांतीय भाषाओं को एक साथ लेकर चलने में हिंदी एक सक्षम व विकसित भाषा है। राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश पूर्णत: स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता।'' अध्यक्षीय संबोधन में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए प्रयोगशाला के कार्यकारी निदेशक एवं अध्यक्ष नराकास डॉ. एम.एम. जैन ने कहा कि ''राष्ट्रभाषा किसी देश की आत्मा होती है, जो स्वयं राष्ट्र के विकास में प्रचार-प्रसार का माध्यम होती है। हमें राष्ट्रभाषा पर गर्व करना चाहिए।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''50 प्रतिशत से अधिक केंद्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों में हिंदी कार्यान्वयन में प्रगति हुई है अर्थात पहले से अच्छे प्रयास किए गए हैं मुझे आशा है कि वे इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएं ताकि हिंदी समृद्ध भाषा बन सके।'' वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के लिए अध्यक्ष, नराकास, जम्मू कार्यालय को 'प्रथम' पुरस्कार साथ ही सदस्य कार्यालयों को भी राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी को अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद एवं बधाईयां दीं। सचिव, नराकास को भी बधाई का पात्र बताया।

बडोदरा

समिति की 42वीं बैठक दिनांक 29-1-2004 को केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क भवन के सम्मेलन कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मान्यवर श्री पी. के. जैन, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, बडोदरा-1 ने की।

2082 HA/04—10

समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजभाषा विभाग द्वारा हमें हिंदी के प्रयोग के संबंध में कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, जिन्हें पूरा करना हमारा दायित्व है। ये लक्ष्य काफी रियलिस्टिक हैं, अगर हम गंभीरता से ध्यान देकर अपने कामकाज में हिंदी को अपना लें तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सभी कार्यालय-अध्यक्षों एवं उनके प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाएं तथा इस दिशा में प्रगति हासिल करें।

शिलचर

शिलचर, नराकास की 28वीं बैठक हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि., कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 25 नवंबर, 2003 को मिल के मुख्य अधिशासी श्री एल.वी. राव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पू.क्षे.), गुवाहाटी के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री बी.एन. प्रसाद, मुख्य अतिथि तथा हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय) के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) डॉ० ओम प्रकाश शर्मा विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

श्री एल. वी. राव ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि आप लोग अपने-अपने कार्यालयों के प्रमुख हैं। आपकी दृढ़ इच्छा-शक्ति से उठाए गये कदम निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी को नई दिशा देंगे। हमारा विश्वास है कि इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनका आपके कार्यालयों में अनुपालन होने से राजभाषा हिंदी की प्रगति अवश्य होगी।

राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पू.क्षे.), गुवाहाटी के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री बी एन प्रसाद तथा विशिष्ट वक्ता डॉ ओम प्रकाश शर्मा ने सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का निराकरण करते हुए राजभाषा अधिनियम और नियम के विशेष बिंदुओं पर चर्चा की।

बैठक का संचालन समिति के सदस्य सचिव डॉ० प्रमथनाथ मिश्र, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने किया।

कटक

दिनांक 18-12-2003 को उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारवाटी स्टेडियम, कटक के सम्मेलन कक्ष में 22वीं बैठक सम्पन्न हुई। आकाशवाणी, कटक के केन्द्र निदेशक तथा कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री बराह कुमार महांति ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), कोचिन के उप निदेशक श्री घनश्याम तांती उपस्थित थे।

केंद्र निदेशक श्री बराह कुमार महांति ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा पिछले दिनों संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा कटक स्थित 15 कार्यालयों का निश्चित किया गया था। इस निरीक्षण में कार्यालयों ने उपयुक्त सहयोग दिया, इसके लिए मैं शुक्र-गुजार हूं। कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अधीन 69 सदस्य कार्यालय हैं, परन्तु आज की इस बैठक में सिर्फ 19 कार्यालय के सदस्य उपस्थित हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अगली बैठक में कार्यालय अध्यक्ष अवश्य भाग लें, इससे भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें राजभाषा का प्रसार करना है और अगर हम इस बात को ठान लेते हैं कि हमें हिंदी में ही काम करना है तो कोई असुविधा नहीं होगी। "चन्द्रभागा" पत्रिका के बारे में सुझाव देते हुए आपने कहा कि पत्रिका के आवरण पृष्ठ में सुधार की आवश्यकता है। उपस्थित सभी कार्यालय अध्यक्षों तथा अधिकारियों से आपने "चन्द्रभागा" पत्रिका के लिए सुझाव भेजने के लिए आग्रह किया।

जयपुर

दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 को मनोरंजन कक्ष, महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर में 45वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक संपन्न हुई। जयपुर नगर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री डी.के. माथुर, वरिष्ठ लेखाधिकारी ने किया।

अध्यक्ष महोदय श्री चन्द्र लाल जी ने सदन में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सरकार राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का वर्ष में दो बार आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में हम सब मिलकर हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण का प्रयास करते हैं।

समेकित विवरण के आधार पर उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि, हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर तैयार पिछली कुछ बैठकों के समेकित

विवरण को देखने से यह बात सामने आई है कि कुल सदस्य कार्यालय के लगभग 50% सदस्य कार्यालयों के प्रतिवेदन ही इस कार्यालय में प्राप्त हो पा रहे हैं एवं बैठकों में शामिल होने वाले विभिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं अधिकारीगण की उपस्थिति लगभग 50% रही है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरे विचार में इन बैठकों का मूल उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आगामी बैठकों में सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति व्यक्तिश: एवं प्रतिवेदन के माध्यम से शत-प्रतिशत रहे। ताकि आप सभी के सार्थक विचारों, अमूल्य सुझावों एवं महत्वपूर्ण परामर्शों से इन बैठकों को उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रतिवेदनों के माध्यम से, भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई कठिनाइयों को, हिंदी के प्रचार-प्रसार द्वारा दूर कर शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

इन्दौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्व. उपक्रम) की वर्ष 2003-04 की द्वितीय छ: माही बैठक 27 नवम्बर, 2003 को भारतीय कपास निगम लिमिटेड, इन्दौर के सभागृह में निगम की महाप्रबंधक (हिंदी/प्रशासन) डॉ रीता कुमार (मुख्यालय मुंबई में पदस्थ) की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

समीक्षा पश्चात् अध्यक्ष महोदया ने रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रिपोर्ट में भरे जाने वाले आंकड़े वास्तविक होने चाहिये। उन्होंने प्रतिनिधियों के सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा को देवनागरी में लिखना हिंदी नियमों का पालन करना है। उन्होंने बताया कि द्विभाषी साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदया ने सर्वप्रथम 'राजभाषा चौपाल' एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम एक निश्चित समय अंतराल पर, उदाहरणार्थ दो महीने, विभित्र सदस्यों के कार्यालयों में आयोजित किया जा सकता है जिसमें विभिन्न सदस्यों के मध्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर एक नियमित विचार विमर्श हो सकेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सदस्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी हिंदी की मुख्य धारा में और प्रबल रूप से लाने का विचार भी व्यक्त किया गया। सभी सदस्यों ने 'राजभाषा चौपाल' का हार्दिक स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदया को इसके लिए धन्यवाद दिया। सर्वसम्मत्ति से इस कार्यक्रम की शीघ्र शुरुआत करने का निर्णय लिया गया।

पुणे

29 दिसंबर 2003 पुणे स्थित सभी सरकारी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28वीं बैठक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबंधक श्री विकास छापेकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री आर.डी. ध्रुवे, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री राजेंद्र कुमार कनिष्क, सहायक निदेशक (हि.शि.यो.) श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. दामोदर खड़से विशेष रूप से उपस्थित थे।

अध्यक्षीय भाषण में समिति के अध्यक्ष श्री विकास छापेकर जी ने बैठक के लिये रिपोर्टों के 100% प्रस्तुतीकरण को एक उपलब्धि मानते हुए सदस्यों से आग्रह किया कि अब वे हिंदी कामकाज व उसके प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रयत्न करें। उन्होंने कहा कि पहले छोटी-छोटी गलतियां करने और बाद में उन पर चर्चा करने तथा उन्हें सुधारने में लगने वाले समय को बचाया जा सकता है। उन्होंने समिति की भूमिका, समन्वयक कार्यालय की भूमिका तथा सदस्य कार्यालयों के दायित्वों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे यह अपील की कि समिति के मंच को राजभाषा के कार्यान्वयन का एक प्रभावी माध्यम बनाएं।

तत्पश्चात् राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री राजेंद्र कुमार कनिष्क के हाथों समिति की वार्षिक पत्रिका शिलालेख का विमोचन संपन्न हुआ।

तूतीकोरिन, तमिलनाडु

बारहवीं बैठक दिनांक 09-01-2004 को आकाशवाणी केंद्र, प्रसार भारती, मिल्लरपुरम, तूतीकोरिन-8 के परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नराकास के अध्यक्ष एवं भारी पानी संयंत्र-तूतीकोरिन, परमाणु ऊर्जा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.एस.एन. शास्त्री ने की। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चि से श्री जी.एस. तांती, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। श्री आई. सवरिमुत्तु, प्रशासनिक अधिकारी, भारी पानी संयंत्र श्री

एम. जयराज, अधीक्षक अभियंता, आकाशवाणी केन्द्र, प्रसार भारती एवं तूतीकोरिन नगर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों और उपक्रमों के कार्यपालकों/उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

नराकास तूतीकोरिन के सदस्य-कार्यालयों के बीच राजभाषा शील्ड योजना लागू की गई है और प्रथम बार तट रक्षक अवस्थान एवं भारत संचार निगम लिमिटेड को शील्ड प्रदान की गई। टॉलिक की त्रैभाषिक गृह पत्रिका 'नगराभिनन्दन' के तृतीय अंक का लोकार्पण अध्यक्ष द्वारा किया गया। संयुक्त टॉलिक हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी इस अवसर पर प्रदान किए गए।

श्री जी.एस. तांती ने अपने भाषण में बताया कि भारत में 1560 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है जिसके पीछे एक इतिहास है। हिंदी को पहले-पहल राजभाषा का दर्जा देने वाले सुब्रह्मण्य भारती, दयानन्द सरस्वती, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चन्द्र बोस आदि अहिंदी भाषी ही थे। नियम मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं। अत: राजभाषा विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के मार्गदर्शन में हमें सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ाने का अत्यधिक प्रयास करना चाहिए।

श्री एम.एस.एन. शास्त्री ने अपने भाषण में कहा कि हरेक कार्य करने से पहले यह निश्चित कर लें कि कार्य क्या है, उसका प्रभाव और परिणाम क्या है। हिंदी हमारे लिए नई भाषा नहीं है। इसके प्रोत्साहन हेतु सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है। हमें उनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित तूतीकोरिन में राजभाषा कार्यान्वयन सराहनीय है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि वे पत्रिका के प्रकाशन, प्रतियोगिताएं इत्यादि में रुचि लें एवं सक्रिय रूप से भाग लें।

पानीपत

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पानीपत की वर्ष 2004 की पहली बैठक दिनांक 19-02-2004 को श्री रोहित भारद्वाज, कार्यकारी निदेशक पानीपत रिफाइनरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्या.) श्री राज बहादुर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समिति के अध्यक्ष श्री रोहित भारद्वाज, ने समिति को राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत किये जाने पर सदस्य कार्यालयों को हार्दिक बधाई दी तथा समिति के क्रिया-कलापों पर संतोष प्रकट करते हुए सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे समिति को एक नई दिशा प्रदान करें जिससे पानीपत समिति को एक अनुकरणीय समिति का दर्जा हासिल हो सके।

अध्यक्ष महोदय ने समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख की हिस्सेदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा की। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों की कार्य प्रणाली की ओर इंगित करते हुए कहा कि "लक्ष्य जिंदगी का पहलू हैं और लक्ष्य वह होना चाहिए जो कि कामयाबी का रूप दे सके"। जिस पर सदस्य कार्यालयों द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे। अपने उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय प्रमुख की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंदी कार्यान्वयन एवं इसका प्रचार-प्रसार एक सरकारी महज बनकर न रह जाए बल्कि हमें इसे दिल से अपनाना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों को हर हालत में हासिल करना होगा।

दिल्ली बैंक

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक बैठक वी.के. नागरक, अध्यक्ष दिल्ली बैंक नराकास एवं महाप्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली अंचल की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय स्टाफ कालेज के सभागार में आयोजित की गई। बैठक के साथ-साथ उक्त अवसर पर दिल्ली बैंक नराकास पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। जिसमें वर्ष 2003 के दौरान दिल्ली बैंक नराकास के स्तर पर आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती नीना रंजन, सचिव, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता वर्ष 2002-03 में पंजाब नेशनल बैंक व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उक्त अवसर पर श्रीमती नीना रंजन ने दिल्ली बैंक नराकास द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका बैंक भारती का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) में उप निदेशक श्री रमेश बाबू अणियेरी तथा क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग में उप निदेशक श्री प्रेम सिंह भी उपस्थित थे। उक्त बैठक में दिल्ली स्थित विभिन्न 34 राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की गयी।

अहमदाबाद (बैंक)

अहमदाबाद (बैंक) की 34वीं छमाही बैठक दिनांक 12 फरवरी, 2004 को समिति के संयोजक-देना बैंक, महाप्रबंधक (गुजरात) कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा देनालक्ष्मी भवन में स्थित सभागृह में आयोजित की गयी। बैठक में भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन), श्री आर.के. कनिष्क मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता श्री पुरुषोत्तम कुमार, महा प्रबंधक, देना बैंक (गुजरात परिचालन) ने की। विभिन्न बैंकों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए श्री आर.के. कनिष्क ने कहा कि सदस्य बैंकों द्वारा रिपोर्टों में वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किये जायें। उन्होंने मूल कार्य हिंदी में करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी हिंदी में कार्य करने के लिए पहल करें ताकि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री पुरुषोत्तम कुमार, महा-प्रबंधक, देना बैंक (गुजरात परिचालन) ने कहा कि समिति के कार्यक्रमों में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और यह सभी सदस्य बैंकों के सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर राजभाषा के कार्यान्वयन का कार्य एक मिशन भावना से ही सफल बना सकते हैं। आपने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जो समीक्षा होती है इससे राजभाषा कार्यान्वयन में अगर कोई कमियां हों तो उन्हें सुधारा जा सकता है। हिंदी अपनी भाषा है, इसे इतना बढ़ावा देना चाहिए कि हमें अंग्रेजी का मोहताज न रहना पड़े। नराका. समिति (बैंक) द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक प्रतियोगिता अथवा कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से सभी बैंकों में हिंदी में कार्य करने के लिए एक माहौल बने तथा स्टाफ सदस्य प्रोत्साहित हों।

डलहौजी

30 दिसंबर, 2003 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डलहौजी की वर्ष 2003 की दूसरी व अन्तिम छमाही बैठक श्री ए.के. सचदेवा, कार्यपालक निदेशक क्षेत्र II. की अध्यक्षता में एन.एच.पी.सी. कार्यालय, बनीखेत में संपन्न हुई।

श्री ए.के. सचदेवा, कार्यपालक निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सदस्य कार्यालयों का यह दायित्व है कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार व विकास के लिए अपने-अपने कार्यालय में अग्रसर रहें। श्री सचदेवा ने यह भी सुझाव दिया कि सभी सदस्य कार्यालय अपने-अपने कार्यालय की राजभाषा की प्रगति से संबंधित गतिविधियों को आपस में एक-दूसरे को अवगत कराते रहें। आगे उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सदस्य कार्यालयों की रुचि एवं सुविधा के अनुसार नगर राजभाषा समिति की बैठक किसी भी सदस्य कार्यालय के परिसर में आयोजित की जा सकती है। जो कार्यालय अपने कार्यालय में यह बैठक आयोजित कराना चाहते हैं, वे अपनी सहमति भिजवा सकते हैं।

इस बैठक में श्री सचदेवा ने सदस्यों के इस सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की नगर राजभाषा समिति की गतिविधियों से संबंधित एक न्यूज लैटर का प्रकाशन किया जाए। उन्होंने यह उम्मीद जतायी कि इस पत्र के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ सदस्य कार्यालयों को एक ही स्थान पर समिति की सारी गतिविधियों की जानकारी मिल जाएगी और इस समिति की बैठकों में उपस्थिति बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए सभी सदस्य कार्यालय अपनी राजभाषा संबंधी गतिविधियों की सभी सूचनाएं नराकास मुख्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध करवायें।

श्री सचदेवा ने सभी सदस्यों को आह्वान किया कि राजभाषा की प्रगति के लिए सभी व्यक्तिगत रूप से रुचि लें तभी राजभाषा की प्रगति सुनिश्चित होगी।

लुधियाना

लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप क्षेत्रीय कार्यालय, शाम नगर, लुधियाना में दिनांक 27-01-2004 को आयोजित की गई। श्रीमती सुधा शर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

श्रीमती सुधा शर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समिति के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हुए मुझे यद्यपि थोड़ा समय ही हुआ है फिर भी इस समिति की उपलब्धियों और इसके सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में मुझे पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वयं उपस्थित हों तो ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं तथा प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। अत: भविष्य में कार्यालयाध्यक्ष स्वयं इस बैठक में भाग लें। केवल सरकारी मजबूरी के लिए इन बैठकों का आयोजित किया जाना अनुचित है। कई लोग अंग्रेजी में बात

2082HA/04—11

करना फैशन परस्ती समझते हैं तथा अपना रौब डालने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये धारणाएं मूल रूप से सही नहीं हैं। हममें से बहुत से लोगों की मातृभाषा हिंदी है अगर हम दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग करें तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की उपयोगिता तभी सिद्ध हो सकती है यदि अधिकारीगण भी अधिक से अधिक काम हिंदी में करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सामने सही अर्थों में अनुकरणीय उदाहरण पेश करें।

रतलाम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रतलाम की दिसंबर-2003 की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 26-02-2004 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में 30 सदस्य कार्यालयों ने प्रभारी अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री बी.डी. कुमार ने वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा करने की बात पर बल देते हुए छोटे-छोटे कार्यों जिनकी प्राय: अनदेखी कर दी जाती है उनमें अनिवार्य रूप से हिंदी का प्रयोग करने की बात पर विशेष जोर दिया जैसे कि हस्ताक्षर हिंदी में करें, स्वयं से संबंधित आवेदन/अभ्यावेदन एवं अन्य कार्यालयीन कार्य-व्यवहार में पूरी तरह से हिंदी का प्रयोग करें। उन्होंने सदस्य कार्यालयों द्वारा कुछ सम्मिलित कार्यक्रम आयोजित कर राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए सानुकूल वातावरण निर्मित करने का आव्हान भी किया।

भोपाल

13 जनवरी, 2004 को संयोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय, भोपाल में 39वीं बैठक श्री घनश्याम गुप्ता, महा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय मुंबई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्री सुनील सरवाही, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल बैठक के मुख्य अतिथि थे।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में श्री गुप्ता जी ने कहा कि मैं पिछली बैठक में विशेष रूप से उपस्थित होकर आप सबको बधाई देना चाहता था, क्योंकि आपकी इस समिति को गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से माननीय उप प्रधानमंत्री जी द्वारा शील्ड प्रदान की गई थी, जो कि वास्तव में एक गौरव की बात थी, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। श्री गुप्ता जी ने आगे कहा कि सम्मान मिलना एक बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ी बात होती है, उस सम्मान को बनाये रखना। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्यों के सक्रिय सहयोग से यह समिति आगे भी इसी प्रकार का सम्मान प्राप्त करती रहेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

श्री गुप्ता जी ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा समय-समय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के दौरान संसदीय समिति द्वारा सब जगह सबसे अधिक बल नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रधान की उपस्थिति पर दिया गया है। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय प्रमुख नराकास की बैठकों को गंभीरता से ही नहीं लेते हैं और इसीलिए वे बैठकों में भाग नहीं लेते हैं जो कि न केवल राजभाषा नीति के विरुद्ध है अपितु भारत सरकार के निर्देशों की अवहेलना भी है। श्री गुप्ता जी ने आगे कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में भी कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति के लिए कुछ अंक दिये जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी यह सुनिश्चित करें कि छ: माह में एक बार आयोजित होने वाली इस बैठक में कार्यालय प्रमुख के रूप में स्वयं उपस्थित रहें और अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें।

श्री गुप्ता जी ने कंप्यूटरीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि सभी सदस्य बैंक यह सुनिश्चित करें कि जहां-जहां कंप्यूटर में द्विभाषिक साफ्टवेयर लगे हैं, उसका अधिकतम प्रयोग हिंदी में कार्य करने के लिए किया जाए। उन्होंने समिति की बैठक नियत समयावधि के अंदर आयोजित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

औरंगाबाद

36वीं बैठक श्री डी. एस. नेगी आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद, की अध्यक्षता में दिनांक 30-01-04 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख अतिथि के रूप में श्रीमती नीना रंजन, सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, एवम् श्री राजेन्द्र कुमार कनिष्क, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) पश्चिम क्षेत्र मुंबई भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती नीना रंजन सचिव (राजभाषा) नई दिल्ली को बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति औरंगाबाद का गठन 1986 में किया गया, इस समिति की अब तक 35 बैठकें हो चुकी है। आज समिति की यह 36वीं बैठक संपन्न हो रही है। इस समिति के 50 सदस्य कार्यालय

है जिनमें सरकारी कार्यालय, बैंक और उपक्रम शामिल है। औरंगाबाद के सरकारी कार्यालयों में 65 से 70% कार्य हिंदी में होता है। यहां हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जा रहे है जिनमें नियमित रूप से 'प्राज्ञ' एवं 'हिंदी टंकण' प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 1600 कर्मचारियों को हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का तथा 200 कर्मचारियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान सत्र में प्राज्ञ में मात्र 22 तथा फरवरी सत्र के हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु 10 प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन प्राप्त हो चुके हैं।

सचिव महोदया ने कहा कि कार्यालय के उच्चस्तर के अधिकारी यदि हिंदी में कार्य करें तो उनके अधीनस्थ अधिकारी भी अपना कार्य हिंदी में करेंगे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक ऐसा मंच है, जिसका प्रयोग हिंदी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिये कर सकते है तथा इससे संपर्क भी बढ़ता है।

राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट पर हिंदी प्रशिक्षण हेतु लीला प्रबोध, लीला प्रवीण, लीला प्राज्ञ, प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इसका माध्यम अंग्रेजी है, अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना गौरव की बात है, हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने का प्रयास करें जिससे वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ती की जा सके।

कोलकाता (उपक्रम)

कोलकाता (उपक्रम) की छमाही बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2004 को "टालीगंज कलब" में सम्पन्न हुई। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशक (नीति) श्री बी. एम. एस. नेगी उक्त बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष व स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. के कार्यपालक निदेशक, प्रभारी (आर. एम. डी) श्री बी. एन. सिंह ने की। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, पूर्व क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री जी. डी. केसवानी ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के कोलकाता में स्थित कार्यालयों-जो समिति सदस्य कार्यालय हैं- में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में समिति के सदस्यों, भारत सरकार, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य प्रतिभागियों को मिलाकर कुल 192 प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान समिति की ओर से विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को "प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार" प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में समिति की ओर से प्रकाशित होने वाली गृह पत्रिका "अभिव्यक्ति" के आठवें अंक का लोकार्पण भी माननीय मुख्य अतिथि द्वारा किया गया।

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि श्री बी. एम. एस. नेगी ने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार व कार्यान्वयन के लिए "प्रेरणा" एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी में अपना अधिक से अधिक कार्य निष्पादित करना चाहिए ताकि उनके अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरणा मिले और वे उनका अनुसरण करें। इस मौके पर अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री बी. एन. सिंह ने कहा कि हमें हिंदी में काम करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए।

रोहतक

42वीं बैठक दिनांक 17-02-2004 को आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री अशोक कुमार अनेजा जी की अध्यक्षता में आयकर भवन, रोहतक के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

इसके उपरान्त राजभाषा विभाग के विशेष प्रतिनिधि श्री शुक्ला जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में राजभाषा अधिनियम में दी गई संविधानिक जिम्मेदारियों की व्याख्या करते हुए सभी को उनका अनुपालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा को सीखने में बुराई नहीं हैं परन्तु उस भाषा के गुलाम बनकर अपना सारा काम-काज अंग्रेजी में करने में बुराई है। हिंदी भाषा इतनी सक्षम भाषा है कि इसमें सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अतः हमें अपनी मानसिकता बदल कर अपनी मातृभाषा, राजभाषा का आदर करना चाहिए तथा अपना अधिक से अधिक काम-काज हिंदी में करना चाहिए।

अशोक कुमार अनेजा जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए यह अनुरोध किया कि सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को इन बैठकों में आना चाहिए क्योंकि बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यालय प्रमुख ही अपने-अपने कार्यालयों में लागू करवाने में सक्षम होते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को यह भी अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप ही कार्य करवाएं। ■

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद

श्री अनुराग, कार्यपालक अभियन्ता, इलाहाबाद केंद्रीय मंडल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक, इलाहाबाद की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक वर्ष, 2004 की दिनाँक 8-1-2004 को सम्पन्न हुई। हिंदी प्रगति की समीक्षा के उपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2004-2005 के विभिन्न मदों पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था में सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने सामूहिक प्रयास में विभिन्न मदों में अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके प्रयोग एवं विस्तार से हमें गोरवान्वित होना चाहिए। इस शुभ विचार के साथ एवं अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुनेलवेली

31-12-2003 को समाप्त तिमाही की राजभाषा समिति की बैठक दिनाँक 18-12-2003 श्री एम. सुरेश, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुनेलवेली की अध्यक्षता के अधीन मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में हुई। शुरु में आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और पिछले बैठक के कार्यवृत की सर्मीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में राजभाषा के प्रयोग के लिए विशाल कार्य क्षेत्र है। इस आयुक्तालय के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का एक पद मंजूर किया गया है। उन्होंने आगामी हिंदी कक्षाओं के लिए मुख्यालय के अधिक से अधिक अधिकारियों को नामांकित करने का निदेश दिया और कहा कि नामांकित अधिकारियों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। मुख्यालय, निरुनेलवेली के सभी अधिकारियों के नामपट्ट और अनुभागों के नाम द्विभाषिक रूप में बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। कुछ अधिकारियों/अनुभागों को द्विभाषिक रबड़ की मोहरें सप्लाई की गई है और बाकी अधिकारियों और अनुभागों को सप्लाई करने की कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने अनुदेश दिया कि कार्यालय में तुरंत सूचनापट्ट रखा जाए और रोज एक हिंदी शब्द अंग्रेजी और तमिल अर्थ सहित लिखा जाए।

सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सेलम

31 दिसम्बर, 2003 को समाप्त तिमाही अवधि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन 4 दिसम्बर, 2003 को श्री नजीव शाह, आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेलम आयुक्तालय की अध्यक्षता में मुख्यालय में सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और क्षेत्र 'ग' में जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के सेलम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त आते हैं, दिनचर्या, कार्यालय के कामकाज हिंदी में करने के महत्व पर जोर देकर बैठक की शुरुआत की। मुख्यालय और मंडलों में काम करने वाले सभी उप और सहायक आयुक्तों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक (नराकास) में और आयोजित अन्य किसी हिंदी बैठक अपने क्षेत्राधिकार के अंर्तगत खुद भाग लेने का निदेश दिया। अगर कोई अधिकारी छुट्टी पर हो तो उस बैठक (रा. भा. का. स. बै.) ने भाग लेने के लिए एक अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाए।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैसूर

30 सितंबर, 2003 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कुमारी मीनाक्षी पासी, अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मैसूर की अध्यक्षता में 29-12-2003 को 12 बजे मुख्यालय के सभागृह में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदया ने 30-9-2003 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी के प्रगामी उपयोग के संबंधित मुद्दों को पढ़कर बैठक की शुरूआत की। यह देखा गया कि इस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत बहुत कम है। कार्यालय में हिंदी का प्रभावी प्रयोग के लिए निम्नलिखित मुद्दों का सुझाव दिया :—

1. भेजे जाने वाले पत्रों में हस्ताक्षर हिंदी में किया जाये।
2. पत्र शीर्ष और कम से कम पत्र का अंतिम वाक्य हिंदी में लिखा जाये।
3. न्याय आदेश का आमुख, रिर्पोट्स को अग्रसरित करने वाले पत्र और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण द्विभाषी में हों। यह भी निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटर के

'शेअर्ड डॉक्यूमेंट्स' में कार्यालय का पत्र शीर्ष, पता, साधारण प्रयोग किए जाने वाले हिंदी वाक्य और अग्रसरित पत्र टाइप किया जाये ताकि सभी अफसर कम्प्यूटर पर प्रवेश करके इसे आसानी से प्रयोग कर सके।

4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित दस्तावेजों की सूची सभी मंडल कार्यालयों एवं मुख्यालय के सभी अनुभागों को वितरित किया जाये ताकि सब तिमाही रिपोर्ट में सही आंकड़ों का उल्लेख किया जाये।

5. मुख्यालय और मंडल कार्यालयों के सभी विभागों में हिंदी/द्विभाषी में जाने वाले पत्रों की संख्या अपने-अपने प्रशासनिक अधिकारी को दी जाये। हिंदी में प्राप्त और भेजे गए पत्रों का ब्यौरा रखा जाये।

6. उपयोगी हिंदी पुस्तकों को खरीद कर मंडल कार्यालय और बाहरी कार्यालयों को पूर्ति की जाये।

7. सामान्य भविष्य निधि और अर्जित छुट्टी के टिप्पणी द्विभाषी में हों और सेवा पुस्तिका में कुछ प्रविष्टियां द्विभाषी में हों। मुख्यालय और सभी मंडल कार्यालय के अफसरों को हिंदी में भाषांतर करने वाले अपेक्षित दस्तावेज मुख्यालय के हिंदी अनुभाग को पेश करने के लिए कहा गया।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ-1 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक (जुलाई-सितम्बर, 2003 एवं अक्तूबर-दिसम्बर, 2003 दोनों तिमाहियों की संयुक्त) दिनाँक 18-3-2004 को श्री वी. के शर्मा, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, मेरठ की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली, समझी जाने वाली भाषा हिंदी संघ की राजभाषा है। राजभाषा को समृद्ध बनाने का दायित्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों का है। सरकारी सेवक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम राजभाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें और अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करें। हिंदी भाषा के क्लिष्ट होने और हिंदी में कार्य करना मुश्किल होने के तर्क पर असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि भाषा अपने आप में क्लिष्ट नहीं होती, जिस भाषा के प्रयोग का अभ्यास हमें होता है वह भाषा सरल हो जाती है। अत: हमें सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर उसे सरल बनाना हैं। इस भय से कि कहीं राजभाषा हिंदी के प्रयोग के समय आशुद्धि न कर बैठें, हिंदी भाषा का प्रयोग न करना या कम करना, वांछित नहीं। अशुद्ध अंग्रेजी लिखने के बजाय यदि हिंदी में अशुद्ध लिखा जाए तो अनुचित नहीं है, क्योंकि भाषा प्रयोग से ही सीखी जा सकती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति एवं संचार का माध्यम नहीं है बल्कि उसके साथ हमारा सर्वांगीण विकास जुड़ा हुआ है। हम अपने विचारों को अपनी भाषा में ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। मस्तिष्क में अपनी भाषा में अंकित विचारों को यदि किसी दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में अधिक परेशानी होती है। इसके लिए हमें अपनी भाषा अपनानी होगी। हमें सरकार के द्वारा निर्धारित अधिनियमों, नियमों विनियमों अदि का पूर्ण रूप से पालन करना होता है, अत: राजभाषा अधिनयम और नियमों का पालन करना भी हमारा दायित्व है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रावधान है। यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। अत: हमें मूल हिंदी पत्राचार के शत-प्रतिशत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। कम्प्यूटरों में हिंदी में कार्य की व्यवस्था के साथ-साथ हिंदी में कार्य करना भी सीखना होगा। अत: इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कण्डला (कच्छ)

कैऔसुब इकाई केपीटी कण्डला में हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनाँक 31-12-2003 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनाँक 5-1-2004 को वरिष्ठ कमाण्डेंट कैऔसुब इकाई केपीटी कण्डला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पहले हिंदी के महत्व एवं उसके विकास के लिए प्रकाश डालते हुए सभी अधिकारियों एवं सदस्यों को निर्देश दिए कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र एवं विभाग में इस ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। जगह-जगह संगोष्ठियां होती हैं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी के तारतम्ब में केऔसुब मुख्यालय नई दिल्ली से भी समय-समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं जिनका पालन कर रहे हैं तथा हिंदी के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु लक्ष्य से भी दूर हैं जिसको प्राप्त करने का हम लोगों को और भरसक प्रयास करना है। अतएव

सभी अधिकारियों व बल सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करें जिससे हिंदी की प्रगति हो सके।

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-1 आयुक्तालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 87वीं बैठक दिनाँक 9 मार्च, 2004 को सम्मेलन कक्ष, मुख्यालय में श्रीमती नीलम रतन नेगी, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-1 की अध्यक्षता में सम्पन्न् हुई। अध्यक्ष महोदया ने सभी मण्डलों/अनुभागों के प्रभारियों से कहा कि वे अपने-अपने कार्यालय में उपयोग में लाए जाने वाले सभी मानक प्रपत्रों का हिंदी अनुवाद करवा लें और प्रयोग में लाएं। पत्रों में पत्राचार का विषय द्विभाषी रूप में लिखा जाए। पहले हिंदी में विषय लिखा जाए फिर अंग्रेजी में लिखा जाए। बिल, प्रशासनिक रिपोर्ट हिंदी में भेजे जाएं। ट्रेड नोटिस, अपवंचन विरोधी रिपोर्टों के अग्रेषण पत्र हिंदी में हों। अध्यक्ष महोदया ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक मण्डल/अनुभाग में छुट्टी हेतु आवेदन, कार्यभार संभालने की सूचनाएं, हिंदी में ही हों। अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर हिंदी में करें। प्रयोग में लाई जाने वाली सभी मुहरें द्विभाषी हों। अध्यक्ष महोदया ने अनुभाग/मण्डल प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके अधीनस्थ कार्यालय में हिंदी पत्राचार हेतु अलग आवक/जावक पंजिका रखें ताकि हिंदी पत्राचार का सही प्रतिशत प्राप्त हो सके और पत्राचार पर नजर रखी जा सके। उन्होंने द्विभाषी पत्रों की गणना हिंदी पत्राचार में करने के आदेश दिए। अध्यक्ष महोदया ने सभी मण्डल/अनुभाग प्रभारियों को तिमाही रिपोर्ट में सही आंकड़े प्रस्तुतत करने एवं रिपोर्ट समय पर भेजना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। अध्यक्ष महोदया ने सभी मण्डल/अनुभाग प्रभारियों को तिमाही रिपोर्ट में सही आंकड़े प्रस्तुत करने एवं रिपोर्ट समय पर भेजना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। धारा 3 (3) का अनुपालन करने पर जोर देते हुए अध्यक्ष महोदया ने धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों का हिंदी में अनुवाद करवा कर द्विभाषी रूप में जारी करने के आदेश दिए।

कार्यालय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II, बनीखेत

कार्यालय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II, बनीखेत (हि.प्र.) में दिनांक 20-12-2003 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता श्री ए. के. सचदेवा, कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II, ने की। इस बैठक में पिछली बैठक के कार्यावृत पर विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद पुष्टि की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसे देवनागरी साफ्टवयेर की उपलब्धता के बारे में जानकारी के लिए ई. डी. पी. विभाग निगम मुख्यालय को पत्र लिखा जाए, जिससे अनुवाद की सुविधा के साथ-साथ आवाज सुनकर मॉनिटर पर टाइप करता हो। वर्ष, 2003 में हिंदी में मूल रूप से टिप्पण/आलेखन करने पर नकद पुरस्कार संबंधी परिपत्र पुन: जारी किया जाए। विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत कंप्यूटर का हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए नामित अनुपस्थितियों की सूचना संबंधित विभाग को कार्रवाई हेतु दी जाए। सिविल विभाग टेंडर नोटिस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना आरंभ करें। हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासनिक पत्र व रिपोर्ट आदि के अग्रेषण पत्र हिंदी में भेजे जाएं। जन संपर्क विभाग, सारा पत्राचार व टिप्पणी आदि हिंदी में जारी करें। केंद्रीय पुस्तकालय ऐसा प्रोफोर्मा तैयार करे जिसमें एक ही झलक में पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार पत्र पढ़ने वालों की सूचना मासिक रूप से मिल जाए। निगम में सबसे अधिक पत्राचार हिंदी में करने वाले कार्यालय/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों का पता निगम मुख्यालय से प्राप्त किया जाये। राजभाषा हिंदी की सी. डी. (यो) का समूहवार प्रदर्शन किया जाये।

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 27-1-2004 को महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सम्पन्न हई। मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री कृष्ण कुमार गुप्त ने सदस्य का स्वागत करते हुए पिछली तिमाही बैठक के पश्चात् इस रेलवे की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिंदी का संबंध हमारे अस्मिता से जुड़ा हुआ है और हमारे हृदय में रची-बसी है, इसी के माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से हिंदी को क्रियाशील भाषा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने दैनिक कार्यों के प्रयोग में आने वाले तकनीकी शब्दों को यथावत हिंदी में लिखते हुए सहज बोल-चाल की हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। इसी क्रम में शब्दों के मानकीकरण की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराते हुए उन्होंने कहा कि समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मानक शब्दों के प्रयोग पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें रेल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे शब्द जो आम बोल-चाल में रूढ़ हो गए हैं, वे तकनीकी शब्द चाहें, जिस भाषा के हों, हमें उसे उसी रूप में देवनागरी में प्रयोग करना

चाहिए। साथ ही उन्होंने सदस्यों को अवगत कराया कि बहुत शीघ्र पूर्वोत्तर रेलवे पर मानक साफ्टवेयर उपलब्ध हो जाएगा और इसके बाद हिंदी में ई-मेल भेजना अपेक्षाकृत काफी सहज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में बहुत पहले से हिंदी में अच्छा काम हो रहा है, जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे दूर करने हेतु एक ईमानदार प्रयास की जरूरत है।

दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता

क्षेरेराकास की 70वीं बैठक 16-3-2004 को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक (मप्र)/दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पदेन अध्यक्ष/क्षेरेराकास श्री रतन राज भंडारी ने की। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (मप्र)/दक्षिण पूर्व रेलवे एवं रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी (मुराधि) श्री असित चतुर्वेदी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा संशोधित 1967 की धारा 3 (3) का जिक्र रकते हुए इस बात को रेखांकित किया कि 14 सुपरिभाषित कानूनी आलेखों हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना एक अनिवार्यता है। ये प्रावधान बाध्यकारी हैं तथा इस संबंध में किसी भी रेल अधिकारी को छूट प्राप्त नहीं है। अत: संदर्भगत प्रलेखों के अनिवार्य द्विभाषी निष्पादक/निर्गम के प्रति हर प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय जागरूकता बरती जाए। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे मूलत: जनसेवी संगठन है। अत: इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदी भाषी जनमानस को रेल के साथ पत्राचार करने और/अथवा संवाद करने में कोई असुविधा न हो। मुराधि ने रेलवे के कार्यक्षेत्र में हिंदी के प्रति उत्साहवर्द्धक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का आग्रह सदस्यों से किया, ताकि रेलवे के अधिकाधिक कार्मिक राजभाषा कार्यान्वयन अनुष्ठान से सही अर्थों में जुड़ सकें। महाप्रबंधक एवं पदेन समिति-अध्यक्ष ने कहा कि भाषा का संबंध हृदय से है। अत: हमें विभिन्न भाषा भाषियों के बीच भाव सेतु बनाना चाहिए। भाषा मन से यदि अपनायी जाए तो उसका प्रसार स्वत: होने लगता है। कानून के शिकंजे में भाषा को नहीं कसा जा सकता। इसलिए, हमें रेलवे के काम-काज को सहज एवं प्रचलित करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के विचारों को सही तौर पर समझ सके। हिंदी में काम करना व्यावहारिक का भी तकाजा है। अत: मूल काम हिंदी में होना चाहिए। राँची और चक्रधरपुर मंडल की टेलीफोन निदेशिकाएं केवल हिंदी में छपे। रेलों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां काम कर रही हैं, उनकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर हम सब को हिंदी के प्रति सकारात्मक माहौल के सृजन में पूर्ण योगदान देना चाहिए। हिंदी विषयक सूचनओं की प्रमाणिकता बनाए रखने की परम आवश्यकता है, ताकि सभी के सहयोग से भाषा-प्रबंधन कार्य को गुणवत्ता के नए आयाम बक्शे जा सकें।

बैंकिंग प्रभाग, राजकोट

बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101वीं बैठक बैंकिंग प्रभाग के निदेशक (प्रशासन) श्री जी. आर. सुमन की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी, 2004 को राजकोट में हुई। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रशान्त सरन, भारतीय रिजर्व बैंक (कृषि बैंकिंग महाविद्यालय) की प्रधानाचार्य एवं मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती पी. कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) डॉ. राजेश्वर गंगवार तथा महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री डी. आर. धुर्वे, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के महाप्रबंधक श्री एस. डी. नाईक एवं स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के उप महाप्रबंधक श्री एस. पी. सेठी सहित सरकार क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के अध्यक्ष एवं बैंकिंग प्रभाग के निदेशक (प्रशासन) श्री जी.आर. सुमन ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति की सराहना की जाती है। उन्होंने समिति को यह भी अवगत कराया कि राजभाषा अधिकारियों के स्टाफिंग पेटर्न की रिपोर्ट पर भारतीय बैंक संघ सहित सभी संबंधित बैंकों से अभिमत प्राप्त हो गए हैं और बैंकिंग प्रभाग द्वारा उसकी जांच करके उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज पिछली तिमाही की उपलब्धियों और कमियों आदि की समीक्षा की जाएगी और कमियों आदि की समीक्षा की जाएगी और आशा व्यक्त की कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से राजभाषा हिंदी की निरन्तर प्रगति होगी।

केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर

केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ तिमाही बैठक दिनांक 23-12-2003 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संस्थान के व्याख्यान कक्ष में निदेशक सह अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वित्त एवं लेख अधिकारी तथा भंडार एवं क्रय अधिकारी के पास जो भी संचिकाएं भेजी जाएं वे अनिवार्य रूप से कम से कम हिंदी में हस्ताक्षरित हो। ऐसा न होने पर उस संचिका को लौटाया जा सकता है। ■

(ग) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की नवगठित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक माननीय कृषि एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संघप्रिय गौतम की अध्यक्षता में दिनांक 13-11-2003 को भूतल कमरा संख्या-47 में आयोजित की गई। श्री संघप्रिय गौतम ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंत्रालय के कार्य की प्रकृति और उपलब्धियों का संक्षेप में परिचय दिया और सम्बद्ध कार्यालयों के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी प्रयत्नों से भी अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने बैठक के दौरान बताया कि मंत्रालय में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हिंदी पत्राचार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय की पिछली तिमाही के हिंदी पत्राचार के आंकड़ों की अपेक्षा जून, 2003 की तिमाही रिपोर्ट के हिंदी पत्राचार के आंकड़ों में क्रमिक वृद्धि हुई है। मंत्रालय में धारा 3 (3) और नियम-5 का पूर्णत: अनुपालन किया जा रहा है। बैठक में माननीय सदस्य श्री अनिल बसु, श्री कृपाल परमार, डॉ रहमतुल्ला, श्री जैन, श्री प्रदीप जयसवाल ने उल्लेख किया कि राजभाषा हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हिंदी को सरल रूप से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो आम बोलचाल के अंग्रेजी शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग किया जाए ताकि आम जनता आसानी से आशय को समझ सके। श्री शिव शंकर मिश्र जी ने कहा कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उद्योग आदि से संबंधित पत्र/पत्रिकाओं में हिंदी भाषा को सरल रूप में प्रयोग किया जाए जिससे आम लोग विषय को समझ सकें। डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने कहा कि यह नया मंत्रालय बना है और इस मंत्रालय की जून, 2003 की रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार यह मंत्रालय राजभाषा नियम-10(4) के अंतर्गत पहले से अधिसूचित है। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय में हिंदी में अधिक कार्य करने के लिए नियम-8(4) के अंतर्गत व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाएं। इसके अलावा नियम-8(4) के अंतर्गत और अधिक अनुभागों को अधिसूचित किया जाएं। मंत्रालय द्वारा 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालय/बोर्ड/आयोग के साथ शत-प्रतिशत अर्थात निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में पत्राचार किया जाए। माननीय सदस्य श्री अनिल बसु ने कहा कि मंत्रालय के बाह्य स्थित कार्यालयों में निरीक्षण के दौरान भी हिंदी के बजाए अंग्रेजी में पत्राचार देखा गया है इसलिए मंत्रालय द्वारा मूल पत्राचार अधिक से अधिक हिंदी में किया जाए। तथापि कयर बोर्ड और खादी एंव ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जाए।

पोत-परिवहन मंत्रालय, चेन्नई

पोत-परिवहन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की चौथी बैठक दिनांक 31-1-2004 को अपराह्न 4-00 बजे चेन्नई में सम्पन्न हुई। उपर्युक्त बैठक की अध्यक्षता, पोत-परिवहन मंत्री, श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने की। अध्यक्ष महोदय ने हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए यह कहा कि उनके पोत परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उपर्युक्त समिति की यह दूसरी बैठक आयोजित की जा रहीं है। इस मंत्रालय में सरकार की राजभाषा नीति के समुचित कार्यन्वयन के प्रयासों में हिंदी सलाहकार समिति अपने व्यावहारिक सुझावों और अपनी उपयोगी सलाह के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह मंत्रालय, उपर्युक्त समिति के बहुमूल्य सुझावों पर अमल करने का निरंतर प्रयास करता आ रहा है। इस मंत्रालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा अधिनयम, 1963, यथासंशोधित, 1967 की धारा 3(3) का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। इस मंत्रालय में कुछ समय पहले मनाये गये हिंदी-पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित करके कार्मिकों का हिंदी के प्रति रुझान बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक की जा रही है, जिसमें इस मंत्रालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाती है। उन्होंने यह बताया कि किसी देश की पहचान वहाँ के झण्डे से ही नहीं होती है, बल्कि उसकी आन-बान और शान के रूप में उसकी भाषा से होती है। हमारी भाषा हमारे गर्व का विषय है, मगर 57 वर्ष में जिस तेज़ी से राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए था,उसके प्रयोग में वह तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग के बारे में इस बैठक में सकारात्मक चर्चा किए जाने से

और सदस्यों बहुमूल्य, उपयोगी औरं व्यावहारिक सुझावों से इस मंत्रालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग और अधिक बढ़ाने के प्रयासों को गति मिलेगी। समिति के माननीय सदस्य श्री बालकवि बैरागी जी संसद सदस्य (राज्य सभा) ने अधिक से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण किए जाने पर जोर दिया । उन्होंने यह कहा कि इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि बोलचाल में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि अधिकारीगण फोन एवं मोबाइल पर अधिक से अधिक बात-चीत हिंदी में करें। डॉ० आर. सुरेन्द्रन, रीडर ने तूतीकोरीन सहित विभिन्न पत्तनों में हो रहे राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन से संबंधित कार्य में हुई प्रगति की सराहना की और इन पत्तनों के प्रयासों को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने यह इंगित किया कि वहाँ हिंदी अधिकारियों एवं हिंदी अनुवादकों की पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। 15-20 वर्ष से ये लोग एक ही पद पर कार्य करते आ रहे हैं। अंत में मंत्री महोदय ने उपर्युक्त समिति के सभी सदस्यों को पुन: धन्यवाद दिया कि उन्होंने बैठक में आकर अपने उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने उपर्युक्त समिति को यह विश्वास दिलाया कि मंत्रालय में हिंदी का कामकाज बढ़ाने में जो गति आई है उसे निश्चित रूप से बनाए रखा जाएगा। पत्रिका को मासिक रूप से प्रकाशित करवाने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि उपर्युक्त समिति का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने से पहले एक बैठक और की जाएगी। इसका सभी ने कर-तल-ध्वनि से स्वागत किया। माननीय संसद-सदस्य श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या जी ने सुझाया कि उपर्युक्त समिति की अगली बैठक विशाखापट्टनम में की जाएगी। तत्पश्चात, उपर्युक्त धन्यवाद-ज्ञापन से उपर्युक्त समिति की बैठक का समापन हो गया। ■

यह सच है कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं लेकिन नए विचार उससे पैदा नहीं होते। नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही निकल सकते हैं।

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

हिंदी कार्यशाला

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के अधिकारी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 13-11-2003 तथा 14-11-2003 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला के आरम्भ में हिंदी अधिकारी श्री श्रीकान्त कुबल ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का उद्देश्य एवं उसके रूपरेखा की जानकारी दी। कार्यशाला का आरम्भ कार्यशाला के अपर निदेशक डॉ० निर्माल्य घोष की अध्यक्षता में औपचारिक उद्घाटन समारोह से हुआ। इस समय अनुसंधान-शाला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं संयुक्त निदेशक श्री एस गोविन्दन, मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री के०वी० सिवाकुमार उपस्थित रहे। कार्यशाला में व्याख्याता की हैसियत से श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी एवं श्री श्रीकांत कुबल, हिंदी अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रीकांत कुबल ने कार्यशाला में अपने व्याख्यान में राजभाषा नीति की विस्तृत जानकारी दी। राजभाषा नियम, अधिनियम का पालन, आंकड़े, टिप्पण आलेखन की भारत सरकार की पुरस्कार योजना आदि की ज़ानकारी देते हुए राजभाषा के प्रचार प्रसार में कर्मचारियों की भूमिका की भी जानकारी दी। श्री नारायण प्रसाद ने हिंदी की वर्तनी से संबंधित जानकारी दी।

कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को "हिंदी कार्यशाला" नामक छपवाई गई पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में कार्यालयीन कामकाज में उपयुक्त सामग्री जैसे पत्र, प्रपत्र, अनुस्मारक आदि के मसौदे और वाक्यांश आदि सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा अनुसंधान शाला से संबंधित पदनाम, प्रभागों अनुभागों के नाम तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय

परिषद मुख्यालय के अनुभाग अधिकारियों को राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियमों के अनुपालन व उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने की जिम्मेदारी का अनुस्मरण कराना था जिससे वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित कर सकें।

अनुभाग अधिकारियों के लिए आयोजित इस हिंदी कार्यशाला में राजभाषा विभाग के उप-निदेशक श्री नेत्र सिंह रावत ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में सरकार की राजभाषा नीति की विस्तृत व्याख्या की एवं राजभाषा अधिनियम, नियम व आदेशों के कार्यान्वयन की अनिवार्यता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला।

उपरोक्त एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में अनुभाग अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को आवश्यक संदर्भ साहित्य भी वितरित किया गया। अतिथि व्याख्याता को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यशाला सम्पन्न हुई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय रेडक्रॉस बिल्डिंग, नई दिल्ली

दिनांक 17-12-2003 को आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन विभाग के होम्योपैथी सलाहकार श्री एस०पी० सिंह ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की द्योतक है जो एक राष्ट्र और एक झण्डे के आधार को और सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि हमें राजभाषा हिंदी के साथ भावनात्मक संबंध रखना चाहिए।

डा० कृष्ण नारायण पांडे, उप निदेशक (राजभाषा) ने इस कार्यशाला में राजभाषा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उन सबको राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सजग व सतर्क हो जाना चाहिए जो कार्य इंगलिश में किए जा रहे हैं वे भी हिंदी में किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि क और ख क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। उन्होंने विभाग में हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए शेष

सभी कार्मिकों को अगले सत्र में नामित किया जाएगा। डा० पाण्डेय ने सभी प्रतिभागियों को निर्देशित किया कि वे अपना समस्त सरकारी कार्य केवल हिंदी में करें तथा हस्ताक्षर भी केवल हिंदी में करें।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में दिनांक 10, 11 एवं 12 मार्च, 2004 को प्रथम राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं बत्तीसवीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अवसर पर श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने मुख्य अतिथि श्री एम० जयराज, अधीक्षक अभियंता, आकाशवाणी, मुख्य वक्ता श्री एस०डी० चेल्लैया, प्राचार्य, इरासुधा भाषाविज्ञान संस्थान, संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं तूतीकोरिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एम०एस०एन० शास्त्री, उप महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष—राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भापासंतू श्री वी०वी०एस० रामाराव, प्रशासनिक अधिकारी श्री आइ० सवरिमुत्तु इत्यादि लोगों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता श्री चेल्लैया ने अपने भाषण में बताया कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखने के लिए उत्सुक हैं, मगर उच्चारण की कठिनाई एवं समयाभाव के कारण वे इसमें पूर्णत: सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल स्तर पर हिंदी में अनिवार्य रूप से पढ़ाने से इस कमी को दूर कर सकते हैं। श्री एम० जयराज ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधन दुनिया को संकीर्ण बना दिए हैं। इन साधनों के द्वारा हम हिंदी को पढ़ने एवं प्रयोग करने में सफलता पा सकते हैं।

श्री शास्त्री ने अपने भाषण में बताया कि अन्य देशों के लोग संस्कृत भाषा को भी अंग्रेजी के माध्यम से सीख सकते हैं तो हम क्यों अपनी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी सीख नहीं सकते? लोगों के बीच हिंदी के प्रचार-प्रसार करने में टेलिविजन, रेडियो और फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री रामा राव ने अपने भाषण में बताया कि भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति कर्मचारियों के बीच राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए नई-नई योजनाएं बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है।

संगोष्ठी में कई वैज्ञानिक/तकनीकी विषयों पर व्याख्यान दिए गए। भारी पानी संयंत्र, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, तट रक्षक अवस्थान, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि कार्यालयों के अधिकारी संगोष्ठी में भाग लिए। हिंदी कार्यशाला में संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषय जैसे काल, लिंग, वचन, क्रिया प्रयोग, आलेखन-टिप्पण, पत्र लेखन, अनुवाद, शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखें इत्यादि पर व्याख्यान दिये गये। कार्यशाला के दूसरे दिन सत्र के अंत में इस दो दिवसीय कार्यशाला में दिये गये व्याख्यान के आधार पर राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। प्रश्नोत्तरी मंच का संचालन श्री मनोज कुमार शर्मा ने किया। समापन सत्र के दौरान सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को श्री रामा राव द्वारा पुरस्कार दिये गये। उप महाप्रबंधक ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। धन्यवाद ज्ञापन के साथ संगोष्ठी कार्यशाला का समापन हुआ।

आकाशवाणी पणजी

आकाशवाणी पणजी में त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्र निदेशक श्री बी०डी० मजुमदार ने बुधवार 4 मार्च, 2004 को किया। श्री मोहनदास सुर्लकर, कार्याध्यक्ष गोमतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ मडगांव इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे। श्री दीपक जोशी केन्द्र अभियंता, श्री अनील श्रीवास्तव सहायक केन्द्र निदेशक, श्री वेणिमाधव बोरकर सहायक केन्द्र निदेशक, अधिकारी गण तथा कर्मचारी गण इस कार्यशाला में उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री बी०डी० मजुमदार ने कहा कि भारत सरकार की नीति के अनुरूप हम प्रेरणा और प्रोत्साहन से राजभाषा हिंदी का विकास कर रहे हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं का विकास संबंधित राज्यों की राजभाषा के रूप में हो रहा है यह भी हमारा कर्त्तव्य है। मुख्य अतिथि श्री मोहन सुर्लकर ने कहा कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत की सभी भाषाओं का समृद्ध साहित्य है जिनमें भारत की महान संस्कृति का चित्रण हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कम्प्यूटर के बढ़ते प्रयोग के क्षेत्र में भी यह सिद्ध है कि देवनागरी लिपि कम्प्यूटर के लिए भी उत्तम है। कार्यशाला का संचालन श्री युगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने किया।

हिंदी कार्यशाला के बाद भारतीय भाषाओं के विकास पर केंद्रित हिंदी-कोंकणी-मराठी में "विविधा" का आयोजन हुआ जिसका संचालन श्रीमती शकुंतला भरणे, उद्‌घोषिका ने किया। विद्या और कला की देवी सरस्वती की वंदना संस्कृत भाषा में करते हुए उन्होंने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। श्री अनिल श्रीवास्तव ने अपनी हिंदी कविता से प्रेम और एकता का रंग भरते हुए कामना की—"आपस में प्रेम बढ़े, ऐसी फिजा लाना है" कुमारी चारुशिला कामत ने मित्रता विषय पर चिन्तन किया। श्री रामानन्द जोशी ने देश के बहादुरों को समर्पित गीत "जयते जयते जयते सत्यमेव जयते" गाया। श्री योगराज नायक ने सितार वादन प्रस्तुत किया जिसमें गोवा की लोकधुन का सुन्दर मिश्रण था। श्रीमती मिलन हेगड़े और श्रीमती स्वाति मावजेकर के हिंदी गीतों में प्रेम की प्रस्तुति थी। श्री राजेन्द्र नायक ने गजल और कोंकणी गीत से आनन्दित किया। श्री जीवन केरकर ने क़िपेसाइजर पर संगीत दिया जबकि श्री दयेश कोसम्बे ने तबले पर संगति दिया

संगणक केन्द्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने के लिए संगणक केन्द्र में दिनांक 11 तथा 12 फरवरी, 2004 को 2 दिन की पुनश्चर्या हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 14 अधिकारियों और 14 कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण तथा प्रारूपण में प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी कार्यशाला का आयोजन केन्द्र के सहायक निदेशक (रा०भा०) ने किया तथा प्रशिक्षण का शुभारम्भ केन्द्र के उप महानिदेशक द्वारा किया गया।

प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए केन्द्र के उप महानिदेशक ने कहा कि सभी राष्ट्रों की अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं जैसे, चीन की चीनी है, जापान की जापानी, रूस की रूसी और वहां पर अपनी-अपनी भाषा में सरकारी कामकाज होता है। परन्तु हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्तानी (हिंदी) होते हुए भी हिंदी में जितना सरकारी काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। हालांकि, कुछ संवैधानिक अपेक्षाओं को छोड़कर केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी या अंगेजी में से किसी एक भाषा में कार्य करने का विकल्प है, फिर भी यह हमारा नैतिक दायित्व है कि संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए हम अपने काम में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें।

यद्यपि, इस केंद्र के सभी अधिकारी अपना कुछ न कुछ कार्य हिंदी में कर रहे हैं परन्तु इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए हिंदी में काम करने के लिए और अधिक अभ्यास की जरूरत है। हमारा प्रयास फाइलों में हिंदी में टिप्पण लिखने के साथ-साथ पत्रों के प्रारूप भी मूल रूप से हिंदी में तैयार करना होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी पत्रों का अनुवाद करने में एक तो पत्र में मौलिकता नहीं आ पाती है और दूसरा पत्र अंग्रेजी में जारी होने के 1 हफ्ते बाद उसका हिंदी में अनुवाद भेजने से उस पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए यही कोशिश होनी चाहिए कि पत्र का प्रारूप मूल रूप से हिंदी में ही तैयार किया जाए। यह कार्य प्रत्येक दिन हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करने पर ही संभव हो सकता है।

कार्यशाला के प्रथम दिन अर्थात् 11-2-2004 को सरकारी कामकाज में हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन तथा सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के पत्राचार के बारे में राजभाषा विभाग के उप निदेशक (का०) श्री एन०एस० रावत ने हिंदी में टिप्पण लिखने की विधि को विस्तार से बाताया।

दूसरे दिन का व्याख्यान संगणक केन्द्र के सहायक निदेशक (रा०भा०) श्री डी०डी० तिवारी ने हिंदी कार्यशाला को आयोजित करने की आवश्यकता और उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी में काम करने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है। परन्तु अनुवाद में मूलभाव नहीं आने से भावार्थ गलत हो जाता है तथा कभी-कभी हास्यास्पद बन जाता है। इसलिए अनुवाद का सहारा न लेकर मन में हिंदी में जो विचार-भाव उठ रहे हैं उन्हें वैसे ही लिखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पत्र तथा प्रारूप लिखने में प्रयुक्त संदेहास्पद शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां पर जिस शब्द का अर्थ ठीक बैठता हो वहां पर उसी का प्रयोग करना चाहिए।

पूर्वी भण्डार प्रभाग (ग्रेफ) द्वारा 99 सेना डाकघर

पूर्वी भण्डार प्रभाग (ग्रेफ) में दिनांक 24 मार्च, 2004 से 25 मार्च, 2004 तक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री मोह० अंसारी, अधि०अभि० (वि व यां), स्था० कमान अधिकारी ने की।

उन्होंने अपने अभिवादन भाषण में कहा कि जिस प्रकार कोई भी कार्यशाला में किसी भी वस्तु का जीर्णोद्धार कर उसे नया रूप दिया जाता है, उसी प्रकार इस हिंदी कार्यशाला का उद्देश्य हमारी हिंदी रूपी गाड़ी को नया जीवन देना है। इस कार्यशाला में सरकारी काम-काज को हिंदी में करने में होने वाली दिक्कतों, मुश्किलों और झिझक को दूर करने का प्रयास किया ताकि भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करके राष्ट्रभाषा का उत्थान करेंगे। इस कार्यशाला में पत्र लेखन एवं हिंदी पत्राचार में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी व हिंदी शब्दों का अभ्यास कराया।

इस अवसर पर प्रशासनिक प्रबंधक महोदय श्री एम०एन० अंसारी, सहा० अधि० अभि० (वि व यां) ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है एवं हिंदी में कार्य करने में हो रही त्रुटि को दूर करना है। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी क्यों नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज से हम लोग अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे।

इस कार्यशाला में श्री राघवेन्द्र झा, सहा०अभि० (वि व यां) ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को सबसे पहले एक शपथ दिलाया, वह निम्न है :

''मैं शपथ लेता हूं कि आज से यथा संभव हिंदी विकास हेतु हिंदी में कार्य करने की पूर्ण कोशिश करूँगा।''

इसके बाद उन्होंने कार्यालय के काम-काज में होने वाले हिंदी-अंग्रेजी शब्दों का अभ्यास कराया तथा इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी एवं अधिक से अधिक पत्र हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। अ०श्रे०लि० विशाल सोनी ने कार्यालयीन हिंदी पत्र लेखन का अभ्यास कराया एवं संक्षिप्त जानकारी दी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना

दिनांक 28 से 30 जनवरी (2004) तक, तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित हुई। हिंदी कार्यशाला संचालन समिति के सदस्य श्री नेनेन्द्र नारायण, प्रबंधक ए०टी०सी० ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी कार्यशाला की महत्ता काफी समय तक बनी रहेगी। कोई कार्यपालक/गैर कार्यपालक हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के उपरांत हिंदी में कार्यालय कार्य करने में दक्ष हो जाता है।

क्षेत्रीय मुख्यालय, कोलकाता के प्रबंधक (राजभाषा) श्री शिवशंकर प्रसाद सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदी कार्यशाला के आयोजन की प्रासंगिकता पर बराबर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। यह ऐसा इसलिए है कि आलोचकों को भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी नहीं है। नियमानुसार प्रत्येक पखवाड़े में हिंदी कार्यशाला आयोजित करनी है चाहे वह एक दिन की क्यों न हो।

पटना हवाई अड्डे पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पटना के प्रभारी निदेशक, विमानपत्तन श्री युगल किशोर भगत द्वारा कार्यालय का काम शत प्रतिशत हिंदी में कराने की चर्चा क्षेत्रीय मुख्यालय तक है। क्षेत्रीय मुख्यालय, कोलकाता चूंकि 'ग' क्षेत्र में पड़ता है अत: पत्रोत्तर में थोड़ी कठिनाई होती है फिर भी इसका प्रभाव वहां देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय मुख्यालय, कोलकाता के विशेष कार्य अधिकारी श्री जगन्नाथ पात्र ने अपने संबोधन में कहा कि अहिंदी भाषी होते हुए भी मुझे हिंदी पढ़ने या लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती। हिंदी में काम करने का अपना ही आनन्द है। जो इस आनन्द से वंचित हैं उन्हें हिंदी में अपना कार्यालय कार्य करना आरम्भ कर देना चाहिए।

मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए डॉ० सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर ने राजभाषा हिंदी की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि बहुत सोच समझकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आम लोगों की भाषा बराबर हिंदी बनी रहेगी क्योंकि प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार हुआ करती है।

समस्त कर्मचारियों को अपना कार्यालय काम काज राजभाषा हिंदी में करने का अनुरोध करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि राजभाषा हिंदी में हम काम करके न केवल सरकारी नीति का अनुपालन करेंगे बल्कि हम ऋषि ऋण से भी मुक्त होंगे।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि०, कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र. II कार्यालय, बनीखेत, जिला चम्बा (हि०प्र०)

राजभाषा की समृद्धि संवर्द्धन व विकासात्मक सोच के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन लाने के विचार से क्षेत्र. II कार्यालय में तिमाही आधार पर नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशाला की श्रृंखला में अक्तूबर-

दिसम्बर तिमाही के दौरान 22-12-2003 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्री अजय कुमार बक्सी, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य है-- राजभाषा हिंदी में काम करने में आ रही अपनी-अपनी कठिनाईयों का पारदर्शी रूप में चर्चा किया जाना। जब तक अपनी कठिनाइयों को प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक उसका हल ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए आप अपनी बात नि:संकोच कहें। चूंकि राजभाषा का दैनिक काम-काज में प्रयोग आपसी सहयोग से ही बढ़ाया जा सकता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम "क" क्षेत्र के कार्यालय में काम कर रहे हैं जहां 100% कार्य हिंदी में किया जाना है।

श्री अजय कुमार बक्सी, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने आंतरिक व्याख्याता के रूप में उपस्थित होकर "हिंदी पत्राचार के विभिन्न रूपों" पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी और प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई कठिनाइयों पर चर्चा की गई। इससे पहले उन्होंने कहा कि हिंदी पत्राचार एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हर किसी को गुजरना पड़ता है, इसलिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है।

यह कार्यशाला ई-3 स्तर के कार्यपालक एवं इससे नीचे के कार्यपालक/अकार्यपालकों के लिए आयोजित की गई थी जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कानपुर नराकास

दिनांक 22 से 24 मार्च 2004 तक तीन पूर्ण कार्य दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में किया गया।

उद्घाटन सत्र के अवसर पर स्वागत भाषण की प्रस्तुति में संयुक्त महाप्रबन्धक, आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, कानपुर के श्री ओ० पी० गुप्ता ने कहा कि "मुझे इस बात की खुशी है कि कानपुर नराकास के तत्वावधान में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका दायित्व आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान को सौंपा गया है। इस प्रकार की कार्यशाला का उद्देश्य हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है। प्रतिभागीगण बेबाक होकर अपनी समस्याओं को कार्यशाला में उठावें।" श्री वी० के० सिन्हा, वरिष्ठ महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर ने कहा कि "हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले 53 वर्ष बीत चुके हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने की दिशा में नियम और कानून बने। कुछ क्षेत्रों में शुरुआत अच्छी थी, तो कुछ क्षेत्रों में बहुत धीमी। आज भी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का बोलबाला और वर्चस्व है। इसका मुख्य कारण है इतने लम्बे समय तक अंग्रेजी में काम करने की हमारी आदत, जिसे शीघ्र ही हमें छोड़ना होगा।" कार्यशाला की संक्षिप्त रूपरेखा की प्रस्तुति श्रीमती एस० चतुर्वेदी, उप महानिदेशक आ०नि० (विभागाध्यक्ष), आयुध उपस्कर निर्माणी समूह मुख्यालय कानपुर द्वारा की गई।

दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं० लि० चेन्नै, क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवण्णामलै (तमिलनाडु)

मुफस्सिल मंडल कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के हिंदी ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए दिनांक 10-3-2004 को होटल गणेश इन्टरनेशनल, तिरुवण्णामलै में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री जी० मुमताज, प्राध्यापिका, जीवावेलु मेट्रिकुलेशन हायर सेकन्डरी स्कूल, तिरुवण्णामलै ने किया। श्री आई० जयशीलन, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, तिरुवण्णामलै ने कार्यशाला की अध्यक्षता की।

कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देते हुए सुश्री मुमताज ने कहा कि हिंदी को आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उद्घाटन सत्र के बाद व्याख्यान सत्र में उपस्थित सभी कार्मिकों ने अपना परिचय हिंदी में देकर एक या दो वाक्य हिंदी में बोलने का अभ्यास किया। इसके बाद सुश्री मुमताज, हिंदी प्राध्यापिका, तिरुवण्णामलै ने हिंदी व्याकरण एवं टिप्पण लेखन पर तथा राजभाषा कार्यान्वयन कैसे करें, संघ की राजभाषा नीति और हमारा उत्तरदायित्व पर श्री ईश्वर चन्द्र झा, हिंदी अधिकारी ने व्याख्यान दिया। इसके बाद उन्होंने प्रतिभागियों से अभ्यास भी कराया एवं महत्वपूर्ण अवसरों पर हिंदी में बात कैसे करें आदि के बारे में सिखाया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उ०पू०अं०का०, गुवाहाटी

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), गुवाहाटी में 23 एवं 24 दिसंबर 2003 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 10 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य

स्टाफ सदस्यों को अपना कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए अभ्यासपरक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था।

कार्यशाला का उद्घाटन महा प्रबंधक श्री ए० डी० भिसे ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में भिसे ने कहा कि हमें हिंदी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सभी अनुदेशों का पूरा अनुपालन करना है और वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों को भी पूरा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी कार्यशालाओं का मूल उद्देश्य व्यावहारिक एवं अभ्यासपरक मार्गदर्शन देना होता है ताकि स्टाफ सदस्यों की हिंदी में काम करने की झिझक और संकोच को दूर किया जा सके। उन्होंने सहभागियों से अनुरोध किया कि वे इस कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं ताकि उनका हिंदी ज्ञान और समृद्ध हो और वे अपने डैस्क का काम और अच्छी तरह से हिंदी में कर सकें।

इस कार्यशाला में 'बैंकिंग शब्दावली', 'शुद्ध हिंदी लेखन', 'हिंदी में टिप्पण लेखन' 'हिंदी में पत्राचार' विषय रखे गये थे जिनपर क्रमशः श्री अजयेन्द्रनाथ त्रिवेदी (राजभाषा अधिकारी, यूको बैंक), डॉ. सुरेन्द्र सिंह (राजभाषा अधिकारी, नेशनल इन्श्योरेंस कं० लि०), श्री लेखनाथ सिंह ठाकुर [प्रबंधक (राजभाषा), विजया बैंक] तथा श्री प्रवीण भारद्वाज [सहायक प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक] ने सहभागियों को अभ्यासपरक मार्गदर्शन दिया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल

क्षे०त०अ० के, इम्फाल की दसवीं तिमाही हिंदी कार्यशाला डा० एन० इबोहल सिंह, उप० निदेशक की अध्यक्षता में एक दिवसीय के रूप में दिनांक 30-12-2003 को आयोजित की गई।

उक्त कार्यशाला में डा० राधागोविन्द आचार्य ने ''क्रिया पद के रूप एवं उच्चरण'' विषय पर विस्तार से व्याख्यान दिया और अच्छी तरह से भी समझाया। उन्होंने क्रिया की वैज्ञानिकता पर जोर दिया। उसे ध्वन्यात्मक बताया तथा अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा की जानकारी भी प्रस्तुत की। संसार की विभिन्न भाषाओं में संस्कृत सभी से सख्त व्याकरणिक नियमों का अनुपालन करती है। बंगला भाषा की उत्पत्ति और मणिपुरी भाषा में इसके प्रभाव पर उपस्थित श्रोताओं का भी ध्यान आकर्षित किया तथा दक्षिण भारत की भाषाओं की विशेषताओं का भी उल्लेख किया कि इसका शब्दों का उच्चारण करने पर चौबीस बार वाक इन्द्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मुंह से सही उच्चारण निकालने के लिए जीभ से दांत, मसूड़े तालू, मूर्ध इत्यादि वाक इंद्रियों को छूकर उसका प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि ध्यान लगाकर वर्णों का उच्चारण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा और अभ्यास के माध्यम से भी उसे सुधारा जा सकता है। ☐

राष्ट्रभाषा हिंदी देश की जागरूकता और उद्बोधन का प्रतीक है।

—सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

हिन्दी दिवस

केंद्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर

संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के तत्वावधान में दिनांक 23-9-2003 से 29-9-2003 तक भुवनेश्वर स्थित केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अभियंता, महानदी एवं पूर्वो नदियां संगठन, ''महानदी भवन'' के प्रांगण में हिंदी सप्ताह, 2003 उत्साह पूर्वक मनाया गया।

अध्यक्षीय भाषण में श्री एस. के. सेनगुप्ता, मुख्य अभियंता महोदय ने हिंदी सप्ताह का शुभकामनायें देते हुए कहा कि सरकारी कामों में हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी के प्रयोग के बारे में अपनी कठिनाइयों का नि:संकोच वर्णन करें और अपने सुझाव भी दें। उन्होंने झिझक को दूर करके हिंदी में कार्य करने का अनुरोध किया।

मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री हरिराम पंसारी, कनिष्ठ प्रबंधक ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के सभी लोगों के हृदय को एक सूत्र में पिरोती है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषाओं का होना स्वाभाविक है। सभी प्रांतों के लोगों को एक कड़ी में बांधने के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है यह काम हिंदी कर रही है।

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता

इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय द्वारा सितम्बर माह को हिंदी माह के रूप में मनाया गया तथा इस अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया। समस्त प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों के विवरण के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के.के. रै ने की। इस अवसर पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग(पूर्व) की सहायक निदेशक (शिक्षण) श्रीमती फूलकुमारी राय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री के.के. रे ने बैंक के राजभाषा प्रयोग की स्थिति पर संतोष जाहिर करते हुए यह अपेक्षा की कि इस क्षेत्र में हमें गंभीरता से प्रयास करते हुए लगातार अग्रणी बैंक की भूमिका निभानी है। मुख्य अतिथि, श्रीमती राय एवं बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के.के. रै ने अपने कर-कमलों से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये। पुरस्कार वितरण के पश्चात् प्रश्नमंच कार्यक्रम आरंभ हुआ जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में श्री पंकज मिश्र, महा प्रबंधक (राजभाषा) ने विश्वास दिलाया कि अपने बैंक में राजभाषा प्रयोग की स्थिति को बनाए रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं, और हमें विश्वास है कि पुरस्कारों के माध्यम से इस क्षेत्र में पूर्व की भाँति बैंक का सम्मानवर्धन होता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुजाता राज्ञी, राजभाषा अधिकारी ने किया।

दूरदर्शन हैदराबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 3-11-2003 से 7-11-2003 तक आयोजित हिंदी सप्ताह के संदर्भ में पांच प्रतियोगिताएं रखी गई। इन प्रतियोगिताओं में सभी कर्मचारी बड़े उत्साह से भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए।

इस केंद्र के अभियन्ता श्री रामकृष्ण राव ने अपने भाषण में बताया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको अधिक से अधिक लोग बोल एवं पढ़ लिख सकते है। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए फिल्में एवं फिल्मी गीत बहुत ही विशेष स्थान रखते है क्योंकि हर भाषा के लोग हिंदी गीत गुनगुनाते है और उसके समझने की प्रतिष्ठा करते है। इसी तरह हमारे कार्यालय में वर्ष में कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष श्री डी. प्रसाद राव जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अपने आन्तरिक भावों को तथा आलोचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए भाषा बहुत ही उपयोगी है। भारत में अधिक से अधिक लोगों द्वारा जानी जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया गया क्योंकि विचारों का आदान प्रदान भली भांति कर सकें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भुवनेश्वर

21 नवम्बर, 2003 को आयोजित हिंदी सप्ताह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद, व सदस्य संसदीय हिंदी सलाहकार समिति, श्री रामचन्द्र खुण्टिया ने कहा कि भारत की एकता व अखण्डता बचाने के लिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी मातृभाषा बन जाए। उन्होंने क्षेत्रीयतावाद पनपने को बहुत ही खतरनाक बताया तथा कहा कि व्यक्तिगत कार्यक्रम के साथ हिंदी बोलनी चाहिए और यह हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है, यह हमें समझनी चाहिए; क्योंकि देश की पहचान में भाषा की एक भूमिका होती है। उन्होंने इसे न सिर्फ कार्यालयों में बल्कि घरों में भी ले जाने का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि परिवार के लोग भी एक दिन हिंदी बोलें। उन्होने आगे कहा कि हमें भाषा सीखने की गलतियों से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कार्यालय में कार्यालयीय समय में हिंदी बोलने का आह्वान करते हुए आगे कहा कि हम गलतियों के द्वारा ही अच्छी हिंदी सीख सकते हैं।

मुख्य वक्ता के रूप में 'ओड़िशा रिपोर्टर', हिंदी साप्ताहिक के संपादक श्री पवन भूत ने इस अवसर पर विश्व में हिंदी के वृहत् प्रसार की चर्चा करते हुए कहा कि आज हिंदी सारे विश्व में सशक्त व सरल भाषा है। इस भाषा से आपका जुड़ाव होना जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि आप भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हए कहा कि इस भाषा से आप जितना जुड़ेंगे, आप की भाषा भी मुखरित होती जाएगी जो कहीं-न-कहीं काम आएगी।

आयुध निर्माणी भंडारा

आयुध निर्माणी भंडारा में दिनांक 15-09-2003 से 29-09-2003 तक के समय को बढ़े उमंग, हर्षोल्लाास एवं उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन अर्थात् दिनांक 15-09-2003 को श्री टी.के. विजयराघवन, अपर महाप्रबंधक/प्रशासन एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री बी.के. कार, वरिष्ठ महाप्रबंधक ने राजभाषा पत्रिका 'प्रकाशपुंज, 2003' का अपने कर कमलों से विमोचन किया और अपनी शुभकामनाएँ दीं कि पत्रिका राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और भाईचारा बनाने में सफल हो। तत्पश्चात् पूरे वर्ष भर हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले स्थापना (ई.बी.) अनुभाग के अनुभाग प्रमुख श्री पी.एम. बेबी, फोरमैन को वरिष्ठ महाप्रबंधक महोदय ने '**चल वैजयंती विजयश्री (रोलिंग-ट्राफी)**' से सम्मानित किया।

श्री कैलास चन्द्र, संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशासन ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत किया और अपने भाषण में राजभाषा हिंदी को सभी क्षेत्रों में बढ़ाने पर बल दिया।

श्री ए.के. हैकरवाल, अपर महाप्रबंधक/प्रशासन एवं अध्यक्ष, राजभापा कार्यान्वयन समिति ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके प्रयोग में यदि कोई बाधा भी आती है तो उसे दूर करके आगे बढ़ना चाहिए।

मुख्य अतिथि श्री बी.के. कार, वरिष्ठ महाप्रबंधक ने आयुध निर्माणी भंडारा में हिंदी में हो रहे कामकाज की प्रशंसा करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि 'हमलोग राजभाषा के प्रयोग के क्षेत्र में काफी कुछ कर चुके हैं, परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसे लगन व निष्ठा से पूरा किया जा सकता है। अत: मैं आप सभी को इस पुनीत राष्ट्रीय कार्य के लिए आगे बढ़ने हेतु आमंत्रित करता हूँ ताकि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। हिंदी में काम करना आसान है। हिन्दी में बातचीत करना अच्छा लगता है। हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ, उसमें हिंदी को भी शामिल किया गया। हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए, जिससे देश में अखंडता तथा एकता स्थापित हो, इसके लिए हिंदी बहुत आवश्यक है। हिंदी की उन्नति हो, आप लोगों की उन्नति हो, मैं यही कामना करता हूँ। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तथा आप सब को धन्यवाद देता हूँ।'

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि० प्रधान कार्यालय, ए-25/27ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. प्रधान कार्यालय तथा इसके अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल एवं शाखा कार्यालयों में इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा दिनांक 15 से 29 सितम्बर, 2003 तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय सहित अधीनस्थ सभी

कार्यालयों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय 1 व 2 नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष संयुक्त रूप से सप्रू हाउस में दिनांक 5 नवम्बर को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ श्याम सिंह "शशि" थे। समारोह के दौरान कंपनी के कर्मियों द्वारा हास्य नाटक "ताजमहल का टेंडर" का मंचन किया गया। इसके अलावा समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी कर्मियों को पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह के अंत में कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई द्वारा हिंदी पखवाड़ा धूमधाम के साथ क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया तथा दिनांक 15-09-2003 को सहायक महाप्रबन्धक श्री जे. चॉक्को द्वारा हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। विशेष भाषण देते हुए सहायक महाप्रबंधक श्री जे. चॉक्को ने राजभाषा हिंदी के प्रभुत्व एवं महत्व पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों से अपील की कि पखवाड़े के दौरान अधिक से अधिक काम हिंदी में करने का प्रयास करें। इस अवधि के दौरान भाषा दक्षता प्रतियोगिता सभी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए आयोजित की गई तथा साथ ही निबंध व सुलेख प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई 2 में दिनांक 15 से 29 सितंबर, 2003 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। सहायक महाप्रबंधक श्री भरत शाह ने दीप प्रज्ज्वलित कर दिनांक 15 सितंबर, 2003 से आरंभ हुए हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस दौरान निबंध, स्मृति, सुलेख, पारिभाषिक शब्दावली तथा प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय कार्यालय अम्बाला में दिनांक 15-09-2003 को सहायक महाप्रबन्धक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ किया गया तथा एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक निबन्ध प्रतियोगिता व अन्य प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय कार्यालय इकाई/मंडलीय/शाखा कार्यालय के लिए आयोजित की गईं। अहिंदी भाषी कार्मिकों के लिए श्रुतलेख प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें ग क्षेत्रों से संबंधित कार्मिकों द्वारा बढ़-चढ़ कर भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में क्षेत्रीय कार्यालय के लगभग 70 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा दिनांक 15-09-2003 को क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के महाप्रबंधक श्री एस.के. सिन्हा द्वारा देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा भी दिनांक 15-09-2003 को क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में हिंदी दिवस का आयोजन व हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्मिकों ने पखवाड़े को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विचार रखे तथा सभी कार्मिकों ने अपना पूर्णरूप से सहयोग समर्पित किया। दिनांक 29 सितम्बर, 2003 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया तथा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 15 से 29 सितम्बर 2003 तक किया तथा दिनांक 15-9-2003 को क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रभात कुमार झा की अध्यक्षता में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्र लेखन, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया व दिनांक 29-9-2003 को पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ओरिएण्टल परिवार के छोटे-छोटे बच्चों ने अपने मनभावन कार्यक्रम से दर्शकों का मन मोह लिया।

क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ए. के. दास व प्रबन्धक आर. पी ओझा ने किया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें अनेक कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 29 सितम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय के तकनीकी परिसर में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया तथा प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी पखवाड़े का आरंभ 15 सितम्बर, 2003 को किया गया। उक्त पखवाड़े में कुल चार प्रतियोगिताओं (मूल पत्र लेखन, वस्तुनिष्ठ, अनुवाद और निबन्ध प्रतियोगिता) का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर ने दिनांक 15-09-2003 से 29-09-2003 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना को आमंत्रित किया गया। यह पहला मौका है जब ग क्षेत्र में होने के बावजूद 11 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जिसमें पहली बार हुई प्रतियोगिताएं इस प्रकार हैं :—हिंदी वार्तालाप प्रतियोगिता, हिंदी वाक् प्रतियोगिता, हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता, मूक अभिनय प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि ।

क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा ने दिनांक 15-09-2003 स

29-09-2003 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। पखवाड़े का समापन कार्यक्रम प्रबन्धक श्री आर बी शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव डा. माणिक मृगेशजी को आमंत्रित किया गया। उनके द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, कोचीन, अहमदाबाद, मुम्बई–2, पुणे व गुवाहाटी ने भी हिंदी पखवाड़े का आयोजन धूमधाम से किया व अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कीं।

सिंडिकेट बैंक प्रधान कार्यालय, मणिपाल

सिंडिकेट बैंक प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन बैंक के स्वर्णजयंती सभाभवन में दिनांक 30-9-2003 को किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के.एम. शेट ने की। इस समारोह में प्रधान कार्यालय में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। समारोह के दौरान राजभाषा प्रभाग के महाप्रबंधक, श्री वाई.एम. पै ने अपने व्याख्यान में कहा कि देश की लगभग आधी आबादी जब हिंदी जानती है तो हिंदी को अपनाना ही पड़ेगा। जब हम अपने देशवासियों से बात करना चाहते हैं तो हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा चाहे हम बैंक में काम करें या कहीं और। उन्होंने स्टाफ सदस्यों का आहवान किया कि वे हिंदी लिखने का अभ्यास करें क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हिंदी के प्रयोग में कामयाबी नहीं मिलेगी। लिखने का अभ्यास न होने का ही यह परिणाम है कि हिंदी बोलने में हमें सरल लगती है परंतु जब हम लिखते हैं तो गलती करते हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में बैंक के कार्यपालक निदेशक ने अपने विभिन्न स्थानों एवं अनुभवों से श्रोताओं को अवगत कराते हुए कहा कि विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच संप्रेषण के लिए सेतु का काम यदि कोई भाषा करती है, तो वह हिंदी ही है। उन्होंने विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि में जो तरक्की हुई है वह उनकी अपनी भाषा के प्रयोग के कारण ही हुई है, वहां वे अंग्रेजी का या दूसरों की भाषा का प्रयोग नहीं करते। हमारे देश को भी यदि विकसित देशों की श्रेणी में लाना है और आगे बढ़ना है तो हिंदी का प्रयोग करना ही होगा। हिंदी के प्रयोग के लिए उन्होंने सुझाया कि पिता के डंडे के बजाए माँ के प्यार भरे डंडे की जरूरत है ताकि हम हिंदी का प्रयोग करने लगें। उन्होंने स्टाफ सदस्यों से कहा कि वे शुरुआत में यह देखें कि किन-किन कामों को सरलता से हिंदी में किया जा सकता है, उन्हें हिंदी में ही करें। इस अवसर पर उन्होंने राजभाषा प्रभाग के स्टाफ सदस्यों से कहा कि वे अन्य विभागों में जाएं और जाकर देखें कि किन-किन कार्यों को हिंदी में सरलता से किया जा सकता है और उन्हें हिंदी में करवाने की यथावश्यक व्यवस्था करें।

इस समारोह के दौरान वर्ष पर्यंत हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विभागों/प्रभागों को राजभाषा शील्ड तथा श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर रजतजयंती पुरस्कार भी प्रदान किए गए। गीत-संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा एकल/समूह गायन प्रस्तुत किया गया और भारत माता नामक एक छोटा-सा नाटक भी प्रदर्शित किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में 2 सितम्बर, 2003 से 16 सितम्बर, 2003 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। निगम के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इस दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया। प्रभारी संयुक्त निदेशक की ओर से जारी एक परिपत्र में कार्मिकों से अपना अधिकाधिक काम हिंदी में निपटाने की अपील की गई। कार्मिकों के मन में हिंदी प्रयोग के प्रति अभिरूचि पैदा करने के लिए विभिन्न

प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रयास यह रहा कि निगम कार्मिकों के मन में यह भावना जागृत की जाए कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना सभी भारतवासियों का राष्ट्रीय कर्त्तव्य व नैतिक दायित्व है।

अध्यक्षीय भाषण में प्रभारी संयुक्त निदेशक श्री वाय. एम. पराते ने कहा कि हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित मराठी, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलगू, मलयालम, गुजराती, पंजाबी आदि सभी हमारी राष्ट्रभाषायें हैं और इस दृष्टि से ये सभी हमारे आदर और सत्कार की पात्र हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, संघ की राजभाषा और देश की संपर्क भाषा भी है। इस दृष्टि से निगम के कामकाज में इसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य तो है ही, नैतिक दायित्व भी है।

प्रभारी संयुक्त निदेशक ने इस अवसर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी के प्रयोग को गति देने के संदर्भ में महानिदेशक महोदय का सन्देश पढ़कर सुनाया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेता कार्मिकों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये। □

"अंग्रेजी पढ़िके जदपि सब गुन हात प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।।
परदेशी की बुद्धि अरू वस्तुन की कर आस।
प्रबस ह्वै कब लौ कहौं रहिहौ तुम ह्वै दास

—भारतेन्दु हरिशचंद्र"

द्वारका में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

6-7 फरवरी, 2004 को द्वारका (गुजरात) में मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती नीना रंजन जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए आशा प्रकट की कि वे हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करते रहेंगे और अन्य कार्यालयों को भी हिंदी में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि भारत एक विशाल देश है, जहाँ कई भाषाएँ और अनेक बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं किंतु भारत की सभी भाषाओं की आत्मा एक ही है, जो भारतीयता का समान संदेश देती हैं। संविधान ने हम सबके ऊपर भारतीय भाषाओं के विकास का दायित्व सौंपा है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह हमें बड़े ही धैर्य, लगन और विवेकपूर्ण ढंग से करना है। हिंदी आज राजभाषा है। आम बोलचाल की भाषा है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। अत: हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी हो गया है। हमें पुरजोर प्रयत्न करना चाहिए कि कम्प्यूटर आदि उपकरणों में प्रयोग आने वाले साफ्टवेयर द्विभाषी ही खरीदे जाएं और स्टाफ को हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देकर कार्यालय का अधिक से अधिक काम हिंदी में कराया जाए।

दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का योगदान, लीला वेब का प्रदर्शन तथा साफ्टवेयर का प्रदर्शन तथा राजभाषा नीति, प्रशिक्षण और अनुवाद आदि पर विद्वानों द्वारा प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर विभाग ने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और अन्य संस्थाओं आदि द्वारा हिंदी में प्रकाशित स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं की एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसे सभी ने सराहा।

महासागर विकास विभाग बारहवीं राष्ट्रीय वैज्ञानिक हिंदी संगोष्ठी

''समुद्री प्रेक्षण प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान''

माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री बच्ची सिंह रावत जी ने दिनांक 24 नवम्बर, 2003 महासागर विकास विभाग द्वारा ''समुद्री प्रेक्षण प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान'' विषय पर आयोजित वैज्ञानिक हिंदी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत जैसे तटीय देश के लिए समुद्री प्रेक्षण प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान उपयोगी हैं। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने महासागर विकास विभाग द्वारा ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन करके वैज्ञानिक विषयों में हिंदी में मौलिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। हर वर्ष ऐसी संगोष्ठी का आयोजन करके संगोष्ठी की कार्यवाही को पुस्तक रूप में संकलित करने के विभाग के प्रयासों की भी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने संगोष्ठी में 24 नवम्बर, 2003 को आयोजित संगोष्ठी की कार्यवाहियों के संकलन के रूप में ''समुद्री ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी विकास'' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती नीना रंजन इस संगोष्ठी की विशेष अतिथि थी। श्रीमती नीना रंजन ने विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक संगोष्ठी राजभाषा हिन्दी में आयोजित किए जाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को भी इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करके हिंदी का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

महासागर विकास विभाग के सचिव, डा० हर्ष गुप्ता

ने अपने भाषण में कहा कि विभाग समुद्र विज्ञान विषय से संबंधित विषयों पर हर वर्ष हिंदी में संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। इन संगोष्ठियों में जटिल वैज्ञानिक विषयों पर आम आदमी को जन भाषा में जानकारी प्रदान करने में वैज्ञानिक काफी उत्साह दिखाते हैं। उन्होंने ''महासागर से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त निरंतर नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा'' नामक पुस्तक के लिए श्री सुरेश चंद्र भाटिया को द्वितीय पुरस्कार तथा ''सागर संपदा और प्रदूषण'' नामक पुस्तक के लिए डा० निशांत सिंह को तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किए। ये पुरस्कार महासागर विकास विभाग पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए गए।

इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न अनुसंधान संगठनों के लगभग 13 वैज्ञानिकों/प्रोफेसरों ने भाग लिया और अपने लेख हिंदी में प्रस्तुत किए। हिंदीतर क्षेत्रों के वैज्ञानिकों द्वारा संगोष्ठी में लेखों की सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए भी पुरस्कार वितरित किए गए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अहमदाबाद (गुजरात)

दिनांक 18 व 19 दिसम्बर, 2003 को आयोजित सातवें सहायक निदेशक (राजभाषा) सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि डॉ० अम्बा शंकर नागर ने अपने उद्घाटन भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की विधिवत् वन्दना के साथ हो वह कार्यक्रम तो निश्चित रूप से सफल होगा ही। उन्होंने इस अवसर पर केशव की वन्दना के अंश भी उद्धर्ता किये अर्थात् **''वाणी जगरानी की उदारता न बखानी जाये''** तथा उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की। उन्होने अपने विद्धतापूर्ण भाषण में भाषा एवं भाषा के अनेक रूपों एवं शैलियों आदि के विषय में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर भारत की संस्कृति के महत्व का प्रतिपादन करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय संस्कृति विश्व में बेजोड़ है। हमारी इस संस्कृति के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके कारण यह कई उतार-चढ़ावों एवं सामयिक झंझावातों के बाद भी अविच्छिन्न बनी हुई है। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं उसकी एकता में हिंदी के मंहत्व को अपरिहार्य बताया तथा हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में गुजरात के साहित्यकारों के योगदान का भी उदाहरण देकर विस्तारपूर्वक उल्लेख किया।

उन्होंने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास एवं उसके शब्द भण्डार में वृद्धि करने का दायित्व भारत सरकार को सौंपा गया है जिसमें इस बात को ध्यान में रखने का निदेश दिया गया है कि ऐसा करते समय मुख्यत: संस्कृत से तथा गौड़त: संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की शब्दावली में इस प्रकार वृद्धि की जाये ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारत सरकार द्वारा तदनुसार अनेकों प्रयास इस दिशा में किये गये हैं। फिर भी हिंदी को वह दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त है। उन्होंने इसके लिए अफसोस व्यक्त करते हुए अन्य करणों के साथ-साथ हिंदी भाषियों को दोषी मानते हुए निम्नांकित पंक्तियां उद्धत की :—

जो दुश्मन थे वो तो ईंट-पत्थर तक गये

जो दोस्त थे वे ठेठ खंजर तक गये॥

अर्थात् निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी भाषियों ने हिंदी के प्रति उसके विकास एवं संवर्धन में अपने दायित्व का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया है।

उन्होंने हिंदी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हिंदी को यूएनओ की भाषा बनने की आशा जाहिर करते हुए कहा कि एक दिन हिंदी के विकास का सूरज विश्व पटल पर चमकेगा । उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि अब तक चीनी भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी किन्तु अब वह स्थान हिंदी ने प्राप्त कर लिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी विश्व के 200 से भी अधिक विश्व विद्यालयों में उच्च स्तर पर पठन-पाठन के रूप में प्रयोग की जा रही है। वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय की स्थापना होने पर भी उन्होंने हर्ष व्यक्त किया । उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदी यूएनओ की भाषा बन जाती है तो हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुगमतापूर्वक हो सकेगा जो हिंदी के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा संकेत है।

संगठन के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं में से वर्ष 2001-2002 एवं वर्ष 2002-2003 हेतु क क्षेत्र, ख क्षेत्र तथा ग क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं

के संपादकों को विशिष्ट अतिथि जी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री ए० एन० शर्मा, अपर केंद्रीय आयुक्त एवं प्रभारी राजभाषा ने संगठन के विभिन्न क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने हेतु उपस्थित सहायक निदेशकों (राजभाषा) का आह्वान करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन एवं उसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है उसका आप सभी लोग निष्ठापूर्वक पालन करें। अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कार्य को मांनीटर करने हेतु दो उच्चस्तरीय मंच हैं जिसका उल्लेख करना मैं यहां उचित समझता हूँ। मार्च 2003 एवं सितम्बर 2003 को माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न विगत श्रम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में मुझे भाग लेने का सुअवसर मिला। इसके अतिरिक्त संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2003 को क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के निरीक्षण के अवसर पर निरीक्षण प्रश्नावली की विभिन्न मदों में समीक्षा के दौरान माननीय समिति सदस्यों ने वार्षिक कार्यक्रमानुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कुछ खास मदों में अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में बहुत कड़ा रुख अपनाया तथा अधिनियम की धारा 3(3) के शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया एवं अन्य मदों में 31 मार्च, 2004 तक लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया इसके अतिरिक्त सीसीटीएस रिपोर्ट के द्विभाषी साफ्टवेयर एवं रिइन्वेटिंग ई.पी.एफ.ओ. नामक परियोजना में द्विभाषी स्थिति 31 मार्च, 2004 तक सुनिश्चित करने का निदेश दिया। अत: उक्त दोनों समितियों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर मैं आप सभी से यह अपेक्षा करता हूँ कि वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से ठोस प्रयास किए जाएं ताकि संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण किए जाने पर राजभाषा कार्यान्वयन में पाई गई कमियों के कारण तीखी टिप्पणियों से बचा जा सके।

श्री के.एस.ए. नायर क्षेत्रीय आयुक्त-II अहमदाबाद ने अपने धन्यवाद भाषण में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं गुजरात क्षेत्र की ओर से इस सम्मेलन में उपस्थित विशिष्ट अतिथि डा. अम्बा शंकर नागर, अध्यक्ष, गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी एवं श्री ए. एन. शर्मा, अपर केन्द्रीय आयुक्त/प्रभारी राजभाषा तथा उपनिदेशक (राजभाषा) एवं संगठन के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यालयों से पधारे सभी सहायक निदेशकों, राजभाषा का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साथ ही उन्होंने गांधी श्रम संस्थान के महानिदेशक श्री ए. एम. भारद्वाज (आई०ए०एस०) का भी धन्यवाद दिया और अंत में सभी के प्रति उन्होंने पुन: धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मेलन को सफल बनाने में क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया।

भारी पानी संयंत्र बड़ौदा

काव्य गोष्ठी का आयोजन

परमाणु ऊर्जा स्वर्ण जयंती की स्वर्णिम आभा के आलोक में भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में काव्य गोष्ठी का आयोजन दिनांक 24-01-04 को किया गया।

काव्य-गोष्ठी का मुख्य विषय था : धारा 3(3)। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3(3) सरकारी कामकाज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत उन कागजातों की चर्चा की गई है जिनका द्विभाषी होना आवश्यक है। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने तथा राजभाषा हिंदी को उसका यथोचित स्थान दिलाने के प्रयोजन से सरकारी कागजातों को द्विभाषी तैयार किए जाने की व्यवस्था की गई है। अत: द्विभाषी से अभिप्राय अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी पाठ भी तैयार किए जाने से है। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात हैं : सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसदीय प्रश्न, आदि।

''धारा तीन की उपधारा तीन की बहती अजस्त्र धारा।

सरकारी कामकाज के लिए बन गई है जीवनधारा।''

रश्मि वार्ष्णेय की इन पंक्तियों से समारोह में राजभाषा की काव्य धारा बहने लगी। राजभाषा हिंदी की सांविधिक स्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ''केवल अंग्रेजी का प्रयोग है, तीन-तीन का उल्लघंन ।''

उपेंद्र मेहता ने हिंदी के व्यवहार पक्ष को सामने रखते हुए कहा—

संकल्प सूचना ज्ञापन या हो पत्राचार।
राजभाषा हिंदी का सर्वत्र कर सकते व्यवहार॥
हे मातृभाषा राजभाषा तुम्हें कोटि-कोटि प्रणाम।
तेरे ही चरणों में दर्शन होते चारों धाम।

आर.एस. सिंह ने भाषा माता हिंदी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों को माता की विभिन्न भुजाओं के रूपक में ढालते हुए अपनी कविता प्रस्तुत की —

मुख से बोले सामान्य आदेश, मानने में मत करो परहेज।
पहली और दूसरी भुजा में ज्ञापन संकल्प।
तीसरी, चौथी में अधिसूचना, नियम। पाँचवी, छठी में करार, संविदा।
सातवीं-आठवीं में संसदीय प्रश्न और निविदा।

काव्य-गोष्ठी का समापन **रंजित प्रसाद आचार्य** के काव्य पठन के साथ हुआ। अपनी रचना में उन्होंने कहा कि —

सरकारी दफ्तर में प्रयुक्त हो, मेरा अंग-अंग मुस्काया।
धारा 3(3) ने मुझे कार्यालय का अनिवार्य अंग बनाया।

अंत में, मुख्य महाप्रबंधक तथा विशेष कार्य अधिकारी ने कवियों का सम्मान शॉल ओढ़ा कर किया।

इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय,

29 वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

29 वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सफल आयोजन 28 तथा 29 नवम्बर, 2003 को स्टाफ कालेज, लखनऊ में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री पंकज मिश्र, महाप्रबंधक (कार्मिक प्रशासन एवं राजभाषा) प्रधान कार्यालय ने किया। श्री मिश्र ने बैंक में राजभाषा क्रियान्वयन की गौरवशाली परम्परा पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है बल्कि भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप हिंदी में कार्य करना हमारी संवैधानिक बाध्यता भी है। उन्होंने देश भर से आये राजभाषा कर्मियों से अपील करते हुए इस बात पर बल दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी लक्ष्यों की प्राप्ति ईमानदारीपूर्वक की जाए और तद्नुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्रधान कार्यालय को सूचित किया जाए। उन्होंने बताया कि राजभाषा का कार्य उनकी सर्वोपरि प्राथमिकता है और वे व्यक्तिगत रूप से राजभाषा संबंधी उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने 'क', 'ख' और 'ग' भाषा क्षेत्रों में सर्वोकृष्ट कार्य करने वाले राजभाषा कर्मियों को उपहार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया तथा यह संदेश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा ताकि प्रतिस्पर्धा की भावना सृजित हो। इस अवसर पर श्री अजमल सईदउद्दीन, महाप्रबंधक, लखनऊ नोडल क्षेत्र तथा श्री ए.के. अदक, सहायक महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), स्टाफ कालेज, लखनऊ ने भी अपने विचार रखे।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर (समिति) राजभाषा की बैठक तथा कार्यपालक संगोष्ठी

दिनांक 19 दिसंबर, 2003 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयोजन में महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) की 19वीं बैठक तथा कार्यपालक संगोष्ठी बैंक के केंद्रीय कार्यालय, पुणे में आयोजित की गई। इस अवसर पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं हेतु चलाई जा रही शील्ड योजना के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक (आयोजना) श्री के.पार्थसारथी ने की। श्री आर.डी.धुर्वे, महाप्रबंधक ने बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री राजेन्द्र कुमार कनिष्क ने किया। इस बैठक में समिति के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालक तथा राजभाषा अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

आरंभ में, बैंक के उप महाप्रबंधक (आयोजना) श्री टी०के० मुखर्जी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा हम पिछले 18 वर्षों से इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हिंदी कार्यान्वयन की समीक्षा और इस कार्य को अधिक गति देने की कोशिश करते रहे हैं।

अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी विजेताओं को बधाई देते हुए महाप्रबंधक (आयोजना) श्री के० पार्थसारथी ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे व मुंबई का भी संयोजक है। भारत सरकार ने इन समितियों को श्रेष्ठ संयोजन के लिए पूर्व में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। हमारे बैंक को भी हिंदी कामकाज के लिए पिछले वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्री धुर्वे नें अपने संबोधन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में द्विभाषी डाटा प्रोससिंग सॉफ्टवेयर के आधिकारिक प्रयोग पर बल दिया, साथ ही समन्वित रूप से उन बैंकों व संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु परस्पर सहयोग का आह्वान किया जिनके महाराष्ट्र में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

श्री कनिष्क ने राजभाषा नियमों तथा निरीक्षण के दौरान अपेक्षाओं की जानकारी दी तथा शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेने का सुझाव दिया।

शील्ड योजना के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक वर्ग में तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक व राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्तीय संस्था वर्ग में पुरस्कार प्राप्त किए।

केनरा बैंक राजभाषा अनुभाग, अंचल कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ

राजभाषा प्रतिनिधि बैठक

दिनांक 20 दिसम्बर 2003 को अंचल कार्यालय लखनऊ में अनुभागों के राजभाषा प्रतिनिधियों की वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन अंचल के मंडल प्रबंधक डॉ देवेन्द्र पाठक ने किया। उन्होंने राजभाषा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुभाग में राजभाषा कार्यान्वयन में राजभाषा प्रतिनिधि की भूमिका बहुत ही महत्वंपूर्ण है तथा राजभाषा प्रतिनिधियों से काफी अपेक्षाएं हैं उन्हें अनुभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के हिंदी शब्दरत्न पैकेज को भरपूर उपयोग करना चाहिए इसके लिए आप राजभाषा अनुभाग से भी सहायता ले सकते हैं।

वरिष्ठ प्रबंधक श्री रमेश चंद ने सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया कि उनके सहयोग से ही अंचल ने वर्ष 2002-2003 के लिए राजभाषा अक्षय योजना का प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। निश्चित रूप से इन उपलब्धियों के पीछे सभी कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग व प्रयास है। उन्होंने इन उपलब्धियों को आगे भी बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अलीगढ़ द्वारा आंरभ की गयी चल बैजयंती पुरस्कार योजना के तहत तृतीय पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को नराकास देहरादून द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है एवं क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ को भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन्होंने लखनऊ नगर में भी बैंक, नराकास की प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठतम स्थिति की सूचना भी दी।

राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक बैठक

दिनांक 24 दिसंबर 2003 को राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक बैठक का आयोजन अंचल कार्यालय परिसर में किया गया। बैठक का उद्घाटन सहायक महा प्रबंधक श्री पी० सत्यनारायण ने किया।

सहायक महाप्रबंधक, श्री पी० सत्यनारायण ने कहा कि राजभाषा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और तत्पर रहना चाहिए एवं ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हिंदी के प्रयोग को और बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने हिंदी में कार्य के लिए भावना को महत्व दिया। उन्होने कहा कि हमारे पास कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए।

श्री रमेश चंद,वरिष्ठ प्रबंधक ने कहा हमारे श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन से ही हमें सर्वश्रेष्ठ अंचल एवं सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय का पुरस्कार प्रधान कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, मेरठ एवं अलीगढ़ द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की सराहना की और कहा कि हमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा द्वारा सभी रिपोर्टों का

समय पर प्रस्तुतीकरण के लिए धन्यवाद दिया एवं कहा कि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को रिपोर्टों एवं हमारे पत्रों का उत्तर और शीघ्र देना चाहिए।

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम, रांची (झारखण्ड)

"राष्ट्रीय विज्ञान दिवस" को संस्थान में दिनांक 28-02-2004 को ***वैज्ञानिक गोष्ठी*** के रूप में आयोजित किया गया। संस्थान के सभी वर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस आयोजन में भाग लिया। विज्ञान वरदान या अभिशाप, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का उपयोग, डॉ सी०वी० रमण की विज्ञान सेवा, विज्ञान की देन, वर्चूवल इन्स्ट्रूमेंटेशन इन रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रांति का सामंजस्य, जैसे विषयों पर क्रमशः डॉ. रवीन्द्र नाथ मॉजी, प्रधान वैज्ञानिक, डॉ संजय श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, श्री मुहम्मद फहीम अंसारी, विज्ञानिक, डॉ प्रणय कुमार, अध्यक्ष लाख उत्पादन विभाग, श्री यज्ञदत्त मिश्र, विज्ञानिक (वरीय वेतनमान), श्री रंगनादन रमणी, प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ निरंजन प्रसाद विभागाध्यक्ष ने हिंदी में सुरूचिपूर्ण व्याख्यान दिए।

संस्थान के निदेशक डॉ बंगाली बाबू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉ चन्द्र शेखर रमन की स्मृति को यादगार बनाये रखने के लिए **'विज्ञान दिवस'** का आयोजन किया जाता है। उन्होंने झारखंड की जलवायु, जमीन, एवं औषत वर्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए अपील किया कि जिस प्रकार दक्षिण भारत के प्रत्येक घरों में नारियल का पेड़ निश्चित रूप से पाया जाता है उसी प्रकार उपलब्ध जमीन की किस्म के अनुसार उसमें अनाज तो निश्चित रूप से उपजायें जाएं परन्तु बंजर भूमि (जो बेकार रह जाती है) पर लाख के परिपालक पौधों को लगाया जाना चाहिए जिससे बिना विशेष प्रयास के एक अतिरिक्त आमदनी का साधन उपलब्ध हो पायेगा।

■

हिन्दी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।

—माखन लाल चतुर्वेदी

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र बड़ौदा

पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

परमाणु ऊर्जा स्वर्ण जयंती की स्वर्णिम आभा के आलोक में भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 24-01-04 को किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री गो. वैशंपायन ने भाषामाता हिंदी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके पश्चात् भाषामाता का स्तोत्र तथा स्तुति गान किया गया। इसके बाद विशेष कार्य अधिकारी श्री भौमिक ने अपना उद्बोधन प्रकट किया। मुख्य महाप्रबंधक ने सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा सरकारी कार्य हिंदी में अधिकाधिक करने के लिए आह्वान किया।

प्रशासन अधिकारी श्री रंजीत प्रसाद आचार्य ने कहा कि हिंदी का प्रचार तो होता है, किंतु प्रसार नहीं होता है। हमें यह विचार करना होगा कि राजभाषा हिंदी के संब्रंध में हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य पुरस्कार लेने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि पुरस्कार लेने तक के लक्ष्य से हम बंधे रहेंगे, तो आने वाले कल में हिंदी में सरकारी काम करना अनिवार्य किया जा सकता है, जो इस समय हमारा स्वैच्छिक नैतिक दायित्व है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य केवल खर्च करना नहीं है। अत: सभी हिंदी अपनाएँ। जो हिंदी नहीं जानते हैं, उन्हें सिखाएंगे। जो जानते हैं, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे सभी दृष्टि से भला ही भला होगा।

वर्ष 2003-2004 के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

रिज़र्व बैंक का राजभाषा के लिए महाबैंक को प्रथम पुरस्कार

मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों को गवर्नर डॉ० वाई० वी० रेड्डी के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री सुकमलचंद्र बसु ने वर्ष 2001-2002 में ''ख'' क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत बैंक को प्राप्त प्रथम क्रमांक की शील्ड ग्रहण की। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक की उप-गवर्नर श्रीमती कि०ज० उदेशी भी उपस्थित थीं। साथ ही, वर्ष 2001-2002 में प्रथम क्रमांक के अतिरिक्त महाबैंक को ''क'' क्षेत्र में द्वितीय, ''ग'' क्षेत्र में चतुर्थ तथा दिभाषी गृहपत्रिका प्रतियोगिता में तृतीय क्रमांक की शील्ड प्रदान की गई। बैंक को वर्ष 2002-2003 हेतु भी क्षेत्र ''क'' में तृतीय, क्षेत्र ''ख'' में द्वितीय, क्षेत्र ''ग'' में चतुर्थ, द्विभाषी गृहपत्रिका प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार मिले तथा अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता में बैंक के औरंगाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सौ. मोना चौधरी को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रेड्डी ने कहा कि परिवर्तन के इस दौर में बैंकों में ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिए सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना आवश्यक है।

पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई केंद्रीय कार्यालय के सभागृह में रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2001-2002 एवं 2002-2003 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 26 मार्च को किया गया ।

इस अवसर पर पंजाब नैशनल बैंक को द्विभाषी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष 2001-2002 एवं वर्ष 2002-2003 हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के करकमलों से

बैंक के कार्यकारी निदेशक टी० एस० नारायणसामी, महाप्रबंधक सुधांशु अवस्थी एवं सहायक महाप्रबंधक एवं गृह पत्रिका के मुख्य संपादक एस०एस० चोपड़ा द्वारा ग्रहण किया गया। इस अवसर पर पश्चिम अंचल के महाप्रबंधक आर० आई० सिद्धू एवं श्रीमती कविता चौधरी की भी उपस्थित रही। समारोह में पंजाब नैशनल बैंक को रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना में 'क' क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 हेतु तृतीय एवं वर्ष 2002-2003 हेतु चतुर्थ पुरस्कार तथा 'ख' क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 हेतु द्वितीय एवं वर्ष 2002-2003 हेतु चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किए गए।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली

वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

नई दिल्ली, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 23 मार्च, 2004 को इन्दिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव श्रीवास्तव, सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किये।

इस अवसर पर 85 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण पत्र, नकद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह वितरित किये गये। हिंदी सुलेख का राष्ट्रीय प्रेरक राजभाषा श्री वी. मुरलीधरन, महानिदेशक को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन ग्रामीण स्तर पर युवाओं के विकास के लिए भारत का सबसे बड़ा संगठन है। युवा गतिविधियों में हिंदी के प्रयोग के लिए जो हिंदी कार्यशालायें एवं राजभाषा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने हिंदी की व्यापकता, संरचना और लोकप्रियता के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन में हिंदी को अपनाया। राष्ट्रीय एकता के लिए केवल एक ही भाषा सशक्त भूमिका निभा सकती है और वह है हिंदी जो कि जन साधारण की भाषा है। निसन्देह संगठन के अधिकारी कर्मचारी संवैधानिक नियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन कर रहे हैं। यह निष्ठा निरन्तर बनी रहे ऐसे प्रयासों के लिए मै सराहना करता हूँ बधाई देता हूँ। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के महानिदेशक, श्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहा है। इसलिए गांव की भाषा के माध्यम से कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है। यदि युवाओं से सही संवाद स्थापित करना है तो उनकी भाषा में अर्थात् क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करना चाहिए। संगठन द्वारा किये जा रहे नये-नये प्रयोगों में हमें सफलता मिली है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति जहाँ भी गई उसने नेहरू युवा केन्द्र संगठन की प्रशंसा की है। इस कार्य में संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हिंदी के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

इकाई डी.एस.पी. दुर्गापुर को राजभाषा पुरस्कार

के.ओ.सु.ब. इकाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को वर्ष 2003 के लिए के.ओ.सु.ब. राजभाषा शील्ड पुरस्कार योजना के तहत के.ओ.सु.ब. के स्थापना दिवस के अवसर पर 10 मार्च को मुख्यालय नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया। उक्त शील्ड के.ओ.सु.ब. के महानिदेशक ने अपने कर कमलों से इस इकाई के उप महानिरीक्षक श्री जिले सिंह सागर को प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से प्रति वर्ष राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए "क", "ख" एवं "ग" क्षेत्र में स्थित के.ओ.सु.ब. के इकाईयों प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में गतवर्ष 2003 के दौरान राजभाषा गतिविधियों की समीक्षा के उपरांत के.ओ.सु.ब. इकाई डी.एस.पी. दुर्गापुर को "ग" क्षेत्र में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में राजभाषा-शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए उप महानिरीक्षक, श्री जिले सिंह सागर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से भी बधाई दी गई। उल्लेखनीय है कि राजभाषा संबंधी गतिविधियों में सक्रिय होने के कारण इस इकाई को पहले भी बल मुख्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है।

बैंक-नराकास राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता

विकास बैंक, भुवनेश्वर को चतुर्थ स्थान—प्रमाणपत्र।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर को कार्यालय में हिंदी के अच्छे कार्यान्वयन के लिए भुवनेश्वर-बैंक-नराकास राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में वर्ष 2001 के लिए चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। उक्त क्रम में कार्यालय-प्रधान श्री सिद्धेश्वर साहू, महाप्रबंधक को राजभाषा-शील्ड व प्रमाणपत्र देकर तथा हिंदी-प्रधान श्री आर.पी. सिंह, प्रबंधक (हिंदी) को राजभाषा-प्रमाणमत्र देकर सम्मानित किया गया तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में निरन्तर प्रयासरत रहने की कामना की गयी।

सीमा सड़क महानिदेशालय, सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली

राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेरक माहौल कायम करने और उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने के उद्देश्य से सीमा सड़क महानिदेशालय में हर वर्ष की तरह वर्ष 2003 में भी 15 सितम्बर से 29 सितम्बर तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें सीमा सड़क महानिदेशालय और सीमा सड़क विकास मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इन प्रतियोगिताओं में विजयी घोषित प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 11 दिसम्बर, 2003 को महानिदेशक सीमा सड़क की अध्यक्षता में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीमा सड़क विकास मंडल तथा सीमा सड़क महानिदेशालय के उच्च पदाधिकारी शामिल हुए। श्रीमती बिन्दु सहगल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने उपस्थित अतिथिगणों के स्वागत के बाद बताया कि महानिदेशक महोदय एवं उच्च प्राधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन और उपयोगी व्यावहारिक सुझावों तथा कर्मचारियों में जाग्रत हिंदी काम करने के प्रेरक माहौल से राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। महानिदेशक, सीमा सड़क ले. जनरल प्रकाश सूरी ने अपने सम्बोधन में बताया कि सरकारी काम-काज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वत: मन लगाकर काम करना चाहिए राजभाषा हिंदी की प्रगति को और अधिक बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरल और बोल-चाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सबको आसानी से समझ में आ सके।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक महोदय द्वारा वर्ष 2002-2003 में अधिकारियों द्वारा हिंदी में सर्वाधिक डिक्टेशन देने संबंधी प्रोत्साहन योजना के तहत एक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम-काज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजना के तहत 10 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली

परिषद में हिंदी चेतना मास

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 14 सितम्बर, 2003 से 13 अक्तूबर, 2003 तक **''हिंदी चेतना मास''** का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2002-2003 के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ 6 संस्थानों नामत: भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, केंद्रीय मात्सियकी शिक्षा संस्थान, मुंबई, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तथा केंद्रीय समुद्री मात्सियकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन को परिषद के **''राजर्षि टंडन राज भाषा पुरस्कार''** से पुरस्कृत किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद (लोकसभा) तथा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य माननीय डा. रमेश चन्द्र तोमर मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता डेयर के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. मंगला राय ने की।

इस अवसर पर बोलते हुए डा. तोमर ने कहा कि मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़े इस प्रतिष्ठान में हिंदी को इतना सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने परिषद् को बधाई दी। उनका मानना था कि पुरस्कार जीतकर ही हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, बल्कि हिंदी में सरकारी काम-काज करना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है।

परिषद के महानिदेशक डा. मंगला राय ने कहा कि परिषद द्वारा आयोजित **''हिंदी चेतना मास''** में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों का भाग लेना हिंदी के लिए अच्छी बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी अधिकारी/कर्मचारी इसी उत्साह से भाग लेंगे।

अपर सचिव 'डेयर' व सचिव, भा.कृ.अ.प., श्रीमती शशि मिश्रा ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और दिन प्रतिदिन के सरकारी काम-काज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया। निदेशक (हिंदी) श्री अनिल कुमार दुबे ने परिषद में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समारोह में डा. तोमर ने परिषद द्वारा प्रकाशित **''राजभाषा आलोक''** पत्रिका के छठे अंक का विमोचन भी किया। इसके अलावा, पोर्ट ब्लेयर स्थित केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका **''कृषिका''** के प्रथम अंक का भी विमोचन किया गया।

परिषद के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सुरेन्द्र प्रसाद उनियाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसिद्ध रंग संस्था **''नट सम्राट''** ने हास्य नाटक का मंचन किया जिसकी सभी ने सराहना की।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर को तृतीय पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र के कार्यालयों के लिए दिनांक 6-7 फरवरी, 2004 को राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्कृष्ट प्रदार्शन करने वाले संस्थानों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

बैंक को भी मध्य क्षेत्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया जिसे केन्द्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), श्री राज किशोर उपाध्याय द्वारा प्राप्त किया गया।

आकाशवाणी पणजी को राजभाषा शील्ड

भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा आकशवाणी, पणजी को राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्रदान किया गया है। पश्चिम ग क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी में वर्ष 2002-2003 के लिए राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए यह प्रदान किया गया है। 6 फरवरी को द्वारका (गुजरात) में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आकाशवाणी पणजी के केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार को राजभाषा शील्ड प्रदान किया। इस अवसर पर श्री मजुमदार ने आकाशवाणी पणजी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए बधाई दी है।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली को प्रथम पुरस्कार

वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 11-12 दिसम्बर, 2003 को इलाहाबाद के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

यह शील्ड 12 दिसम्बर, 2003 को उत्तरप्रदेश के **महामहिम राज्यपाल, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री** द्वारा एक भव्य समारोह में श्री पी.एस. बावा, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय-बी को प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में श्री जी. के. भल्ला, उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, (हिंदी शिक्षण योजना) आर.के. पुरम, नई दिल्ली
सं० 15/5/2003-उ. नि. (परीक्षा) 2122 दिनांक 8 जनवरी, 2004

विषय :— नवम्बर, 2003 में आयोजित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं का परिणाम।

नवम्बर, 2003 में आयोजित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं का परिणाम दिनांक 31-12-2003 को घोषित किया गया है। क्षेत्र से संबंधित परीक्षार्थियों का परिणाम इस पत्र के साथ संलग्न है।

1. नियमानुसार उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 30 अंक तथा दोनों प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों का योग 80 अथवा उससे अधिक होना चाहिए। किंतु किसी एक प्रश्नपत्र में 30 से कम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है भले ही दोनों प्रश्नपत्रों में उनके प्राप्तांकों का योग 80 अथवा उससे अधिक हो। इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा में भी 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. जिन परीक्षार्थियों ने प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा के लिखित दोनों प्रश्नपत्रों में 110 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें नकद पुरस्कार देय है बशर्ते कि वे राजभाषा विभाग द्वारा विहित अन्य शर्तें पूरी करते हों।

3. जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा के अंक अथवा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के बाद अंक सूची के पर्ण प्राप्त न होने के कारण/किन्हीं आपत्तियों से रोका गया है, उनके परिणाम अंक प्राप्त होने के बाद अथवा आपत्तियों के निराकरण के बाद घोषित कर दिए जाएंगे।

इन परीक्षाओं के लिए पांचों क्षेत्रों के अंतर्गत नियमित, प्राइवेट एवं पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले क्रमशः 6633, 7401 तथा 11563 कुल 25597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।

4. क्षेत्रवार पंजीकृत, सम्मिलित तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तथा उनके प्रतिशत परीक्षा परिणाम में अलग-अलग दर्शाए गए हैं।

5. नियमित, प्राइवेट तथा पत्राचार के परीक्षार्थिया के आंकड़े भी अलग-अलग दर्शाए गए हैं।

6. प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की सूची अलग से बनाई गई है।

7. कृपया परीक्षा परिणाम संबंधित परीक्षार्थियों को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, साथ ही जिनके परीक्षा परिणाम लिखित अथवा मौखिक परीक्षाओं के अंक प्राप्त न होने के कारण रोके गए हैं उनके प्राप्तांक 16 जनवरी, 2004 से पहले परीक्षा शाखा में अवश्य भेज दें ताकि 25 जनवरी, 2004 तक रोके गए परीक्षार्थियों के परिणाम भी घोषित किये जा सकें।

भवदीय,
(चन्द्र कान्त बडोला)
उपनिदेशक (परीक्षा)

हिन्दी शिक्षण योजना

राजभाषा विभाग

नवम्बर, 2003 में आयोजित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं का क्षेत्रवार समेकित विवरण

प्रबोध

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित%	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	रोका गया
पूर्व	1205	724	60	651	93	30
पश्चिम	676	491	72	373	80	29
उत्तर	216	141	65	121	95	14
दक्षिण	4374	2998	68	2463	87	180
मध्य	162	111	68	100	97	8
योग	6633	4465	67	3708	88	261

प्रवीण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित%	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	रोका गया
पूर्व	3873	2366	61	2161	92	36
पश्चिम	815	553	67	392	76	40
उत्तर	312	240	76	175	78	16
दक्षिण	2132	1354	63	1204	93	68
मध्य	269	171	63	156	97	11
योग	7401	4684	63	4088	90	171

प्राज्ञ

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण%	उत्तीर्ण%	रोका गया
पूर्व	3159	2154	68	2041	97	62
पश्चिम	3470	2944	84	1786	98	1138
उत्तर	292	162	55	150	94	4
दक्षिण	4429	3146	71	2824	95	197
मध्य	213	143	67	130	99	12
योग	11563	8549	73	6931	97	1413
कुल योग :—	25597	17698	69	14727	92	1845

हिन्दी शिक्षण योजना

राजभाषा विभाग

नवम्बर, 2003 में आयोजित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं का परीक्षावार समेकित विवरण

प्रबोध

स्थिति	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित%	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	रोका गया
नियमित	3294	2359	71	2056	89	61
प्राइवेट	2863	1863	65	1436	85	185
पत्राचार	476	243	51	216	94	15

प्रवीण

स्थिति	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित%	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	रोका गया
नियमित	4391	2937	66	2643	92	70
प्राइवेट	2780	1633	58	1341	87	97
पत्राचार	230	114	49	104	94	4

प्राज्ञ

स्थिति	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित%	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	रोका गया
नियमित	6818	5238	76	4518	98	629
प्राइवेट	4457	3125	70	2252	95	769
पत्राचार	288	186	64	161	94	15

प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का विवरण

परीक्षा : नवम्बर, 2003 हिन्दी भाषा (प्रबोध) परीक्षा

क्र.सं.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम/कार्यालय का पता श्री/श्रीमती/कुमारी	क्षेत्र	स्थिति	प्राप्तांक
1.	13357	के अरुणा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	183
2.	13354	टी इंदिरा देवी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	180
3.	6050	अरुण उपलेकर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, मुंबई	पश्चिम	नियमित	180
4.	13383	शेक अब्दुल रहमान भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	179
5.	6003	राजीव रॉय रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलावा, मुंबई	पश्चिम	नियमित	178
6.	13353	के विजय कुमारी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	177
7.	13361	के रामानंद भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	177
8.	13364	वी कोंडल राव भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	177
9.	13366	वी मल्लिकार्जुन भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मानूर (भेदक)	दक्षिण	प्राइवेट	177
10.	6257	वी के विजयलक्ष्मी सी ए आई आर, राज भवन सर्कल, बेंगलूर	पश्चिम	नियमित	177

प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का विवरण

परीक्षा : नवम्बर, 2003 **हिन्दी भाषा (प्रवीण) परीक्षा**

क्र.सं.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम/कार्यालय का पता श्री/श्रीमती/कुमारी	क्षेत्र	स्थिति	प्राप्तांक
1.	19026	अजीत कृष्ण सिंह दुर्ग अभियंता (स्वतंत्र)/भवन एवं पथ, चकेरी, कानपुर	मध्य	नियमित	185
2.	6004	एच एच टकले भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्रॉम्बे, मुंबई	पश्चिम	नियमित	174
3.	6488	संख्या के वी भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, बेंगलूर	पश्चिम	नियमित	174
4.	381	अनुराधा चटर्जी कोलकाता जी पी ओ, कोलकाता	पूर्व	नियमित	173
5.	6771	देवारती रे केन्द्रीय विद्यालय एयर फोर्स स्टेशन, मकरपुरा, बड़ौदा	पश्चिम	नियमित	173
6.	12903	एम के शिवप्पा के औ सु बल इकाई, बी एच ई एल, हैदराबाद	दक्षिण	नियमित	171
7.	439	डॉ महादेव कपाल अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता	पूर्व	नियमित	171
8.	460	गौतम चक्रवर्ती पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता	पूर्व	नियमित	171
9.	3753	संयुक्ता मिश्र केन्द्रीय विद्यालय, संबलपुर (उड़ीसा)	पूर्व	पत्राचार	171
10.	334	अभिजित घोष भारतीय जीवन बीमा निगम, सी बी ओ-22, कोलकाता	पूर्व	नियमित	170

प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का विवरण

परीक्षा : नवम्बर, 2003 **हिन्दी भाषा (प्राज्ञ) परीक्षा**

क्र.सं.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम/कार्यालय का पता श्री/श्रीमती/कुमारी	क्षेत्र	स्थिति	प्राप्तांक
1.	13339	बी.जी. गाढ़वे बी.एच.ई.एल. रामचंद्रापुरम, हैदराबाद	दक्षिण	नियमित	186
2.	6124	अरुणा ए. पाटणकर क्रय भंडार निदेशालय, अणुशक्ति नगर, मुंबई	पश्चिम	नियमित	185
3.	13383	मृणाल कांति दास बी.एच.ई.एल. रामचंद्रापुरम, हैदराबाद	दक्षिण	नियमित	184
4.	13042	के. सत्यनारायण रेड्डी बी.ई. एल., हैदराबाद	दक्षिण	नियमित	183
5.	19101	पी. रामाकृष्णा राव भारतीय खाद्य निगम, रायपुर	मध्य	नियमित	183
6.	13381	कृष्णचंद्र पंडा बी. एच. ई. एल., रामचंद्रापुरम, हैदराबाद	दक्षिण	नियमित	182
7.	51	अंजन कुमार दे यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, कोलकाता	पूर्व	नियमित	182
8.	6877	वृषाली विक्रम कदम भारतीय स्टेट बैंक, मैडम कामा रोड, मुम्बई	पश्चिम	नियमित	182
9.	7362	मराठे स्वासी दिनेश मुख्य डाकघर, सातारा (महाराष्ट्र)	पश्चिम	नियमित	182
10.	13373	आर.एल.जी. नागेश्वर राव बी. एच. ई. एल., रामचंद्रापुरम, हैदराबाद	दक्षिण	नियमित	181

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राज भाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
सं० 15/2/2003-उ.नि(परीक्षा)/2666
दिनांक 1 जनवरी, 2004

विषय :— जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि परीक्षा परिणाम— घोषित तिथि 27-2-2004.

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के परिणामों की समेकित आंकड़ों सहित एक-एक प्रति हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशकों तथा केंद्रवार परीक्षा परिणामों की एक-एक प्रति संबंधित सर्वकार्यभारी अधिकारियों को भेजी जा रही है।

2. हिंदी टंकण परीक्षा में उन्हीं परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है जिन्होंने दोनों प्रश्न पत्रों में 25-25 अंक प्राप्त किए हैं। जो परीक्षार्थी टंकण परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हैं उन्हें केवल अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में अथवा जिस प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहे, जुलाई, 2004 सत्र की पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।

3. टंकण परीक्षा में किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित परीक्षार्थियों को अन्य परीक्षार्थियों की तरह आवेदन पत्र भरना होगा तथा आवेदन पत्र पर अपना पुराना अनुक्रमांक (जनवरी, 2004 में हुई परीक्षा में दिया गया अनुक्रमांक) देना होगा। अनुक्रमांक के साथ सत्र का उल्लेख भी करना होगा, जैसे (अनुक्रमांक 5009 जनवरी, 2004)। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर फोटो अथवा पहचान पत्र संख्या देना अनिवार्य होगा। उनके आवेदन पत्र तथा नामिनल रोल अलग से इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। जनवरी, 2004 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी जुलाई, 2004 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। उन्हें बाद में दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर उक्त सारी जानकारी के साथ इसका भी उल्लेख करें कि परीक्षार्थी किस प्रश्न पत्र में पूरक घोषित किया गया था। गलत सूचना होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

4. किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने वाले स्वायत्त संगठनों, निगमों के परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क रु.10 (दस रुपये मात्र) प्रति परीक्षार्थी है। उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर रु.5 (पांच रुपये मात्र) के पोस्टल आर्डर भेजने पर की जा सकती है।

कृपया संबंधित परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम की सूचना शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्र कान्त बडोला)

उपनिदेशक (परीक्षा)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना आर. के. पुरम, नई दिल्ली
हिंदी टंकण परीक्षा जनवरी, 2004 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 27-2-2004

नोट 1 जिन परीक्षार्थियों ने पूर्णांक 100 अंकों में से 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे नकद पुरस्कार पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विहित अन्य शर्तें पूरी करते हों।

नोट 2 राजभाषा विभाग के दिनांक 23-3-1985 के पत्र संख्या-14017/10/79-रा.भा.(घ) के अनुसार हर परीक्षार्थी को टंकण परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में अलग-अलग कम से कम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। दोनों प्रश्नपत्रों का योग 50 अंक होना चाहिए। जो परीक्षार्थी टंकण परीक्षा में किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होंगे, उन्हें पूरक परीक्षार्थी घोषित किया जाएगा। पूरक परीक्षार्थी को केवल अगले सत्र की पूरक परीक्षा में ही सम्मिलित किया जाएगा।

नोट 3 प्रथम श्रेणी विशेष प्रवीणता के साथ 80 अंक या उससे अधिक।
प्रथम श्रेणी - 70 से 79 अंक।
द्वितीय श्रेणी - 60 से 69 अंक।
तृतीय श्रेणी - 50 से 59 अंक।
अनुत्तीर्ण - 50 से कम प्राप्त अंक।

हिंदी आशुलिपि परीक्षा जनवरी, 2004 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 27-2-2004

नोट 1 प्रथम प्रश्नपत्र 80 श.प्र.मि. तथा द्वितीय प्रश्नपत्र 100 श.प्र.मि. का है।

नोट 2 जिन परीक्षार्थियों ने पूर्णांक 200 अंकों में से 88 प्रतिशत अर्थात् 176 अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे नकद पुरस्कार पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि ये राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विहित अन्य शर्तें पूरी करते हों।

नोट 3 प्रथम श्रेणी विशेष प्रवीणता के साथ - 91 अंक या उससे अधिक अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए
प्रथम श्रेणी - 81 से 90 अंक तक प्रत्येक प्रश्नपत्र।
द्वितीय श्रेणी - 67 से 80 अंक तक प्रत्येक प्रश्नपत्र।
तृतीय श्रेणी - 50 से 66 अंक तक प्रत्येक प्रश्नपत्र।
अनुत्तीर्ण - 50 से कम अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त करने पर।

नोट 4 जो परीक्षार्थी यदि किसी एक भी प्रश्नपत्र (80 शब्द प्रति मिनट अथवा 100 शब्द प्रति मिनट की गति) से उत्तीर्ण होता है तो वह उत्तीर्ण माना जाएगा।

प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का विवरण

सत्र : जनवरी, 2004 **हिन्दी टाइपलेखन (मैन्यु/इलै/कम्प्यू) परीक्षा**

क्र.सं.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	कार्यालय का पता	स्थिति	क्षेत्र	प्राप्तांक	गति
1.	186	अनुराग कुमार	दूरसंचार विभाग, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	55.1
2.	26	सुदेब कुमार दास	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, सी जी ओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	53.9
3.	279	पवन कुमार तिवारी	संयुक्त सचिव (प्रशि.) मु.प्र.अ. का कार्यालय, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	48.1
4.	5011	अक्षता अनिल फाटक	नेवल डाकयार्ड, मुम्बई	नियमित	पश्चिम	100	48.1
5.	143	सुरेश कुमार	जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	47.9
6.	204	संतोष कुमार	श्रम शक्ति भवन, विद्युत मंत्रालय, रफी मार्ग, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	46.8
7.	233	सुशील कुमार	योजना आयोग, संसद मार्ग, योजना भवन, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	46.7
8.	138	यशपाल सिंह रावत	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	41.7
9.	582	सोनू	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चण्डीगढ़	नियमित	उत्तर	100	41.4
10.	277	सौरभ शुक्ल	संयुक्त सचिव (प्रशि.) मु.प्र.अ. का कार्यालय, नई दिल्ली	नियमित	उत्तर	100	41.2

प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का विवरण

सत्र : जनवरी, 2004 — हिन्दी आशुलिपि (मैन्यु/इलै/कम्प्यू) परीक्षा

क्र.सं.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	कार्यालय का पता	क्षेत्र	प्राप्तांक
1.	219	उर्मिला	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई ए डी), आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	उत्तर	200
2.	3064	टी एम रेमा	महालेखाकार (लेखा व हक) का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम (केरल)	दक्षिण	200
3.	216	सुलेखा सेठी	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई ए डी), आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	उत्तर	198
4.	221	नीरज शर्मा	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सी जी ओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	उत्तर	198
5.	3063	राधा एम	श्रीचित्रा तिरुनाल आयुर्वि. और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम (केरल)	दक्षिण	198
6.	4036	बिन्दु माईति	प्रशासनिक प्रभाग, जवाहर टावर, हल्दिया गोदी परिसर, पूर्व मिदनापुर (प.बंगाल)	पूर्व	198
7.	234	बालेन्द्र सिंह	142वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, जम्मू	उत्तर	196
8.	235	अखिलेश रावत	142वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, जम्मू	उत्तर	196
9.	237	राजेश प्रसाद मिश्रा	53 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, जम्मू	उत्तर	196
10.	4035	श्राबनी दास	प्रशासनिक प्रभाग, जवाहर टावर, हल्दिया गोदी परिसर, पूर्व मिदनापुर (प.बंगाल)	पूर्व	196

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी टाइपलेखन परीक्षा का स्थितिवार समेकित विवरण

स्थिति	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित%	उत्तीर्ण%	उत्तीर्ण %	अनुत्तीर्ण	पूरक
नियमित	1166	914	78.39	629	68.82	107	178
प्राइवेट	343	262	76.38	145	55.34	41	76
पत्राचार	311	208	66.88	109	52.40	36	63

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी कम्प्यूटर टाइपलेखन परीक्षा का स्थितिवार समेकित विवरण

स्थिति	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण	पूरक
नियमित	304	284	93.42	207	72.89	15	62
प्राइवेट	116	116	72.05	56	48.28	10	50
पत्राचार	112	93	83.04	36	38.71	26	31

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी कम्प्यूटर टाइपलेखन परीक्षा का क्षेत्रवार समेकित विवरण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण	पूरक
पूर्व	9	8	88	1	12	5	2
पश्चिम	180	156	86	80	51	7	69
उत्तर	231	200	86	103	51	35	62
दक्षिण	71	46	64	41	89	1	4
मध्य	86	83	96	74	89	3	6
कुल योग	**577**	**493**	**85**	**299**	**60**	**51**	**143**

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी इलैक्ट्रानिक टाइपलेखन परीक्षा का स्थितिवार समेकित विवरण

स्थिति	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण	पूरक
नियमित	110	93	84.55	56	60.22	9	28
प्राइवेट	3	1	33.33	0	0.00	1	0
पत्राचार	0	0	0.00	0	0.00	0	0

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी टाइपलेखन परीक्षा का क्षेत्रवार समेकित विवरण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण	पूरक
पूर्व	372	274	73	170	62	53	51
पश्चिम	337	266	78	147	55	34	85
उत्तर	612	501	81	328	65	48	125
दक्षिण	290	184	63	120	65	33	31
मध्य	209	159	76	118	74	16	25
कुल योग	**1820**	**1384**	**76**	**883**	**63**	**184**	**317**

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी इलेक्ट्रानिक टाइपलेखन परीक्षा का क्षेत्रवार समेकित विवरण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण	पूरक
पश्चिम	83	68	81	36	52	8	24
मध्य	30	26	86	20	76	2	4
कुल योग	**113**	**94**	**83**	**56**	**59**	**10**	**28**

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी आशुलिपि टाइपलेखन परीक्षा का क्षेत्रवार समेकित विवरण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण
पूर्व	77	53	68	39	73	14
पश्चिम	61	48	78	12	25	36
उत्तर	202	157	77	92	58	65
दक्षिण	63	55	87	35	63	20
मध्य	33	26	78	13	50	13
कुल योग	**436**	**339**	**77**	**191**	**56**	**148**

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी इलेक्ट्रानिक आशुलिपि टाइपलेखन परीक्षा का क्षेत्रवार समेकित विवरण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण
पश्चिम	15	15	100	7	46	8
मध्य	9	6	66	5	83	1
कुल योग	**24**	**21**	**87**	**12**	**57**	**9**

हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग
जनवरी, 2004 में आयोजित हिंदी कम्प्यूटर आशुलिपि परीक्षा का क्षेत्रवार समेकित विवरण

क्षेत्र	पंजीकृत	सम्मिलित	सम्मिलित %	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण%	अनुत्तीर्ण
पूर्व	1	1	100	1	100	0
पश्चिम	53	46	86	7	15	39
उत्तर	103	87	84	49	56	38
दक्षिण	6	5	83	5	100	0
मध्य	28	26	92	17	65	9
कुल योग	**191**	**165**	**86**	**79**	**47**	**86**

केनरा बैंक
अंचल कार्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
हिंदी शब्दरत्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में दिनांक 22-12-2003 से 24-12-2003 तक तीन दिवसीय हिंदी शब्दरत्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उप महाप्रबंधक श्री लक्ष्मण एन सनकाले ने कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और कहा कि इस प्रशिक्षण के उपरान्त आपको शाखा में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में और बल मिलेगा। उन्होंने कहां कि अपने बैंक में दक्षता पूर्वक कार्य करते हुए कार्यनिष्पादक बनकर भरपूर आनंद लेना चाहिए।

श्री एच ओ परासर, शाखा कंप्यूटरीकरण अनुभाग एवं श्री राकेश टंडन, ईडीपी ने कर्मचारियों को बैंकस्क्रिप्ट एवं ई-मेल के साथ कंप्यूटर के बारे में अन्य जानकारियां विस्तृत रूप से दी। कृषि वित्त अनुभाग, अंचल कार्यालय, लखनऊ के श्री भोलानन्द बेहरा ने अपने बैंक के अग्रिम के बारे में कर्मचारियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। श्री रमेश चंद ने हिंदी शब्दरत्न पैकेज के प्रयोग, डाटा का रखरखाव, मेल मर्ज, के बारे में कर्मचारियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी और अभ्यास कराए। उन्होंने आकृति, बैंकस्क्रिप्ट, कंप्यूटर से आकर्षक पत्र/परिपत्र निकालने के बारे में भी विस्तार से बताए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि यह प्रशिक्षण हमारे लिए काफी उपयोगी रहा एवं शाखा/कार्यालय/अनुभाग में जाकर हम इसका प्रयोग कर हिंदी पत्राचार को और बढ़ावा दे सकते हैं।

■

हिंदी एक जानदार भाषा है; वह जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा।

—पं० जवाहर लाल नेहरू

देश के सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।

—सुभाष चन्द्र बोस

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

सं. 19011/2/2003/के.हि.प्र.सं./सं.नि.(स.)/3192-4691

दिनांक 31 अक्तूबर, 2003

विषयः— संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीस गढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशाला की समय-सारणी तथा विवरण-वर्ष 2004

****

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्य-शालाओं का आयोजन किया जाता है। उक्त कार्यशालाओं में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश उत्तरांचल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग लेते हैं।

वर्ष 2004 में आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशालाओं की समय-सारणी अनुलग्नक-1 में दी जा रही है, ताकि आप पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर एक साथ तैयार कर सकें।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को यहां दी गई कार्यशालाओं की समय-सारणी के अनुसार नामित कर संस्थान को अग्रेषित करें, जिससे कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को अधिक गतिशील, उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाया जा सके।

कार्यशाला का उद्देश्यः—

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने की संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।

   क. हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयों/झिझक/हिचक/संकोच को दूर करना।

   ख. मसौदा लेखन/टिप्पणी/ और पारिभाषिक शब्दों को अधिक से अधिक अभ्यास कराकर आत्मविश्वास पैदा करना।

2. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है और जिन्हें कार्यशाला में अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

3. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:—

   क. मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या

   ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में

हिंदी को एक वैकल्पिक विषय् के रूप में लिया था या

ग. यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

4. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:—

क. मैट्रिक परीक्षा या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है या

ख. केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अन्तर्गत निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की है या

ग. केंद्रीय सरकार द्वारा उसके निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या

घ. यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

5. जो अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले चुके हैं, परन्तु जिन्हें हिंदी में कार्यालय के कार्य करने में अभी कठिनाई होती है, उन्हें भी इन कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है, परन्तु प्राथमिकता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को ही दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक किसी हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

6. कार्यशालाओं का समय प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।

7. अनुरोध है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीस गढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह स्थित सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/कंपनियों/अभिकरणों/स्वायत्त संस्थानों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नं. सहित अधिक से अधिक संख्या में कार्यशालाओं में नामित करके इस संस्थान को तत्काल सूचित करें। प्रवेश प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

8. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि जो भी देय होगा, वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं।

9. प्रशिक्षणार्थियों को अपने आवास तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी।

10. प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा।

11. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के आधार पर ही प्रतिभागियों को गहन हिंदी कार्यशालाओं में प्रवेश दिया जाएगा।

12. प्रशिक्षण केन्द्र का पता:—

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एण्ड के. हाउस के सामने), राजस्थान भवन के नजदीक
नई दिल्ली-110 011

13. बस रूट-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एम-13, 56 (यू.पी.एस.सी. तक), पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 502, अ.रा.ब.अड्डे से 501, 503, 533, 621।

14. गहन हिंदी कार्यशालाओं की समय-सारणी के लिए अनुलग्नक-I, देखने का कष्ट करें।

भवदीया,
कुसुम वीर, निदेशक

प्रशिक्षण कार्यक्रम-कलेंडर 2004

I गहन हिंदी कार्यशालाएं

क्रम संख्या	कार्यशाला	प्रशिक्षण-अवधि	पूर्ण कार्यदिवस
1.	262	19-01-2004—23-01-2004	05
2.	263	08-03-2004—19-03-2004	10
3.	264	12-04-2004—16-04-2004	05
4.	265	17-05-2004—21-05-2004	05
5.	266	07-06-2004—11-06-2004	05
6.	267	12-07-2004—16-07-2004	05
7.	268	23-08-2004—27-08-2004	05
8.	269	20-09-2004—24-09-2004	05
9.	270	11-10-2004—15-10-2004	05
10.	271	06-12-2004—17-12-2004	10

निज भाषा उन्नित अहै, सब उन्नित को मूल।

—भारतेन्दु हरिशचन्द्र

हिंदी हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आने वाली भाषा है।

—राहुल सांकृत्यायन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
सं.11011/3/2003/के.हि.प्र.सं./सं.नि. (सं.)/4692—6191 दिनांक 31 अक्तूबर, 2003

विषय:— समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम/संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, वर्ष 2004।

****

महोदय/महोदया,

भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के सहायक निदेशकों (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में अपनी सफल भूमिका सक्षमतापूर्वक निभाने की दृष्टि से वर्ष 1999 से 2003 तक कुल 28 (अठाईस) अभिमुखी-करण कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान पाया गया है कि कार्यक्रमों के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक/व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए प्रशिक्षण दिए जाने का अनुरोध किया है। कुछ कार्यालयों ने अगले सत्र में प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया है। वर्ष 2004 में चलाए जाने वाले अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की सूची को अद्यतन बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रमों/निगमों/निकायों/बीमा कंपनियों/लोक उद्यमों आदि में प्रशिक्षण के लिए शेष सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारियों, उप/सहायक प्रबंधक (राजभाषा) को पुन: नामित करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 में दो अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निश्चय किया गया हैं। कार्यक्रम 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे.एण्ड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली-110011 स्थित कार्यालय में 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे सांय तक (पांच पूर्ण काया दिवसीय) चलाए जायंगे।

3. अनुरोध है कि जो सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी अब तक उपरोक्त कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए हैं, उनके नाम, पदनाम तथा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित 15 जनवरी, 2004 तक भिजवाने का कष्ट करें, जिससे प्रवेश पाए जाने की पुष्टि और सूचनाएं आपको तथा संबंधित अधिकारी को यथाशीघ्र भेजी जा सके। आवास, खान-पान, यातायात, आदि की व्यवस्था प्रतिभागी/अधिकारी का कार्यालय ही करेगा। प्रवेश ''प्रथम आएं, प्रथम पाएं'' के आधार पर दिया जाएगा। अत: अनुरोध है कि कृपया प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों की अद्यतन सूची भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

कुसुम वीर, निदेशक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली
सं.19011/4/2003/के.हिं.प्र.सं./सं.नि.(सं.)/7749—7748 दिनांक 31 अक्तूबर, 2003

विषय:— भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम/संगठन आदि के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में—पांच पूर्ण कार्य दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2004।

****

महोदय/महोदया,

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उपर्युक्त संदर्भानुसार केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षकों के लिए चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्ष, 2003 तक कुल 426 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। चूंकि अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना शेष है, अत: वर्ष 2004 में भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने का निर्णय किया गया है।

वर्ष 1992 से 2003 तक आपके कार्यालय द्वारा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को नामन सूची प्रेषित

की जाती रही है। कृपया ऐसे संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के नाम संलग्न प्रपत्र में मांगी गई अन्य सूचनाओं सहित 15 जनवरी, 2004 तक पुन: भिजवाने का कष्ट करें, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तो है, लेकिन उन्हें हिन्दी में प्रशिक्षण देने में कठिनाई आती है ताकि इस कार्यक्रम में दिए जाने वाले प्रशिक्षण द्वारा उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाया जा सके।

संबंधित प्रतिभागियों को अपने आवास तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा यात्रा, भत्ते आदि का भुगतान यदि देय होगा तो आपके कार्यालय/संस्थान द्वारा दिया जाएगा। ये कार्यक्रम 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एण्ड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली-110011 स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित किए जाएंगे। जिस अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारी को प्रवेश दिया जाएगा, उसकी पुष्टि इस कार्यालय द्वारा यथासमय दी जाएगी।

भवदीया,
कुसुम वीर, निदेशक

प्रपत्र

1. प्रशिक्षक का नाम ....
2. पदनाम ....
3. मातृभाषा ....
4. वर्तमान तैनाती स्थल ....
5. शैक्षिक/तकनीकी अर्हता ....
   ....
6. हिंन्दी का ज्ञान ....

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
संस्थान/कार्यालय का पूरा पता
....
....
....
टेलीफोन नम्बर : ....

प्रशिक्षण कार्यक्रम—कैलेंडर 2004

I, गहन हिंदी कार्यशालाएं

क्रम संख्या	कार्यशाला	प्रशिक्षण-अवधि	पूर्ण कार्यदिवस
1.	262	19-01-2004—23-01-2004	05
2.	263	08-03-2004—19-03-2004	10
3.	264	12-04-2004—16-04-2004	05
4.	265	17-05-2004—21-05-2004	05
5.	266	07-06-2004—11-06-2004	05
6.	267	12-07-2004—16-07-2004	05
7.	268	23-08-2004—27-08-2004	05
8.	269	20-09-2004—24-09-2004	05
9.	270	11-10-2004—15-10-2004	05
10.	271	06-12-2004—17-12-2004	10

II-अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण-अवधि	पूर्ण कार्यदिवस
1.	राजभाषा अधिकारियों/हिंदी अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	19-04-2004—23-04-2004	05
2.	प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए	10-05-2004—14-05-2004	05
3.	आई.एस.टी.एम. के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी अधिकारियों के लिए	24-05-2004—28-05-2004	05
4.	प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	04-10-2004—08-10-2004	05
5.	राजभाषा अधिकारियों/हिन्दी अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	01-11-2004—05-11-2004	05

III-विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण-अवधि	पूर्ण कार्यदिवस
1.	उपनिदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम.	12-01-2004—16-01-2004	05
2.	लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	09-02-2004—13-02-2004	05
3.	हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	21-06-2004—25-06-2004	05
4.	सहायक निदेशक (टं.आ.), के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	09-08-2004—13-08-2004	05
5.	सहायक निदेशक (भाषा) के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	20-12-2004—24-12-2004	05

का.ज्ञा. सं. 11011/15/2002-रा.भा.(अनु.)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 के
दिनांक 19 फरवरी, 2004 का

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की ख़रीद।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यकम 2003-2004 के पृष्ठ सं. 6, क्रम सं. 6 में हिंदी पुस्तकों की खरीद पर निम्न लक्ष्य निर्धारित किया गया है :—

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
6.	हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कुल अनुदान का % खर्च, जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर"	50%	50%	50%

सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)
दूरभाष-24611031

पाठकों के पत्र

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका **"राजभाषा भारती"** अंक : 101, अप्रैल-जून, 2003 की पत्रिका में प्रकाशित डॉ. राजकुमारी शर्मा का लेख 'मंदोदरी', डॉ. दिनेश मणि का लेख 'विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन की भूमिका', श्री हरिकृष्ण निगम का लेख 'पश्चिमी देशों में शाकाहार की वापसी' व डॉ. श्रीमती सुरिंद्र कटोच का 'आयुर्वेद में डायबिटीज़ मेलिटस' पठनीय एवं ज्ञानवर्धक लेख हैं। अन्य कार्यालयों से संग्रहीत रिपोर्टों से उन कार्यालयों में हो रही नित नई गतिविधियों की जानकारी मिलती है।

आशा है भविष्य में इसी तरह के रचनात्मक लेख प्रकाशित होते रहेंगे।

—मनोज कुमार शर्मा

सहायक निदेशक (राजभाषा), परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, डाकघर : भापासं कॉलोनी, तूतीकोरिन 628 007

"राजभाषा भारती" अप्रैल-जून 2003, पत्रिका में उपयोगी सामग्री प्रकाशित कर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पत्रिका को पढ़ कर हम सब लाभान्वित हुए। 'संजीवनी' परिवार की ओर से सभी सहकर्मियों को धन्यवाद।

—अम्बालिका नाग,

संपादक 'संजीवनी', भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, 4 राजा एस.सी. मल्लिक रोड, यादवपुर, कलकत्ता-700 032

राजभाषा भारती के वर्ष 26 के अंक 101 अप्रैल-जून 2003, पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं उत्तम एवं पठनीय हैं तथापि श्री योगेश चन्द्र शर्मा का लेख "खुलकर हंसिये स्वस्थ्य रहिये", श्री विजय प्रभाकर कांबले का लेख "इन्टरनेट साइट में हिंदी भाषा का प्रसार" तथा सुश्री सन्तोष अग्रवाल का लेख "अमेरिका में हिंदी" विशेष रूप से रोचक, जानकारी पूर्ण, प्रेरक लेख हैं।

पत्रिका के निरंतर विकास एवं अविरल प्रगति की शुभ कामना है।

—राजेन्द्र खरे,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/राजभाषा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म. प्र. का कार्यालय, ग्वालियर

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिकी "राजभाषा भारती" के अप्रैल-जून, 2003 के अंक का अवलोकन करने के पश्चात् राजभाषा हिंदी के प्रसार व प्रचार की दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना व प्रशंसा किए बगैर नहीं रहा जा सकता। "आयुर्वेद में डायबिटीज मेलिटस (मधुमेह)" लेख में मधुमेह रोग से संबंधित जानकारी भी दी गई है जिससे सामान्य विषयों के बारे में भी ज्ञानवर्धन होता है। कृपया हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें तथा राजभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए "राजभाषा भारती" जैसी पत्रिका में अच्छे लेखों का समावेश जारी रखें।

—गुलशन लाल चोपड़ा,

हिंदी अधिकारी, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

आपके सौजन्य से लम्बे अंतराल के बाद "राजभाषा भारती" का अंक : 101 (अप्रैल-जून, 2003) पाकर अत्यधिक प्रसन्नता और संतोष हुआ, धन्यवाद।

यह देखकर अच्छा लगा कि यह अपने पुराने रूप तथा साइज में सचित्र नयनाभिराम आने लगा है, पहले यह तन्वंगी तथा केवल सूचनाप्रद पुस्तकाकार था। अब इसमें निखार भी आ गया है, सधे हुए अनुभवी संपादन के लिए धन्यवाद।

—प्रो. मुकुल चंद पांडेय

सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 353, त्रिवेणी नगर, लखनऊ-226020

लोक नायक भवन में अपने हिंदी-मिशन के साथ दिल्ली-प्रवास पर पहुंचा। 16 अप्रैल, 2004 को "राजभाषा भारती" अंक मैंने आपसे पाया। प्रवासकाल में ही हिंदी की यह राष्ट्रीय चिट्ठी पढ़ गया, जिसमें कांबले जी की संचार-क्रांति, शर्मा जी एवं डॉ. कटोच के जन स्वास्थ्यपरक स्पर्श, 'राज.' की मन्दोदरी-व्याख्या, विभा शुक्ला का नारी विषयक गोंदना-लेख, पारिवारिक बिखराव में खरेजी द्वारा वेदना की पीड़ित खोज, डॉ. मणि का विज्ञान-बोध, डॉ. अग्रवाल का अमेरिका में हिंदी के साथ अन्य आनुषंगिक जानकारियां हिंदी की माटी की गन्ध से भरी मिलीं। ढाई दशक से भी अधिक अवधि तक "राजभाषा भारती" की यह हिंदी प्रस्तुति हिंदी-निष्ठा की वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति मेरे हिंदी-मिशन को लगी।

—हरिहर प्रसाद चतुर्वेदी

साहित्यकार, हिंदी हाउस, 3/16,, चतुर्थ तल, कबीर नगर,, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी-5

स्तरीय लेख आमंत्रित हैं

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख ए-4 आकार के कागज़ पर दो प्रतियों में टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः 3000 शब्दों से अधिक न हो। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :

—संपादक

राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-2, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष सं. 011-24617807
011-24698054

MGIPRRND—2082 HA/04—3,000 Copies.

दिनांक 11-12 दिसंबर, 2003 को इलाहाबाद में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक, श्री पी.एस. बावा। साथ में हैं गृह मंत्रालय की सचिव (राजभाषा), श्रीमती नीना रंजन तथा संयुक्त सचिव श्री मदन लाल गुप्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री वाई.वी. रेड्डी से भा.रि.बैं. राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता वर्ष, 2001-2002, 2002-2003 के लिए गृह पत्रिका में प्रथम पुरस्कार, ''ख'' एवं ''क'' क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु क्रमश: द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री टी.एस. नारायणसामी, महाप्रबंधक/सर्वश्री सुधांशु अवस्थी, आर.आई.एस. सिद्ध, सहायक महाप्रबंधक, श्री एस.एस. चोपड़ा, प्रभारी राजभाषा श्रीमती कविता चौधरी, वरिष्ठ प्रबंधक-राजभाषा सर्वश्री अशोक श्रीवास्तव तथा डॉ. शैलेंद्र

पं. सं. 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

भारत सरकार राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ राजेन्द्र प्रताप सिंह, उप सम्पादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।